राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक : 1] बारहवीं विधान सभा के पहले सत्र का 22 वां दिवस [संख्या : 9

गुरुवार,

5 फरवरी, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री राव राजेन्द्र सिंह।

शाहपुरा (बैराठ) में खेलकूद अकादमी की स्थापना

44. **श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)** : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बैराठ के शाहपुरा कस्बे में खेलकूद अकादमी स्थापित करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस खेलकूद अकादमी के लिए शाहपुरा कस्बे में जमीन आबंटित की गई थी? यदि हां, तो कब और कितनी?

(3) सरकार द्वारा उक्त अकादमी के लिए कितनी राशि का आबंटन किया गया, उसमें से कितनी राशि व्यय की जा चुकी है, कितना कार्य पूर्ण हो चुका तथा कितना कार्य लम्बित है? सरकार शेष कार्य कब तक पूर्ण कर खेल गतिविधियों को प्रारम्भ करने का विचार रखती है?

युवा एवं खेलकूद मंत्री (श्री युनुस खां) : माननीय अध्यक्ष महोदय (1) जी नहीं।

(श्री युनुस खां)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : Hon'ble Speaker, I would like to ask the hon'ble minister concerned, then what for was five hectares of land acquired?

श्री अध्यक्ष : हिन्दी में बोलें तो अधिक उपयुक्त होगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : I will do that. I will do that

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : आपकी विद्वता पर, आपकी अंग्रेजी के ज्ञान पर कोई शक नहीं है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : Thank you very much. Thank you very much, Sir.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : यह है आधुनिक भाजपा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : मैं हिन्दी में बोल लेता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप नहीं हो इस आधुनिक भाजपा की सरकार में, आप नहीं हो, आप तो पुराने रूप में आओ तभी नम्बर आएगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसे लोग यहां बैठे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कि पांच हैक्टेयर जमीन शाहपुरा में 1999 में क्रीड़ा परिषद् ने एक्वायर की थी, उसके बाद में दो हैक्टेयर जमीन और एक्वायर की गई। अगर अकादमी नहीं बनानी है तो क्रीड़ा परिषद् ने यह जमीन किसलिए एक्वायर की और आज तक 10 हैक्टेयर जमीन को लेकर यह कर क्या रही है?

श्री युनुस खां : माननीय अध्यक्षजी, अकादमी शाहपुरा (भीलवाड़ा) में प्रस्तावित थी और यहां स्टेडियम ही था जिसमें अलग-अलग समय में जो पांच एकड़ भूमि ली गई उसमें कुल 9 लाख रुपये की राशि खर्च हुई और 9 लाख

(श्री युनुस खां)

रुपये की राशि के अनुसार पूरा निर्माण हो गया। अब यहां पर अकादमी प्रस्तावित नहीं है, वह भीलवाड़ा में प्रस्तावित है इसलिए जो दो एकड़ भूमि ली गई उसके बारे में अभी ज्ञान में दिया गया है, क्योंकि हमारे रिकार्ड में पांच एकड़ का ही है इसलिए दो एकड़ की और जांच की जाएगी। माननीय सदस्य ने पूछा है इसकी और जांच की जाएगी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, एकड़ नहीं है, मैं 9 हैक्टेयर की बात कर रहा हूं। यह 5.11 हैक्टेयर और 1.59 देट इज मोर और लेस दो हैक्टेयर हो जाती है। 5 और अगर यह है तो कम से कम 8 से 9 हैक्टेयर जमीन है और 9 हैक्टेयर जमीन पर स्टेडियम बनना कब है, यह 99 में एक्वायर हो गई, नगरपालिका सीमा में एक बहुमूल्य चीज है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कांग्रेस के राज में होगी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : यह कांग्रेस के जमाने में ही एक्वायर हुई थी।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं बोलें, नगर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : पांच साल तक सरकार लेकर बैठी रही। हम तो यह पूछना चाहते हैं कि आखिर करेंगे क्या इस जमीन का?

श्री युनुस खां : माननीय अध्यक्षजी, सम्मानित सदस्य का प्रश्न अकादमी के सम्बन्ध में था इसलिए मैंने उसका आंसर दे दिया है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : अगर हमको स्टेडियम बनाना है।

श्री युनुस खां : और जहां तक स्टेडियम का है, वह भी मैंने इनको बता दिया है कि हमारे पास एक्वायर्ड लैंड थी उसमें जो प्रस्तावित स्टेडियम था जितनी राशि स्वीकृत थी वह पूरी हो गई है। धन्यवाद।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 9 लाख रुपये कहां लगाये, वहां तो दीवार तक नहीं ही, नींव तक नहीं खुदी, आखिर लगा कहां है 9 लाख रुपये। वह तो धरातल पर जमीन सपाट पड़ी है, जरा भेजें किसी को, जांच तो करवायें।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या जांच करवाएंगे?

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताएं कि क्या जांच करवाएंगे कि वह कहां पर खर्च हुए हैं?

श्री अध्यक्ष : केवल बैराठ से आने वाले माननीय सदस्य पूछेंगे, आप लोग बीच में नहीं खड़े हों।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आखिर 9 लाख रुपया लगा कहां है? वहां वस्तुस्थिति तो यह है कि वहां तो सिर्फ जमीन पड़ी है और जमीन का खाता क्रीड़ा परिषद् के नाम पर हो गया है। 9 लाख रुपया अगर लगा है तो कहां लगा है, पांच साल में अगर लगा है तो किसके लिए लगा है? और 10 हैक्टेयर जमीन को पांच साल तक लेकर पटकने का क्या औचित्य था यह तो कम से कम बताएं। या तो आप इसकी जांच करवाइए और जो भी उसका हो वह सदन की मेज पर रखें, हमें कोई ऐतराज नहीं है।

श्री युनुस खां : माननीय अध्यक्षजी, मैंने माननीय सदस्य को बताया कि 18.2.1999 को 2 लाख रुपये, 1.2.2001 को 3 लाख रुपये और 20.11.2001 को 4 लाख रुपये, कुल 9 लाख रुपये की राशि की यहां यू.सी. भी आ गई है। अगर माननीय सदस्य को यह है कि वहां इस तरीके का कोई काम नहीं हुआ तो निश्चित रूप से विभाग उसकी जांच करवाएगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : धन्यवाद। एक और, अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से पूछना चाहूंगा कि आखिर जब कुछ पांच साल में करना ही नहीं था तो जब 5 हैक्टेयर जमीन दे दी गई तो फिर 2 हैक्टेयर जमीन और क्यों माँगी? और 2 हैक्टेयर और मांग कर 7.8.2000 से लेकर आज कम से कम 2004 चल रहा है, जमीन क्यों लेकर बैठे हुए हैं और 9 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं, स्टेडियम कोई छोटी-मोटी चीज थोड़े ही है, करोड़ रुपया लगेगा तब जाकर स्टेडियम बनेगा, अगर बजट ही नहीं है तो यह जमीन क्यों एक्वायर की गई ?

श्री युनुस खां : माननीय अध्यक्षजी, सम्मानित सदस्य को मैंने कहा है कि जो राशि दी गई है उसकी भी जांच होगी और जो 2 हैक्टेयर जमीन और ली गई है, हमारे रिकार्ड में नहीं है उसकी भी, दोनों की जांच करवा ली जाएगी और माननीय सदस्य को बता दिया जाएगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, थैंक यू वेरी मच।

श्री अध्यक्ष : खेल मंत्रीजी, आप यह बता दें कि शाहपुरा (बैराठ) से शाहपुरा (भीलवाड़ा) का आर्डर कब हुआ? बस इतना-सा बता दें।

श्री युनुस खां : माननीय अध्यक्षजी, आर्डर नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर नहीं हुआ तो आपने परिवर्तन कैसे किया है?

श्री युनुस खां : यह अखबार में आ गया है उसके बिहाफ पर आपने पूछा है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : नहीं, मैं माफी चाहता हूं अखबार में नहीं आ गया, यह तो लैंड रिकाड्र्स कह रहे हैं, खसरा, गिरदावरी की नकल है, कलक्टर का लैटर है, हो सकता है अकादमी का नाम अगर आप... please don't go under the definition of Academy.

स्पोर्ट्स कौंसिल बात कर लीजिए, स्टेडियम को आखिर चलाने के लिए वहां गिल्लीडंडा थोड़े ही खेला जाएंगा, कोई न कोई वहां क्रिकेट या फुटबाल खेले जाएंगे।

श्री युनुस खां : आपका मूल सवाल अकादमी के सम्बन्ध में था।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : Why are you catching on to the word of `academy'? It could be a sports complex also. What for the land has been acquired? It has been acquired for some sports facility or some sports or game. Let us bring that to the knowledge of the House at least.

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप तो यह बताइये कि जिस परपज के लिए जमीन एक्वायर की गई है उसका निर्माण होगा या नहीं होगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : आखिर में, अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मेरा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : चाहे आप इसको स्पोर्टस कौंसिल कहें, चाहे आप अकादमी कहें, चाहे स्टेडियम कहें, अब आप इसको बनाने का इरादा रखती है या नहीं रखती है आपकी सरकार? कृपया यह बताएं।

श्री युनुस खां : हां तक निर्माण का है, माननीय अध्यक्षजी, निर्माण के बारे में आपने पूछा है, हमारे पास अभी इतने संसाधन नहीं हैं कि अभी इसका निर्माण करवाया जा सके और मैंने, आपने पूछा है 2 हैक्टेयर जमीन के बारे में उसकी पत्रावली मंगवा कर देख ली जाएगी और उसके बारे में आपको जवाब दे दिया जाएगा। धन्यवाद।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह बात इनके सूचनार्थ प्रेषित करना चाहूंगा कि जो नक्शा इन्होंने पेश किया है उसमें फुटबाल की फील्ड है, क्रिकेट फील्ड है, इन्होंने वहां बेडमिंटन कोर्ट के लिए प्रस्ताव रखा है और जिस वजह से इनके द्वारा और जमीन मांगी गई है और वह इन सारी चीजों के लिए मांगी गई है, पेवेलियन तक का वहां है और कम से कम 10 हैक्टेयर की बाउंडरी बॉल तो यह बनवा दें वरना उस जमीन का ही पता नहीं पड़ेगा, थोड़े दिन बाद में काश्तकार उस पर कब्जा और कर लेंगे।

श्री युनुस खां : नये वर्ष में बजट आएगा तो...

श्री राव राजेन्द्र सिंह : जब आपने एक्वायर कर ली तो बजट का...

श्री अध्यक्ष : कहने दीजिए आप उन्हें, बोलें।

श्री युनुस खां : संसाधनों के आधार पर सम्भव होगा तो बाउंडरी बना दी जाएगी, अभी हमारे बजट में है ही नहीं पैसा। धन्यवाद।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका कोई यह तो जवाब नहीं हुआ, जमीन एक्वायर कर लो और पैसा नहीं था तो जमीन क्यों ली?

मोहम्मद माहिर आजाद : सौ दिन में ही नहीं बनाओगे तो पांच साल में तो बनाने की बात तो करो।

श्री अध्यक्ष : शाहपुरा (बैराठ) से ले गये हैं शाहपुरा (भीलवाड़ा)।

मोहम्मद माहिर आजाद : सौ दिन में नही बनाया, अब तो बहुत पैसा आया है, कहां गया वह? (व्यवधान) स्टेडियम बनवाने की बात करो।

श्री अध्यक्ष : राजसंमद से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : इनका तो इलाज करो।

श्री अध्यक्ष : आपको जवाब देने का कोई अधिकार नहीं है, मंत्रीजी देंगे जवाब।

मोहम्मद माहिर आजाद : बदहजमी हो रखी है इनको।

श्री युनुस खां : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया स्टेडियम के सम्बन्ध में कि वहां पर कुछ भी निर्माण नहीं है, इसके लिए मैं सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि उसकी जांच करवा ली जाएगी और दोषी अगर कोई होगा तो उसको सजा भी होगी। धन्यवाद।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : आप दोषी को सजा देने को आप दे दीजिए, वह तो बीती बात भी हो गई, आप जवाब सदन को वह दे रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो फिर जमीन लौटा दीजिए, वहां पर और किसी काम में लेंगे अगर पैसा नहीं है तो, आप 10 हैक्टेयर जमीन को लेकर आप यह जवाब नहीं दे सकते सदन को कि हमारे पास पैसा नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : पैसा है तो स्टेडियम बनाओ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, क्या इस सदन को मैं स्थगित कर दूं?

मोहम्मद माहिर आजाद : और पैसा नही है तो जमीन डिएक्वायर करो, दोनों में से एक काम तो करो आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, (व्यवधान) क्या इस प्रश्न को मैं स्थगित कर दूं ?

मोहम्मद माहिर आजाद : जमीन भी रख रहे हो और पैसा भी नहीं है, दोनों काम थोड़े ही चलेंगे एक साथ?

श्री अध्यक्ष : माननीय खेल मंत्रीजी, मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या मैं इस प्रश्न को स्थगित कर दूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा शानदारं जवाब नये-नये मंत्री ने दिया है, आपको तो साधुवाद देना चाहिए। ऐसा शानदार जवाब दिया है इन्होंने सारी बात का उत्तर दे दिया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : काहे का जवाब आया है? नहीं, नहीं, राठौड़ साहब, यह काहे का जवाब है? दो ही स्पेसिफिक सवाल हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप निर्माण कराइये और नहीं है तो फिर डी-एक्वायर करने की घोषणा कीजिये। आप क्या उसको डी-एक्वायर कर रहे हो? यह क्या बात हुई?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : इनको कहिये कि ये थोड़ी तैयारी करके आयें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं जांच कराउंगा, कार्यवाही कराऊंगा, क्या कार्यवाही करेंगे आप? कुछ भी नहीं आया है प्रश्न का...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक समय में एक सदस्य प्रश्न पूछे।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो मंत्रीजी देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप इतने एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक-एक करके प्रश्न पूछिये।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बिलकुल सही फरमाया है, आपने बिलकुल सही फरमाया है, बिना तैयार के मंत्रीजी आ गये हैं, प्रश्न को स्थगित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : तैयारी की बात नहीं है, जो जमीन वहां पड़ी हुई है उसका उपयोग होगा या नहीं होगा? यह जानने के लिए पूछा है।

एक माननीय सदस्य : माननीय खेल मंत्रीजी, जब भी बजट की व्यवस्था होगी...(व्यवधान)

मोहम्द माहिर आजाद : माननीय खेल मंत्रीजी, आप तो दो में से एक बात बताइये कि या तो आप निर्माण करायेंगे...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने स्पष्ट बता दिया है कि वित्तीय उपलब्धता होते ही अगला कार्य शुरू करेंगे। इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि धन का अभाव है और जैसे ही इनको फण्ड मिलेगा ये बना देंगे विभाग से। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : मैं शाहपुरा से आने वाले सदस्य आने वाले माननीय सदस्य से इत्तफाक रखता हूं। आप जमीन या तो उनको वापस करें या फिर पैसा लगावें, दो में से एक ही बात होगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : बस एक ही बात हो सकती है कि या तो निर्माण करायें, बजट का प्रावधान करिये और नहीं तो डी-एक्वायर कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को इस बात का जवाब देना चाहिए यहां।

श्री अध्यक्ष : एक-एक सदस्य तो बोले। एक साथ खड़े हो जाते हैं आप। माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री युनुस खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने अकादमी के बारे में सवाल पूछा था उसका भी जवाब दे दिया और स्टेडियम के बारे में इन्होंने पूरक प्रश्न पूछा था उसमें जितनी राशि खर्च हुई उसका भी ब्यौरा दे दिया और आपने दो हैक्टेयर जमीन की बात कही तो उसकी पत्रावली मंगाकर के आपको सूचना दे दी जाएगी, यह मैंने बता दिया। उसके अलावा इन्होंने कहा कि वहां जो 9 लाख रुपये की राशि खर्च हुई है उसका वहां पर कुछ भी नहीं बना, उसके लिए मैंने बिलकुल घोषणा कर दी है कि उसकी जांच कराई जाएगी, दोषी होगा तो सजा दी जाएगी और उसकी पत्रावली मंगाकर के बता दिया जाएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं। यह सवाल नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल तो यह है कि आप वहां पर निर्माण करायेंगे या आप जमीन डी-एक्वायर कर देंगे? अगर आपके पास निर्माण कराने की राशि नहीं है तो क्या उस जमीन को आप डी-एक्वायर करेंगे? यह बताइये आप तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तो खजाना खाली छोड़कर गये थे। एक महीने में ही दिखने लग गया कि जवाब नही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आप बार–बार यों ही उठ जाते हैं। माननीय खेल मंत्रीजी, सीधा-सा प्रश्न है, प्रश्न यह है कि आप अकादमी की स्थापना करने जा रहे हैं तब तो बता दीजिये कि करेंगे और खेलकूद आकदमी की स्थापना नहीं करेंगे तो बता दीजिये कि नहीं करेंगे। इसका जवाब दे दीजिये आप।

श्री युनुस खां : माननीय अध्यक्ष, नहीं। अकादमी की स्थापना नहीं करने जा रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो डी-एक्वायर करेंगे क्या वापस? फिर उस जमीन का क्या करेंगे अगर आप अकादमी की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो? You should de-acquire the land. What is your proposal?

श्री अमराराम (धोद) : उस जमीन को डी-एक्वायर तो करें जिससे वो जमीन तो काम में आये। जमीन को एक्वायर करने के अलावा काम क्या किया है? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उधर से बात करिये।

श्री अमराराम (धोद) : जब सरकार का खजाना खाली है तो जमीन तो छोड़े जिससे उसमें उत्पादन तो हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, यदि आपको अपनी सीट पर कोई तकलीफ है तो दूसरी जगह आपका स्थापन परिवर्तन कर दें, आप खामख्वाह में उठते हैं। शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, मैं उन्हें अब बाध्य नहीं कर सकती इसलिए मैं नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार रही हूं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : ठीक है मैडम थैंक्यू।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : मैडम, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। प्रश्न ही बोल रही हूं। मैडम, आप विपक्ष वालों को बोल दीजिये कि बीच में न बोलें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, सीकर से आने वाली माननीय सदस्या, आप केवल अपने प्रश्न का नम्बर पुकारें। आप केवल अपने प्रश्न का नम्बर पुकारिये। नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह राठौड़ी नहीं चली।

श्री अध्यक्ष : ये नई–नई हैं, आप यों क्या करते हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार माननीय सदस्या आई हैं, महिला हैं, आप जरा ध्यान रखें। (व्यवधान) मैं तो आपको भी दी थी पर आप भी ऐसे निकल गये।

श्री अध्यक्ष : नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप बहुत बोलते हैं

एक माननीय सदस्य : एक महिला सदस्य बोल रही हैं।

एक माननीय सदस्य : वह आपकी भी तो है महिला जो उधर बैठी हैं।

डा. जालम सिंह रावलोत : जब मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो आपने नहीं बोलने दिया था। 28 में से 20 मिनट आप लोगों ने खराब किये थे। पहली बार आने वालों के साथ आप ऐसा व्यवहार करते हों।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इधर देखकर के नहीं बोलें, आसन की तरफ देखकर के बोलें। श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

45. **श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा निजी संस्थानों के माध्यम से संचालित की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या राज्य में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ है? यदि नहीं, तो क्या यह भी सही है कि प्रशिक्षित स्टाफ के अभाव में उक्त कार्य निजी संस्थानों को दिया गया है?

(3) क्या यह सही है कि शिक्षार्थियों को केवल कम्प्यूटर उपकरण

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

संचालित करने का ही ज्ञान दिया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार अब विद्यालयों में प्रशिक्षित स्टाफ कब तक पदस्थापित करने का विचार रखती है?

(4) क्या यह सही है कि निजी संस्थानों को दिये गये ठेकों में अनियमितताएं हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी जांच करवाई गई? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : (1) जी हां। राज्य में कम्प्यूटर शिक्षा स्ववित्त्त पोषित योजनान्तर्गत निजी एजेंसियों के माध्यम से संचालित हैं।

(2) राज्य में कम्प्यूटर शिक्षा स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निजी एजेंसियों के माध्यम से संचालित है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर निजी एजेंसियों के द्वारा लगाये जाते हैं।

(3) निजी एजेंसियों द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक कम्प्यूटर शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है एवं इंस्ट्रक्टर भी निजी एजेंसियों द्वारा ही लगाये जाते हैं। राज्य सरकार के स्तर से प्रशिक्षित स्टाफ लगाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(4) कम्प्यूटर शिक्षा हेतु निजी संस्थाओं को दिये गये ठेकों में अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच बाबत शिक्षा सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा जांच कमेटी दिनांक 23.1.2004 को गठित की गई है।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : माननीय मंत्रीजी, राजस्थान में ऐसे कई शहर हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, बीकानेर, यहां पर बिजली ही नहीं रहती थी जब कांग्रेस की सरकार थी तब इनको कम्प्यूटर प्रशिक्षण किस तरह दिया जाता था और वहां पर करोड़ों रुपयों के फर्जी बिल बनाकर के कम्पनियों के उठाये गये हैं। आप यह बताइये।

श्री अध्यक्ष : पहले उनके प्रश्न का जवाब आने दीजिये। उसके बाद आपको मौका दूंगी। पहले उनका जवाब आने दीजिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : बाड़मेर, जैसलमेर में कोई कमी नहीं है बिजली की। वहां कोई कमी नहीं है बिजली की।

एक माननीय सदस्य : आप तो कम से कम जवाब मत दो, इनको देने दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अभी विश्नोई साहब को इसका अहसास नहीं है कि वो उधर चले गये हैं। जवाब देने के लिए खड़े हो गये।

श्री रामसिंह विश्नोई : मुझे अहसास है लेकिन पर्टिकुलर जिलों के अन्दर कोई प्राब्लम नहीं है, मैं यह कह रहा था।

श्री अध्यक्ष : धीरे-धीरे अहसास हो जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो पूछा है, मैं कहना चाहूंगा कि राज्य में कम्प्यूटर शिक्षा दो खण्डों में की गई। पहला 624 में, उसमें नगरपालिका, नगर परिषदों के इलाकों में की गई जिसकी नोडल एजेंसी बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, राजस्थान को बनाया गया था, उन सब स्थानों पर बिजली की व्यवस्था थी। उसके बाद में जो दूसरी बाकी सारी जगहों पर की गईं उनमें यह कहा गया था कि जहां बिजली की व्यवस्था हो वहां इस काम को करना है और जहां 50 विद्यार्थी मिल रहे हों वहां पर इस काम को करना है। ऐसी कोई पर्टिकूलर शिकायत मेरे पास अभी इस समय नहीं है जिसमें कह सकूं कि जहां बिजली नहीं थी और पैसा वसूल कर लिया गया है। यह सही बात है कि बहुत से स्थानों से इस प्रकार की शिकायतें आईं जिसके कारण से एक समिति गठित की गई है जिसमें शिक्षा सचिव हैं, वित्त विभाग के आदमी हैं, विधि विभाग के आदमी हैं, नोडल एजेंसी जो बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन है, उसके आदमी हैं, विधि परामर्शी हैं। सबकी मिलाकर तीन बार इस समिति की मीटिंग हो चुकी है और उस मीटिंग के बाद में हमने उसमें तीन बातें तय की हैं। पहली बात तो यह तय की है कि कम्प्यूटर एजुकेशन के बारे में जितनी भी शिकायतें आई हैं, उसमें पहला तो फीस लेने का काम हमने रोक दिया है कि राज्यभर में जो फीस वसूल की जा रही थी उसको रोक दिया है। दूसरा जो निर्णय हमने किया है वह यह है कि उनको दी जाने वाली राशि थी उस राशि को भी रोक दिया है। अब किसी भी एजेंसी को कोई राशि न विद्यार्थियों द्वारा दी जाएगी, न और किसी के द्वारा दी जाएगी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, इसलिए कि वहां व्यवस्था नहीं थी, कम्प्यूटर लगे नहीं थे इसलिए रोक दिया।

तीसरा, अध्यक्ष महोदय, हमने यह किया, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी, बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन राजस्थान और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डाइरेक्टर, इन दोनों के बीच में एक अनुबन्ध, एम.ओ.यू. साइन हुआ जो पहली बार हुआ, जिन लोगों ने अनिवार्य रूप से दो साल की ट्रेनिंग नहीं ली है, उन लोगों को बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा। अभी उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई थी और मैंने यह निर्देश दिये हैं कि पांच लाख राजस्थान में ऐसे बच्चे हैं इसलिए किसी भी कीमत पर, कम्प्यूटर की उन्होंने ट्रेनिंग ली या नहीं ली, बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन की परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया जाये, यह फैसला कर दिया है और चौथा, अध्यक्ष महोदय, यह कर दिया है कि छह जिलों में, बून्दी है, दौसा है, ऐसे हर डिवीजन के एक-एक जिलों में हमने कलक्टर और शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर प्रतिनिधि, इन दोनों की एक कमेटी बनाई है, यह सारे जिलों में, जिस प्रकार का काम इन कम्पनियों ने दिया है, इन छह जिलों की पूरी रिपोर्ट इस कमेटी के पास आ जायेगी और 29 फरवरी तक इस कमेटी को मैंने रिपोर्ट देने का समय दिया है, जब सारा इसमें विगतवार विवरण आ जायेगा, तब मैं बताने की स्थिति में होऊंगा कि इसमें कितनी गड़बड़ हुई है, आगे की कम्प्यूटर की शिक्षा की नीति क्या होगी और किस प्रकार से उसका संचालन किया जायेगा, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : अध्यक्षजी, महाविद्यालयों में इसकी अलग-अलग स्तर पर इनसे फीस ली गई है। जब विद्यालयों में इस प्रकार ली गई है किसी से 450 रुपये, किसी से 405 रुपये, किसी से 504 रुपये और किसी से 444 रुपये, मैं मंत्री महोदय को ऐसा बताना चाहती हूं कि इस कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर सरकार ने जो कम्पनियों से सौदेबाजी करके अपनी जेब भर ली है, वहां कम्प्यूटर कम्पनी परीक्षाओं में मात्र लम्बे-चौड़ बिल बनाकर छात्रों से पैसा वसूल किया करती थी, राजस्थान के छात्र जो कि सरकार की चालबाजी के कारण इनकी जो गहलोत सरकार थी, उसके बारे में बता रही हूं, आप इसकी जांच करवाइये मंत्री महोदय और उनके जो लम्बे चौड़े बिल छात्रों को दिये जा रहे थे, इसके बारे में भी जांच करवाइये। धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत है क्या? अध्यक्ष महोदय, इजाजत है आपकी ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिये, प्रश्न पूछा है उन्होंने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, पहले सबको यह कहा गया कि अलग-अलग रेट्स आई थी। हमने सबको तय करके राज्य सरकार ने कह दिया था कि 50 रुपये प्रति लड़के के हिसाब से वसूल किया जायेगा। विद्यालय उससे लेती थी और सरकार बीच में इसमें पैसा वसूल नहीं करती थी। विद्यालय की प्रबन्ध समिति पैसा लेती है और वह जहां पर जो काम करने वाले हैं, उनका पैमेंट करते थे। जिन कम्पनियों को फ्रेंचाइजी के आधार पर जो कम्पनियां थीं, जिन कम्पनियों को पैमेंट होना था, इसलिए मैंने कहा माननीय सदस्य को कि राज्य सरकार ने तय किया है कि अब कोई भी फीस वसूल नहीं की जायेगी, एक, और जब तक कमेटी का निर्णय नहीं आयेगा, तब तक कम्पनियों को भी पैमेंट नहीं किया जायेगा, दो, यह निर्णय कर दिया है। बाद की अनियमितताओं के बारे में जब रिपोर्ट आ जायेगी और तीसरा, मैं कहना चाहूंगा, जिन विद्यालयों में बिजली के कनेक्शन नहीं थे, उन विद्यालयों में न तो कम्प्यूटर की फीस ली गई है और न कम्प्यूटर की उनकी व्यवस्था की गई है।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है...

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न, श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल : प्रश्न संख्या 46.

श्री अध्यक्ष : आ गया, सब आ गया।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत अनियमितताएं हुई हैं। (व्यवधान) बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इसमें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जिन बच्चों से फीस ले ली गई, जहां कम्प्यूटर लगे नहीं, उन बच्चों की फीस वापस करेंगे आप?

श्री ओम बिरला (कोटा) : उन कम्पनियों में जो घोटाला हुआ है, उनकी सम्पूर्ण जांच होनी चाहिए, दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

डा. एन. एस. गुर्जर : इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। एक संस्था है कम्प्यूकाम...(व्यवधान) उसको ठेका दे दिया और उसने सब-लैट कर दिया। और सब-लैट करने के बाद में, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने शर्तें बदल लीं। क्या यह सही है मंत्री महोदय, एक संस्था है कम्प्यूकाम... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक-एक प्रश्न का जवाब दूंगा मैं।

श्री अध्यक्ष : अब उन्होंने सारी बात तो बता दी है।

डा. एन. एस. गुर्जर : एक संस्था कम्प्यूकाम है, अध्यक्ष महोदय, क्या कम्प्यूकाम को अधिकतर जगहों का ठेका दे दिया गया और उसने क्या सब-लेट कर दिया और सब-लैट भी उन संस्थाओं और व्यक्तियों को किया गया जो न तो ट्रेंड थे और न जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था और उसके बाद उनसे एक साथ एक मुश्त राशि लेकर, 50,000 रुपये और एक लाख रुपये लेकर इस कम्प्यूकाम ने सब-लैट कर दिया। सब-लैट करने के बाद उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उन्होंने स्कूलों से पर बच्चे के हिसाब से, पर छात्र के हिसाब से फीस वसूल कर ली और जब वह कम्प्यूटर शिक्षा नहीं दे पाये तो जब परीक्षा होने लगी तो परीक्षा से ठीक पहले राज्य सरकार ने वापस एक आदेश निकाला कि यह जो कम्प्यूटर शिक्षा है, वह जरूरी नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ...

श्री अध्यक्ष : आप सीधे-सीधे सवाल पूछिये ना।

डा. एन. एस. गुर्जर : कम्प्यूकाम को कितने लाख, कितने करोड़ का ठेका दिया, उसने कितनी संस्थाओं को सब-लैट किया और उसने कितने करोड़ रुपये उसके नाम पर लोगों से वसूला गया? और क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी और इसमें कौन-कौन लोग सम्मिलित हैं? मैं आरोप लगाना चाहता हूं तत्कालीन सरकार पर कि उन्होंने करोड़ों रुपये खाये कम्प्यूकाम से, क्या इसके बारे में आप जवाब देंगे कि कम्प्यूकाम से करोड़ों रुपये खाये और विद्यार्थियों का शोषण किया गया है, इसके बारे में बतायें।

श्री ओम बिरला : करोड़ों-अरबों रुपयों का सबसे बड़ा घोटाला है, इसके बारे में जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : अध्यक्षजी, लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है, बच्चों से फीस वसूली गई है।

श्री ओम बिरला : यह बहुत गम्भीर मामला है। यह सरकार क्या उसकी जांच करायेगी? (व्यवधान) यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आप यह बता दो कि जिन बच्चों से फीस वसूल कर ली, जहां कम्प्यूटर लगे नहीं, आपने पूरी फीस वसूल कर ली, कम्प्यूटर लगे नहीं, उनकी फीस लौटाने का काम आप करोगे? क्या आप जिनसे फीस वसूल कर ली, उसको वापस लौटाने का काम करोगे?

श्री ओम बिरला : मंत्री महोदय, इसमें घोटाला करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपना स्थान ग्रहण करिये।

श्री ओम बिरला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन बच्चों को बेदर्दी से लूटा गया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। देखिये, आप बैठिये तो सही। स्थान तो ग्रहण करें।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, ये यह पूछ रहे हैं कि हमको तो पूछने दो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, फिर निवेदन कर रही हूं, एक माननीय सदस्य एक समय में एक ही खड़ा हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अनुमति दे दें। आप नाम पुकार लें।

श्री अध्यक्ष : आप 10-10 खड़े हो जाते हैं और आप जोर-जोर से बोलने लग जाते हैं। तो पहले प्रश्न का जवाब तो आने दीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : वह तो आ गया।

श्री अध्यक्ष : कहां आ गया। टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, उसका जवाब कहां आ गया।

श्री अमराराम (धोद) : एक साथ आ जायेगा। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : साथ दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, एक-एक का जवाब आने दीजिए। आप एक साथ इतने लोग खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी के साथ एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप एक साथ खड़े हो जाते हैं, इधर से भी, उधर से भी, कोई प्रश्न पूछने का तरीका है कि एक समय में एक सदस्य खड़ा हो, वह अपना प्रश्न पूछे तब तो माननीय मंत्रीजी जवाब दे पायेंगे। आप एक साथ बोलने लग जाते हैं, उनको सुनाई भी नहीं देता कि आप क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, यह तो कोई तरीका नहीं है आपका प्रश्न पूछने का।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है, यह बात सही है कि कम्प्यूकाम को जो पहली बार 624 स्कूलों में ठेका दिया था, उसमें अधिकांश में से कम्प्यूकाम को इसमें ठेका मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक, दूसरा, कुछ एम.ओ.यू. में परिवर्तन भी किया गया, जो गलत है। पहले जब इसकी एन.आई.टी. जारी हुई थी उसमें फ्रेंचाइजी या सब-लैटिंग का क्लाज नहीं था। लेकिन उसके बाद में सब-लैटिंग का, फ्रेंचाइजी का क्लाज डाला गया, एक, दूसरी बात यह भी सही है...

एक माननीय सदस्य : यहां गड़बड़ हुई है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप सुनो तो सही, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : फिर आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं। जवाब वे दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तीसरी बात, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सब-लैटिंग का मामला है, उसमें राज्य सरकार बीच में कहीं नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो शिकायतें आई हैं, सब-लैटिंग जिन लोगों को हुआ, वे लोग प्रतिनिधि मण्डल के रूप में मेरे से मिले हैं। एक बार नहीं, 50 बार आकर मिले हैं। उन लोगों को एक भी बार इस कम्पनी ने पेमेंट नहीं किया है। इस कम्पनी ने क्या किया कि स्कूलों में जिन-जिन लोगों को सब-लैटिंग किया, उन लोगों से रुपये लेकर, किसी से कितने, किसी से कितने, उनसे रुपये लेकर उनको स्कूलों को सब-लैटिंग कर दिया और उसके बाद में फीस इस कम्पनी ने ली। सब-लैटिंग करने वालों को फीस नहीं मिली, फीस सारी की सारी इस कम्पनी ने ली। इस कम्पनी ने वह फीस उन सब-लैटिंग वालों को नहीं दी। इस प्रकार से इंस्ट्रक्टर लगाया चाहे कम्प्यूटर लगाया, यह सब-लैटिंग वालों ने लगाया, पैसा वसूल इस कम्प्यूकाम ने कर लिया और इस कम्प्यूकाम की हजार प्रकार की शिकायतें हैं। इसका एक ए.सी.डी. में मुकदमा दर्ज है, एक इसका आडिट में पैरा बना हुआ है और इसकी हमने एक कमेटी बना दी है, यह सारी जांच आने के बाद कार्यवाही की जायेगी। मैं सदन को इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि, जिन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार या गलती की है, उसको किसी भी कीमत पर सरकार बख्शेगी नहीं और किसी भी विद्यार्थी को गलत पेमेंट, अब फीस उससे वसूली नहीं जायेगी और एक भी पैसा अब विद्यालय विकास समिति इस कम्पनी को दे नहीं सकेगी। जहां तक सब-लैटिंग वालों का सवाल है, सामान उनका लगा है, इंस्ट्रक्टर उनका लगा है, कोई कानूनी प्रावधान हमारे पास तो नहीं है, लेकिन कोई भी कानूनी प्रावधान देखकर राज्य सरकार उन सब-लैटिंग वालों की मदद करेगी ताकि वह अपना पैसा इस कम्पनी से वसूल कर सकेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, एक बात बता दो, जिन बच्चों से फीस ले ली...

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत एक बात पूछना चाहता हूं...

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : जिन बच्चों से फीस ले ली, उन बच्चों का क्या होगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप फिर एक साथ खड़े हो गये, क्या करते हैं आप?

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : अध्यक्षजी, जिन बच्चों से फीस ले ली गई है, क्या यह फीस वापस लौटाई जायेगी? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जहां शिकायत है, आप वहां रोक दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती अनिता भदेल। नैक्स्ट प्रश्न। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल : प्रश्न संख्या 46.

श्री अमराराम (धोद) : माननीय मंत्रीजी यह बता दें कि कम्प्यूटर लगाया नहीं, फीस वापस देंगे या नहीं देंगे। (व्यवधान) एक-एक लड़के से छह सौ रुपये ले लिये, कम्प्यूटर नहीं दिया गया...(व्यवधान)

श्री राजकुमारी शर्मा : उनकी फीस वापस लौटाई जायेगी, ऐसा है क्या?

श्री अमराराम (धोद) : फरवरी में किसी से फीस नहीं ली जा रही है, अब जिनसे फीस ले ली गई, कम्प्यूटर नहीं लगाया है, उनकी फीस वापस लौटायेंगे या नहीं लौटायेंगे?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का जवाब आ गया है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जिन बच्चों से फीस ली गई है क्या उनकी फीस वापस लौटाई जायेगी...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्षजी, अब ऐसा फर्जीवाड़ा... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : टोंक से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई मुकदमा दर्ज करवाया है क्या...

श्री अध्यक्ष : टोंक से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। प्रश्न का जवाब आ गया है। श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल : प्रश्न संख्या 46.

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान) नैक्स्ट क्वेश्चन, आप विराजें।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय मंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी, आप बैठिये।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, कम्प्यूटर गया नहीं, उससे फीस छह सौ रुपये ले ली...

श्री राजकुमारी शर्मा : उनकी फीस वापस लौटाई जायेगी, ऐसा है क्या ?

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल : 3 प्रश्न संख्या 46. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब कोई अध्यक्ष महोदय नहीं। श्रीमती अनिता भदेल।

श्री अमराराम (धोद) : विद्यार्थियों से ले ली गई और कम्प्यूटर दिखाया नहीं गया, हर विद्यार्थी से छह सौ रुपये से लिये गये, सीकर से ही, सीकर से छह सौ रुपये ले लिये...

श्रीमती अनिता भदेल : क्या खेल मंत्री बतायेंगे, प्रश्न संख्या-46 का जवाब देंगे?

श्री अमराराम (धोद) : कम्प्यूटर दिखाया नहीं, क्या उनकी फीस सब को वापस देने की ...

श्री अध्यक्ष : इसका ज़वाब तो दे दिया उन्होंने।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, जवाब यह दिया फीस लेंगे नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है, फीस तो ले ली, फीस तो जुलाई, 2003 में ही ले ली...

श्रीमती अनिता भदेल : प्रश्न संख्या 46.

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहुत जरूरी बात है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। श्रीमती अनिता भदेल। (व्यवधान) अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है...

श्री अमराराम (धोद) : इन्होंने छह सौ रुपये ले लिये, यह वापस तो करें। आप फीस लेंगे नहीं, फीस तो जुलाई, 2003 में ही ले ली, अभी तो 2004 चल रहा है। 2004 चल रहा है। जिनसे छह सौ रुपये प्रति विद्यार्थी से लिये हैं उनको अगर वापस करने के लिए नहीं है तो फिर क्या मतलब है इस जांच से...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मंत्री जवाब देना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह खा गये बच्चों से छह सौ रुपये प्रति विद्यार्थी के, पांच लाख विद्यार्थियों में से ढाई लाख विद्यार्थियों के पास कम्प्यूटर गया नहीं अभी तक। (व्यवधान)

श्री राजकुमारी शर्मा : जिन बच्चों की फीस ले ली गई है, उनको क्या लौटाने का है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है... (व्यवधान) और यह सदन को आश्वासन मिलना चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अमराराम (धोद) : दो दिन में हर विद्यार्थी से, पांच लाख में से ढाई लाख विद्यार्थियों को आज तक कम्प्यूटर दिखाया नहीं, सीकर जिले में जहां सौ से ज्यादा विद्यालयों में छह सौ रुपये प्रति विद्यार्थी लिये गये जुलाई, 2003 में और मंत्रीजी कह रहे हैं कि लेंगे नहीं, अब क्या नहीं लेंगे, अब कोई फीस नहीं ले रहा छह सौ रुपये, वह वापिस करने के आपको आदेश देने चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजकुमारी शर्मा : यह कांग्रेस राज में हुआ है, सब को दोषियों को जेल भिजवायें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, ढाई लाख विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ मामला है, ढाई लाख विद्यार्थियों से फीस ले ली और वहां कम्प्यूटर था नहीं, आप फीस लौटाओगे क्या, यह बता दो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : लौटाने के आदेश दे दें। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल : माननीय अध्यक्षजी, प्रश्न संख्या 46.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिन-जिन लोगों से, बच्चों से फीस ले ली, कम्प्यूटर वहां था नहीं, प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं था, उन बच्चों की फीस लौटाने की बात करो आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : न कम्प्यूटर गया, न ट्यूटर गया, आप उनकी फीस लौटा दो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान) सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की उत्तेजना को देखते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगी कि फीस लौटाने के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिये। (व्यवधान) अब नहीं, नो क्वेश्चन। नो मोर क्वेश्चन।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और इनको कानून के शिकंजे में लिया जाय सब को।

श्री अध्यक्ष : नो मोर क्वेश्चन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, जहां पर अभी तक कम्प्यूटर नहीं गया और फीस ले ली गई है, मैं निर्देश दे रहा हूं कि इन-इन विद्यालयों में बच्चों की फीस को वापस लौटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती अनिता भदेल।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पोटा लगाओ न इनके खिलाफ। यह नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है सारा।

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे नहीं बोलें।

पृथ्वीराज चौहान खेल नगर (अजमेर) पर व्यय

46. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व) : क्या खेल एवं युवा मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा पृथ्वीराज चौहान खेल नगर पर अब तक कितनी राशि निर्माण हेतु व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पृथ्वीराज चौहान खेल नगर के विकास हेतु प्रस्ताव जिला प्रशासन/नगर सुधार न्यास से सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार उस पर कब तक व क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? (व्यवधान) प्रश्न का उत्तर तो आने दीजिये प्लीज।

श्री युनुस खां (खेल एवं युवा मामलात मंत्री) : (1) नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा पृथ्वीराज चौहान खेल नगर पर निम्न प्रकार से राशि व्यय की गई:—

1. डब्ल्यू. बी. एम. सड़क	29.30 लाख
2. चार दीवारी	31.35 लाख
3. पुलिया निर्माण	4.59 लाख
4. मुख्य द्वार निर्माण	10.09 लाख
5. विद्युत व्यवस्था	5.50 लाख
कुल व्यय :	80.83 लाख

श्री अमराराम (धोद) : घोटाला?

श्री युनुस खां : (2) जी हां । नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा चन्द्रबरदाई नगर, अजमेर में खेल नगर के निम्न कार्यों हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे:—

1. मुख्य स्टेडियम
2. इण्डोर स्टेडियम
3. हॉकी स्टेडियम
4. आर्चरी व बास्केटबाल स्टेडियम
5. साईं ट्रेनिंग सेंटर (हॉस्टल बिल्डिंग के लिए)

(श्री युनुस खां)

उपरोक्त प्रस्तावों को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को दिनांक 23.7.2003 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी करने हेतु भिजवाये गये। भारत सरकार ने उक्त प्रस्तावों का परीक्षण के पश्चात् कुछ सूचनाएं चाही थीं। सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा चाही गयी सूचना तैयार की जा रही है।

एक अन्य प्रस्ताव अजमेर में एस्ट्रोटर्फ निर्माण के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक सहमति हेतु भारत सरकार को दिनांक 8.1.2004 को भेजे गये हैं। धन्यवाद।

श्रीमती अनिता भदेल : मैं यह पूछना चाहती हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह कब तक इनको स्वीकृति होकर कब तक फील्ड में वर्क शुरू हो जायेगा? यह मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं।

श्री युनुस खां : माननीय अध्यक्षजी, यह प्रस्ताव भारत सरकार को गये हुए हैं और उनमें कुछ क्वेरीज हैं और जो प्रस्ताव गये थे वह नियमानुसार नहीं थे और नगर सुधार न्यास, अजमेर के पास वापस आये हुए हैं, जब यहां से करेक्शन होकर के चले जायेंगे, जवाब वापस चले जायेंगे तो उसके बाद भारत सरकार उसको स्वीकृत करने की, क्योंकि मैं स्वयं दिल्ली जाकर के आया हूं, उन्होंने कहा कि वहां से जब जवाब आजायेगा तो हम स्वीकृति कर देंगे। धन्यवाद।

श्रीमती अनिता भदेल : मैं यह पूछना चाहती हूं कि मंत्री महोदय, नगर सुधार न्यास से कब तक उनको जो चाही गई सूचना है, उनको कब तक कम्पलीट करा कर भारत सरकार को भेज देंगे।

श्री युनुस खां : अभी मेरी कल स्वयं बात हुई है, उन्होंने दो दिन का समय चाहा है। धन्यवाद।

श्रीमती अनिता भदेल : दो दिन में क्या हम आश्वस्त हो जायं, सदन आश्वस्त हो जाय कि दो दिन में वह सूचना भेज देंगे भारत सरकार को?

श्री युनुस खां : बिलकुल, बिलकुल।

श्रीमती अनिता भदेल : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न के माध्यम से यह कहना चाहता हूं अजमेर के मामले में कि यह जो नगर सुधार न्यास का प्रस्ताव कहां से आया हुआ है उस पर मेरा माननीय मंत्री महोदय से कहना है कि इसके अंदर राज्य सरकार...

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : प्रश्न संख्या 47.

श्रीमती अनिता भदेल : एक सैकण्ड, पूछ लें। एक सैकण्ड।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : इसमें राज्य सरकार का हिस्सा, उनको वहां सहमति देनी है, नगर सुधार न्यास के बिहाफ के ऊपर, उसके बाद वहां से मंजूर होगा, एस्ट्रोटर्फ और साईं सेंटर बनने की तैयारी में पड़ा है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इसके अंदर व्यक्तिगत पहल करके इसको बहुत जल्दी पूरा कर दें ताकि सौ दिन की योजना के अंदर हम यह काम प्रारम्भ कर सकें।

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया मंत्रीजी ने।

श्रीमती अनिता भदेल : नहीं-नहीं। हां, बोलिये, बोलिये आप, मंत्री महोदय, बोलिये आप। इसका जवाब आप दे दें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया है न, मंत्रीजी को जवाब देना चाहिए। मंत्रीजी, मेरे को तो सिर्फ यही पूछना है कि केन्द्र सरकार ने आपको कब अधिकृत किया कि आप केन्द्र सरकार की स्वीकृतियों के बारे में यहां कह सको कि दो-पांच दिन में जारी हो जायेगी, चार दिन में हो जावेगी, यह अधिकृति का पत्र कब आपके पास आ गया, इसका बता दीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : कह तो दिया दो दिन का उन्होंने। बता तो दिया दो दिन का।

श्री युनुस खां : यह अधिकृति का पत्र नहीं है। मैं प्रस्ताव के आधार पर

(श्री युनुस खां)

कह रहा हूं, अधिकृति का पत्र नहीं है। केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजे हुए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दो दिन, चार दिन या...

श्री युनुस खां : नहीं, यह नगर सुधार न्यास के लिए बोला है मैंने। दो दिन के लिए उन्होंने कहा है, उन्होंने समय पूछा है इसलिए उसका जवाब दिया है।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति परीक्षा परिणाम

47. **श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति परीक्षा, 2003 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त परिणाम विलम्ब से जारी किया गया है? यदि हां, तो क्यों व क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : (1) जी नहीं, क्योंकि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान नहीं है।

(2) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति परीक्षा करवाये जाने का प्रावधान नहीं है अत: परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित करने का प्रश्न ही नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न पूछने का, प्रश्न गलत हो सकता है, यह लगा दिया मैंने, अनुसूचित छात्रवृत्ति परीक्षा परिणाम, अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रवृत्ति परीक्षा परिणाम...

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न नहीं पूछा उसका जवाब इनके पास नहीं होगा माननीय सदस्या। वह नहीं होगा इनके पास।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : मेरे पूछने का मतलब यह था कि अनुसूचित, एस.सी., एस.टी. की जो परीक्षा हुई है उसका जो परिणाम...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : माननीय सदस्या की मंशा को समझिए अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवा दें। (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : उसका जो परिणाम मई-जून में, मई के लास्ट वीक में और जून के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए...(व्यवधान)

श्री रमेश खींची : सदस्या की मंशा को ध्यान में रखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री कंसर्न, समाज कल्याण मंत्री महोदय से जवाब दिलवा दें या फिर...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : पहली बार महिला सदस्य आई हुई हैं उन्होंने सवाल किया है, समाज कल्याण मंत्रीजी बता दें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, 48. श्री बीरुसिंह राठौड़।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : (व्यवधान) आप कब से हो गये एस.सी/एस.टी के हितैषी। आपके कम एम.एल.ए. आये हैं इस बार हमारे 44 आये हैं।

एक माननीय सदस्य : आपका प्रश्न गलत हो सकता है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दौसा से आने वाले सदस्य सवाल दुहरा दें इनका।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, ये दो प्रकार के प्रश्न हैं आप कहें तो मैं जवाब दे सकता हूं। जवाब देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह है पूर्व मैट्रिक एस. सी./एस. टी. विशेष छात्रवृत्ति...

श्री अध्यक्ष : 48 का जवाब दीजिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दूसरा आगे भी पुकार लिया क्या आपने?

श्री अध्यक्ष : 48 पुकार लिया मैंने।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्षजी, दोनों का दे देंगे।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : जवाब तैयार है तो दीजिये प्लीज।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दे रहे हैं माननीय मंत्रीजी, देने दीजिये...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नयी सदस्य आयी हैं इनके पास जवाब है, देने दीजिये। क्या दिक्कत है? उन्होंने कह दिया की कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जवाब कहां है? उत्तर मैट्रिक की कोई परीक्षा होती ही नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, वो मंत्रीजी कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं देने को तो कहां दिक्कत है?

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : एस.सी./एस.टी. का मामला है मैडम थोड़ा जवाब मिल जाए।

श्री अध्यक्ष : उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति कोई होती ही नहीं है और कह दिया जी नहीं, जी नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : वो छात्रवृत्ति एस.सी./एस.टी. की सूचना का उत्तर दे रहे हैं कहां दिक्कत है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, बीरूसिंहजी राठौड़ वाला प्रश्न है न?

विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय

48. **प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में वर्तमान में कहां—कहां सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? उक्त विद्यालयों में किस—किस विषय के कौन—कौन से पद कब—कब से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

(2) उक्त क्षेत्र में कन्या सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं एवं क्या सरकार उन्हें पर्याप्त मानती है? यदि हां, तो किस आधार पर एवं नहीं तो क्या सरकार बालिका शिक्षा की वृद्धि हेतु कोई उपाय करने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कन्या शिक्षा निःशुल्क देने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो निजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाली छात्राओं हेतु सरकार की क्या योजना है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, (1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में निम्न 8 राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं:-

1. रा.उ.मा.वि., मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर।
2. रा.उ.मा.वि., खातीपुरा।
3. रा.उ.मा.वि., गणपति नगर।
4. रा.उ.मा.वि., रूपारामपुरा।
5. रा.उ.मा.वि., हीरापुरा।
6. रा.उ.मा.वि., दुर्गापुरा।
7. रा.उ.मा.वि., मीनावाला।
8. रा.उ.मा.वि., झोटवाड़ा।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खातीपुरा में एक अंग्रेजी व्याख्याता का पद सितम्बर, 2003 से रिक्त है। उक्त रिक्त पद के भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) उक्त क्षेत्र में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, झोटवाड़ा संचालित है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय कम है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आगामी वर्षों में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने पर विचार करना सम्भव होगा।

(3) राज्य में कक्षा 1 से 12 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को शिक्षण शुल्क से मुक्त रखा गया है। निजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाली छात्राओं हेतु नि:शुल्क शिक्षा देने की सरकार की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

प्रो. बीरुसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र भारत का सबसे बडा विधान सभा क्षेत्र है। अगर यहां पर शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए तो ठीक रहेगा। इस समय लगभग 5 लाख मतदाता हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आगे वाला पुकारिये न।

श्री अध्यक्ष : आपने जवाब दे दिया ?

प्रो. बीरुसिंह राठौड़ : मैं मंत्रीजी के उत्तर से संतुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष : जवाब देंगे वो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने ...

श्री अमराराम (धोद) : वो तो संतुष्ट हैं आपको जरूरत नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बस संतुष्ट हैं तो फिर क्या जरूरत है। वो कह रहे हैं मैं संतुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सी. डी. देवल।

सेवानिवृत्त कर्मियों की अनियमित पुनर्नियुक्ति

49. **श्री सी. डी. देवल (रायपुर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों व राजपत्रित अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के लिए नियम बने हुए हैं तथा क्या कार्मिक व वित्त विभाग द्वारा इस हेतु समय-समय पर परिपत्र जारी किए गए हैं? यदि हां, तो उक्त नियमों/परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री सी. डी. देवल)

(2) वर्तमान में शिक्षा कर्मी योजना, लोक जुम्बिश व डी.पी.ई.पी. में कितने अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति पर लगे हुए हैं? उक्त के नाम, पत्ते तथा पुनर्नियुक्ति की तिथि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में जो कर्मचारी/अधिकारी नियम विरुद्ध निर्धारित समय के बाद भी सेवा में कार्यरत हैं, को हटाने के लिए और नियम विरुद्ध नियुक्ति जारी रखने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति हेतु वित्त (नियम) विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 151 सपठित नियम 30 में प्रावधान किया हुआ है। कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.5.1999 की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। वित्त विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में पृथक् से कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है।

(2) वर्तमान में शिक्षाकर्मी परियोजना, डी.पी.ई.पी. एवं लोक जुम्बिश परियोजना में सेवानिवृत्ति पश्चात् कोई पुनर्नियुक्ति नहीं की गई है।

(3) जी नहीं। कार्मिक विभाग के स्पष्टीकारक आदेश के अनुसार ही पुनर्नियुक्त किया जाता है।

(आदेशों की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री सी. डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जब कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति पर नहीं है तो पिर डी.पी.ई.पी. परियोजना, लोक जुम्बिश परियोजना और शिक्षाकर्मी योजना में जो कर्मचारी लगा रखे हैं वो आपने किन नियमों के तहत लगा रखे हैं और उनको कैसे लगा रखा है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, लोक जुम्बिश, डी.पी.ई.पी. और शिक्षाकर्मी इन तीनों योजनाओं में सेवानिवृत्ति कर्मचारी लगे हुए हैं लेकिन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पुनर्नियुक्ति नहीं है उनको संविदा के आधार पर लगाया गया है – 1. लोक जुम्बिश में अपने नियम अलग से बनाये हुए हैं जिनको राज्य सरकार ने स्वीकृत किया हुआ है। जिला प्राथमिक शिक्षा के जो कार्यक्रम हैं वो भी राज्य सरकार के विभिन्न परिपत्रों द्वारा जारी नियमों के अन्तर्गत हैं और शिक्षाकर्मी में शिक्षाकर्मी बोर्ड बना हुआ है, इन तीनों में अलग-अलग रूप से लागू किये हैं। इनमें कोई भी पुनर्नियुक्ति नहीं की गयी है, संविदा के आधार पर इनकी नियुक्ति की गयी है और संविदा के आधार पर की गयी नियुक्तियों की सूची मैंने आपको दे दी है कि किन-किन कर्मचारी/अधिकारियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया हुआ है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है लोक जुम्बिश में जो संविदा में जो आपकी गवर्नमेंट के जो नियम हैं कि किस पोस्ट पर कितने वेतन में आदमी लगाया जाए, क्या लोक जुम्बिश में कुछ लोगों को इस तरह से लगाया गया है अधिकारी और दूसरे पदों पर जिसमें अध्यक्ष महोदय, 10 हजार जिसको देने थे उसको 20 हजार रुपये और 20 हजार रुपये जिसको जिस संवर्ग में लेना था उसको 30 हजार रुपये और इस तरह से उनको विदेशों में भेजा गया, उस पैसे का दुरुपयोग किया गया। यह संस्था इसलिए थी कि गांवों में सुदूरपूर्व में जहां शिक्षा की गुणवत्ता बनायी जाए और शिक्षा दी जाए तो क्या आप यह जांच करायेंगे कि ऐसे कौन-कौन से अधिकारियों को हाई वेतन, बहुत ज्यादा पे पर रखा गया। वेतन पर संविदा के आधार पर ज्यादा पैसे में रखा गया उनको विदेशों में बिना वजह से भेजा गया जिसके कारण इस पैसे का सदुपयोग जो गांवों में शिक्षा देने के लिए हो सकता था वो नहीं हुआ, दुरुपयोग हुआ। क्या इसकी आप जांच करायेंगे कि इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले जो प्रश्न उन्होंने पूछा उसका जवाब आने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इससे जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको भी कॉल करूंगी। मैं आपको कॉल करूंगी। इनका तो आने दीजिये।

श्री सी. डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता मैं हूं कम से कम मुझे तो सप्लीमेंटरी पूछने दें।

श्री अध्यक्ष : आप मूल प्रश्नकर्ता भी पूछ लें। हां-हां बिलकुल पूछ लीजिये आप।

श्री सी. डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि एक तरफ राजस्थान में बेरोजगारी फैल रही है, बेरोजगार नवयुवक इधर उधर डोल रहे हैं और दूसरी तरफ आप अनुबन्ध के आधार पर रख रहे हैं। आपने पुनर्नियुक्ति न करके अनुबन्ध शब्द रख दिया है तो इस अनुबन्ध की व्यवस्था को समाप्त करके कब तक आप नौजवानों को रोजगार देंगे? जैसी कि आपकी सरकार की नीति है। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : बेरोजगारी आपने की है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा (लालसोट) : बेरोजगारी है तो आपने ही तो किया है (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, आप इनको समझायें कि ये आपको संबोधित करें। इनको प्रशिक्षण दिया है वैंकेया नायडू ने आकर के, फिर भी ये प्रशिक्षित नहीं हो पाये हैं। इसलिए आप इनको पहले प्रशिक्षित करा दें। मंत्रीजी बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं। या इनको पॉवर डेलीगेट कर दिया है तो यह बता दो। बार-बार ये बोलते हैं पांच सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, देवल साहब विराजो।

श्री अध्यक्ष : आप तो स्थान ग्रहण कर लें। आपने प्रश्न पूछ लिया स्थान ग्रहण करें। मेरे सामने बैठने वाले माननीय सदस्यगण आपको जवाब देने का अधिकार किसने दिया? मंत्रीजी देंगे जवाब तो। आप यों ही खड़े हो जाते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों प्रश्न आये हैं। एक टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य का है। आपका कहना है नियमों के अलावा इन लोगों को...

श्री अध्यक्ष : नहीं सी.डी. देवल साहब के प्रश्न का जवाब दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहले उनका जवाब देता हूं। माननीय देवल साहब ने जो प्रश्न पूछा है कि यहां राज्य में बेरोजगारी है, इनको संविदा के आधार पर क्यों लगाया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, ये तो अपने अलग-अलग कार्यक्रम में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकांश पद तो हम प्रतिनियुक्ति से भरते हैं अभी इन्टरव्यू हुए हैं और शिक्षा विभाग में जो कार्यरत लोग हैं अधिकांशतः वो लोग हैं कुछ लोग ऐसे हैं, जिनको संविदा के आधार पर अपन लगाते हैं। लेकिन चूंकि पदों की स्वीकृति नहीं है हमेशा के लिए सर्विस में लेने के लिए ज्यों ही इस प्रकार की कुछ पदों के लिए स्वीकृति मिलेगी, त्यों ही करेंगे। और ये विशेष कार्यक्रम है यह परमानेंट कार्यक्रम नहीं है। अब लोक जुम्बिश का कार्यकाल 4 महीने में ही समाप्त होने वाला है। जून में लोक जुम्बिश का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसमें जो भी लगे हुए हैं, संविदा के आधार पर लगे हुए हैं। आगे यदि इस प्रकार का प्रावधान हुआ तो आपकी भावना का ध्यान रख कर, आप बुजुर्ग आदमी है। इसलिए आपने जो नौजवानों के प्रति भावना प्रकट की है देवल साहब, आपकी भावना का ध्यान रखेंगे।

श्री सी. डी. देवल : अनुबंध की कोई अवधि तो होनी चाहिये, क्या 10 10 साल तक वह लोग अनुबंध पर चलते रहेंगे, फिर सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दीजिए आप। कुछ लोगों को आप फायदा देते हैं सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी 10-10 साल काम करते हैं और कुछ लोगों को रिटायर कर देते हैं। या तो आप अवधि बढ़ा दीजिए अगर इतना प्रेम है उनसे और नहीं तो अनुबंध का कोई समय तो निर्धारित कीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे दुःख है कि देवल साहब को जल्दी रिटायर होना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, दूसरा माननीय नाथूसिंह जी ने कहा कि उनको बाहर भेज दिया गया, वह कर दिया गया। मेरे पास अभी इस प्रकार की सूचना नहीं है। माननीय सदस्य ने मुझे सूचना दी है मैं इसकी जांच करा लूंगा और जांच कराने के बाद अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित रूप से दण्ड दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि लोक जुम्बिश और डी.पी.ई.पी. में संविदा के आधार पर जो नियुक्तियां आपने की, क्या यह सही है कि बिना विधिवत विज्ञापन निकाले सन् 1999 से लेकर 2003 के बीच अंधाधुंध बिना किसी विज्ञापन के संविदा के आधार पर इसमें नियुक्ति दी गई? अगर नियुक्ति दी तो क्या आप ऐसी संविदा के आधार पर बिना विज्ञापन के अपनी मर्जी से भर्ती किये गये कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ जांच कराने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग में जो विभिन्न योजनाएं हैं, लोक जुम्बिश है, डी.पी.ई.पी. है, जब शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों में बहुत बड़ी रिक्तियां हैं और राजस्थान में क्वालिफिकेशन रखने वाले लोग हैं तो जो रिटायर्ड लोग हैं उनको संविदा पर रखने के बजाय जो उस केडर में बेरोजगार लोग हैं, उनको क्यों नहीं रखा जाता। दूसरी तरफ डी.पी.ई.पी. और लोक जुम्बिश में उन लोगों को प्रति नियुक्ति पर भेजते हैं तो वहां पद और रिक्त होते हैं तो क्या मंत्री महोदय यह व्यवस्था करेंगे कि शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति इन विशेष योजनाओं में करते हैं उन सबको भी नियुक्त करके उनके पद भरे जायें। और इन योजनाओं में जिनकी आवश्यकता है बेरोजगार नौजवानों को इनमें संविदा के आधार पर ले लीजिए, परमानेंट नौकरी की जरूरत नहीं है। जब तक आपकी वह योजना है उसमें योग्यता के आधार पर बेरोजगार युवकों को संविदा के आधार पर लेने का क्या सरकार इरादा रखती है?

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह जो शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है कहीं लोक जुम्बिश, कहीं राजीव गांधी, तरह तरह के नाम रख दिये। मेरे जैसे अनपढ़ आदमी को तो उनके नाम ही नहीं आते और उन स्कूलों में जो टीचर हैं वह मेरे से ही कम पढ़े लिखे हैं। गांव के साथ यह जो सौतेला व्यवहार हो रहा है क्या मंत्री महोदय इसको समानीकरण करने का

(श्री रामप्रताप कासनिया)

विचार रखते हैं। प्राथमिक शिक्षा को क्या कोई एक नाम देने की योजना है और जिसमें बी.एड. या एस.टी.सी. किये हुए अध्यापक रखने का आपका विचार है क्या?

श्री मांगीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इनके साथ थोड़ा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को जवाब देने दीजिए, आपको पुकारूंगी पहले जवाब देने दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, माननीय राजेन्द्र राठौड़ जी ने पूछा कि जो नियुक्तियां कर दी गई हैं वह संविदा के आधार पर की गई है और वह बहुत कुछ ज्यादा नियुक्तियां नहीं हैं। मैंने सदन की पटल पर कागज रख दिये हैं लेकिन इसमें कोई अनियमितता होगी तो मैं इसको जरूर दिखाऊंगा। दूसरी बात जो कासनिया जी ने बताई...

श्री सी. डी. देवल : कागज नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कागज हैं सदन की पटल पर, नहीं है तो आपको दिला दूंगा। दूसरी बात जो कासनिया जी ने कही है वह विषय से सम्बन्धत तो नहीं है लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी के नाम से जो स्वर्ण जयंति पाठशाला है सहज पहुंच के विद्यालय थे। इन विद्यालयों को भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पहले जो राज्य सरकार थी उनका आपस का एक कार्यक्रम हुआ था उसके अंतर्गत धीरे-धीरे इनको प्राथमिक पाठशालाओं में बदल दिया जायेगा और इनमें सबमें ट्रेंड टीचर ही लगेंगे। ज्यों-ज्यों यह प्राथमिक पाठशालाएं बनेंगी इसी प्रकार से शिक्षा विभाग के मापदण्डों के अनुसार इनमें ट्रेंड टीचर लगेंगे और राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि गांव के जो विद्यालय संचालित हैं इनमें किसी भी प्रकार से शहरी क्षेत्र से कम ट्रेंड लोग नहीं रहने चाहिये और शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो यह राज्य सरकार की दृढ़ आस्था है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा क्या पूर्व में भर्ती किये गये जितने भी जो शिक्षक थे क्या उनको हटा दिया जायेगा जो ट्रेंड नहीं थे। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, मैं दूरदराज के एरिये की बात करना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक साथ आप तीन जने बोल रहे हैं।

श्री मांगीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पुकारा है इसलिए मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप एक ही सदस्य बोले तो ज्यादा अच्छा है।

श्री मांगीलाल गरासिया : पंचायत समिति कोटड़ा और कोटड़ा में जो दूरगामी क्षेत्र है, दूरदराज क्षेत्र के गांवों और ढाणियों में जो प्राथमिक विद्यालय है और वहां पर आदमी का ठहराव नहीं होने से वहां पर बालक और बालिकाएं पढ़ नहीं सकते। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन यह करूंगा क्या आप उस दूरगामी क्षेत्र में जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पर शिक्षाकर्मी योजना को लागू करके वहां के बालक और बालिकाओं को पढ़ाने की मंशा रखते हैं?

श्री सुभाष चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इनके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि अब तक राजीव गांधी पाठशालाओं में जो अध्यापक बिना ट्रेंड थे वह लगाये थे। मंत्री महोदय ने अभी जवाब दिया कि जो भी लगाये जायेंगे वह ट्रेंड लगाये जायेंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पूर्व में भर्ती किये गये जितने भी शिक्षक हैं, क्या उनको सरकार हटाने का विचार रख रही है या उनको नियमित करने का विचार रख रही है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार किसी को हटाने का विचार नहीं रख रही है। पहले वैकेंसी घोषित की थी इनमें 75 परसेंट राजीव गांधी पाठशालाओं में पढ़ाने वालों के लिये रिजर्वेशन किया था ट्रेंड के लिये। उसमें राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। उसकी 9 फरवरी की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तारीख है, 9 फरवरी को उस पर बहस है। राज्य सरकार, जितने भी काम करने वाले लोग हैं किसी को हटाना नहीं चाहती, समायोजित करने का मन है। जिस प्रकार वैधिक आदेश मिलेंगे उन आदेशों के आधार पर उनका समायोजन निश्चित रूप से किया जायेगा। किसी के साथ किसी कारण से भेदभाव करने का कोई कारण नहीं है।

श्री अध्यक्ष : और कोर्ट उनके खिलाफ आदेश दे देगा तो आप क्या करेंगे?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : जिन्होंने 10 साल, 5 साल काम कर लिया, अगर कोर्ट का आदेश उनके खिलाफ आता है तो सरकार क्या करेगी उनके लिये?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इस काल्पनिक प्रश्न का तो मैं अभी जवाब नहीं दे सकता लेकिन मैं इतना सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि राज्य सरकार सबको समायोजन करने का विचार रखती है। न्यायालय के आदेश के बाद भी राज्य सरकार से जो बन पड़ेगा सब लोगों को समायोजित करके नयी भर्ती कम से कम 30 हजार कर्मचारियों की, अध्यापकों की नये शिक्षा सत्र के पहले दृढ़ निश्चय के आधार पर भर्ती करने का राज्य सरकार का विचार है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री भवानी जोशी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा...

श्री भवानी जोशी : प्रश्न संख्या 50.

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया, उन्होंने जवाब दे दिया।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, आपके सामने और लेफ्ट साइड पर जो बैठे हैं उन्हीं को आप समय दे रहे हैं, हमें आप समय दे ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरे तो कान आपकी ही तरफ रहते हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जो आपने संविदा कांट्रेक्ट किया है, उस कांट्रेक्ट की समय सीमा भी निश्चित है क्या? और दूसरा आपने उस कांट्रेक्ट में योग्यता का कोई आधार रखा है या नहीं रखा।

श्री अध्यक्ष : देखिए एक क्वेश्चन बचा है उसे पूछ लेने दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, संविदा के अंतर्गत समय सीमा तय थी और उसमें कांट्रेक्ट का आधार भी रखा गया था।

श्री सी. डी. देवल : समय सीमा क्या थी, मैं यह जानना चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री भवानी जोशी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार का कांट्रेक्ट किया गया, शिक्षित अध्यापकों को नहीं लिया गया, आज राजस्थान के ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, उसकी अवधि कितनी है यह बताया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

जिला परिषद्, बांसवाड़ा द्वारा संविदा शिक्षकों की नियुक्ति

50. **श्री भवानी जोशी** (बांसवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषद, बांसवाड़ा द्वारा न्यायालय के आदेश से संविदा शिक्षकों की भर्ती की गई है? यदि हां, तो कितने पदों को भरा गया एवं कितने पद रिक्त हैं?

(2) सरकार उक्त रिक्त पदों को अब कब तक भरने का विचार रखती है?

(3) उक्त रिक्त पदों को भरने का सरकार का क्या मानदण्ड रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : (1) जी नहीं। जिला परिषद्, बांसवाड़ा द्वारा मंत्रिमण्डल निर्णय की अनुपालना में 196 पूर्व संविदा अध्यापकों को तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्तियां दी गईं तथा वर्तमान में 131 पद रिक्त हैं।

(2) राज्य सरकार के आदेशांक एफ 13/पराvि/विधि/2001 दिनांक 19.7.03 द्वारा संविदा अध्यापकों की भर्ती पर रोक है।

(3) मंत्रिमण्डल निर्णय की अनुपालना में निर्धारित तिथि तक जिला परिषदों को आवेदन करने वाले पूर्व संविदा अध्यापकों को नियुक्तियां दी गईं।

(12.00 बजे)

श्री भवानी जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जब भर्ती दी गयी तो क्या मापदण्ड तय किये थे जिला परिषदों ने? क्या उन्हीं मापदण्डों के आधार पर उनको भर्ती दी गयी और राज्य सरकार उनको कब तक भर्ती देने की मंशा रखती है। जिन तृतीय श्रेणी अध्यापकों को वहां पर भर्ती किया गया उनसे 50-50 हजार रुपये लिये गये और आज तक 50 हजार रुपये देने के बाद में भी लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करवाएंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, जिन स्थानों पर वेकेंसीज थीं उन्हीं स्थानों पर तृतीय श्रेणी अध्यापकों की जगह संविदा टीचर्स लगाये गये थे। उसके बाद में जब तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती हुई तो उनको हटा दिया गया। यह उनकी संविदा में लिखा हुआ था। उसके बाद में कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में चले गये तो मंत्रिमण्डल ने, राज्य सरकार ने फैसला किया कि इस तारीख तक जो लोग आये हैं उनको लगा दिया जाए, इस कारण से 1905 लोगों को लगा दिया गया, वे लग गये। उसके बाद में मंत्रिमण्डल ने निर्णय कर दिया। उसके बाद से संविदा अध्यापकों की भर्ती पर रोक है। अध्यक्ष महोदय, यह संविदा अध्यापक किसी चयन प्रक्रिया से नहीं थे। जब उनको लगाया गया तो किसी ने 3 महीने, किसी ने 4 महीने, किसी ने 5 महीने काम किया। उनको वापस ले लिया। अब उनका चयन का यह आधार नहीं हो सकता है लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उन लोगों को, जिनका चयन किया गया है, नयी भर्ती प्रक्रिया में एज-रिलेक्सेशन करके यदि उनके

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तो सरकार उनके अनुभव के आधार पर, एज का उनको रिलेक्सेशन देकर, उनको समायोजित करने का प्रयत्न करेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री सी. डी. देवल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी : नियुक्ति नहीं दी है उनके लिये भी तो आप विचार करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री करणसिंह यादव, सदस्य की ओर से...(व्यवधान) यू.आई.टी, अलवर द्वारा राव तुलाराव नगर, बहरोड़ की जमीन अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मांगीलाल गरासिया एवं 15 अन्य सदस्यों की ओर से पेयजल की समस्या के समाधान, अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करवाने एवं चारे की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से नैनवां विधान सभा क्षेत्र में श्री केशोराय मंदिर की मूर्ति को अभी तक बरामद नहीं करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री अमराराम (धोद) एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में शीतलहर से किसानों की फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के रूप में ग्राह्य नहीं हैं, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री संयम लोढ़ा एवं 30 अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान की वर्ष 2004–2005 की आबकारी नीति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी स्थगन प्रस्ताव के रूप में ग्राह्य नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रमुख प्रस्तावक श्री संयम लोढ़ा को प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री कालूलाल गुर्जर, सदस्य की ओर से राज्य में ठगी की वारदातों में उत्तरोत्तर हो रही बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रणवीर सिंह गुढा, सदस्य की ओर से पंचायत समिति उदयपुरवाटी के प्रधान को तत्काल पदमुक्त करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री नवरतन राजोरिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कालख बांध की डूब में आयी भूमि के हितधारियों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर में पेयजल की व्यवस्था में सुधार करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से शाहपुरा कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग के तल को ऊंचा करते समय कस्बे के पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री दाताराम, सदस्य की ओर से पंचायत समिति खेतड़ी के ब्लाक शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल, सदस्य की ओर से जिला पूल द्वारा विधायकों को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों की स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) डा. करण सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड के ग्राम माजीरकलां, ग्राम मांढण व ग्राम कायसा के ग्रामीण हिस्से से गुजरने वाली सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री हरलाल सिंह खर्रा, सदस्य की ओर से श्रीमाधोपुर निर्वाचन क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(10) श्री अतर सिंह भड़ाना, सदस्य की ओर से बयाना से कलसाड़ा तक एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री लालचंद, सदस्य की ओर से तहसील रायसिंहनगर में 1995 तक के अस्थायी, कृषि भूमि पट्टाधारियों को पुख्ता आबंटन करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

शून्यकाल

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आबकारी पर 2 मिनट बोलेंगे और पानी व अकाल पर आपने अलाउ नहीं किया। (व्यवधान) आप कम से कम पानी और अकाल के अन्दर 2 मिनट अलाउ करिये। (व्यवधान) आबकारी पर तो आपने अलाउ कर दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा। श्री संयम लोढ़ा। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पानी और अकाल के सम्बन्ध में दो मिनट बोलने का मौका नही दिया, आप आबकारी पर बोलने का मौका दे रही हैं। कम से कम अकाल और पानी पर 2 मिनट तो बोलने दीजिए।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा रखना चाहता हूं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, पानी और अकाल के सम्बन्ध में दो मिनट बोलने का मौका दीजिए।

श्री सी. डी. देवल : पानी और अकाल पर 2 मिनट का समय दिया जाए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है, 3 दिन

(श्री अमराराम)

की शीतलहर से राजस्थान में फसलें जिस तरह से बर्बाद हुई हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पर्ची के माध्यम से उठाते।

श्री अमराराम (धोद) : दूसरा कौनसा माध्यम हो गया, राजस्थान जहां भयंकर अकाल से पीड़ित हैं वहां रबी की फसल, शीतलहर से अधिकतर 80 प्रतिशत फसल जो सरसों...(व्यवधान)

श्री रमेश खींची : कम से कम आप अकाल की स्थिति को देखकर तो समय दें। (व्यवधान) आखिर आप काश्तकार की बेटी हैं, गांव के अन्दर गरीब काश्तकार परेशान हो रहे हैं।

श्री अमराराम धोद : प्याज की फसल तबाह हो गयी है, आज कम से कम सरकार के सामने रखने का, जो शीत लहर... (व्यवधान) पूरी की पूरी फसल, उसमें 80 प्रतिशत और प्याज की फसल बिलकुल तबाह हो गयी है।

श्री रमेश खींची : अध्यक्ष महोदय, पेयजल की भीषण समस्या है पूरे प्रदेश में, इसमें बोलने के लिये अनुमति दी जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं। मुझे बोलने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, एक बार आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, एक बार, संयम लोढ़ाजी, आप भी स्थान ग्रहण करें।

क्या यह समझा जाए कि आप आसन की व्यवस्था को चैलेन्ज कर रहे हैं? यह समझा जाए?

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : नो, अनुरोध कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : तो फिर, जब आसन की तरफ से एक बार व्यवस्था दे दी गयी तो आप क्या चाहते हैं?

श्री रमेश खीचीं : आप आबकारी पर तो परमीशन दे रहे हैं और पेयजल तथा अकाल पर परमीशन नहीं दे रहे हैं।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुरोध कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल : आसन अपनी व्यवस्था पर पुनः विचार करे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, संयम लोढ़ा।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, पेयजल के ऊपर तो बोलने दीजिए।

डा. सी. पी. जोशी : कुछ को अलाउ कीजिए। अध्यक्ष महोदय, पानी पर अलाउ करिये, दो मिनट पानी पर नहीं बोलने दे रही हैं आप। (व्यवधान)

श्री दुर्गालाल अग्रवाल : आसन से अनुरोध कर रहे हैं कि पेयजल और अकाल पर बोलने का समय दिया जाए।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : ताकि सरकार का ध्यान चला जाए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : करोड़ों किसानों की पीड़ा को आपके सामने रखना है। आपकी व्यवस्था पर कोई एतराज नहीं है लेकिन राजस्थान के करोड़ किसानों की जो, जिन्होंने लाखों रुपये खर्च किये हैं और जिनकी फसल बिलकुल तबाह हो गयी है 80 फीसदी, आपकी व्यवस्था को हम चैलेन्ज नहीं करते हैं, अध्यक्ष महोदय, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में शीतलहर से फसलें तबाह हुई हैं।...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाए।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : ×××

श्री रमेश खींची : ×××

श्री सी. डी. देवल : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्यगण, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। धोद से आने वाले माननीय सदस्य, आप बहुत पुराने सदस्य हैं। यह आपका तीसरा टर्न है। आप जानते हैं कि स्थगन प्रस्ताव बहुत यदाकदा, आज दिन तक इस विधान सभा के इतिहास में केवल एक बार मंजूर हुआ, स्वीकृत हुआ। (व्यवधान) पहले तो मेरी पूरी बात सुनिये आप। और आप जानते हैं कि स्थगन प्रस्ताव इस तरह से स्वीकार नहीं किये जाते हैं। आपको पर्ची पर बोलने का अधिकार होता, यदि आप पर्ची के माध्यम से इस प्रश्न को उठाते। मैं आपको उसका अवसर देती। इसलिये अब आप यदि इस तरह से बार-बार खड़े होकर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? और एक साथ प्रतिपक्ष के सम्मानीय सदस्यगण उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, आप क्या चाहते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूं। कल भी बात हुई थी कि एक समय में एक सदस्य बोलेगा। एक समय में एक सदस्य बोलेगा। आप ही के सदस्य को मैंने अवसर दिया है और आप हाथ उठा रहे हैं। मैंने नाम पुकार लिया संयम लोढ़ा का, उनको अपनी बात कहने के लिये। प्रतिपक्ष के माननीय नेता, आप क्या कहना चाहते हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक तरीके से सदन का अंतिम दिन है और माननीय सदस्यों ने जो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, उस पर आपने व्यवस्था दी है वह हमारे लिए शिरोधार्य है कि आप इसको सरकार के पास भेज दें लेकिन सरकार जवाब कब देगी? इसलिए आप उसको रिजक्ट करके पानी और अकाल जैसे मसलों पर जहां किसान की फसलें तबाह हो रही हैं, किसान के पास और कोई रास्ता नहीं है और इस वर्ष कोई भी अकाल राहत कार्य पूरे राजस्थान में नहीं खोले हैं... (व्यवधान)...

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : राजस्थान में इस वर्ष कोई अकाल नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अब आप देखिये। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अकाल नहीं है, अकाल था इसीलिए तो आप गये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पहले इनको शांत करो। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अकाल तो आपके साथ ही बदल गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सत्तापक्ष के माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : अकाल नहीं है राजस्थान में।

श्री अध्यक्ष : सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगण। (व्यवधान) सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगण, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, अपना स्थान ग्रहण करें। आसन पांवों पर है और आप सदन छोड़ रहे हैं। सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों से मुझे निवेदन करना है कि हाउस को रैगुलेट करने का काम मेरा है। प्रतिपक्ष के लोगों को जवाब देने का आसन का, जिसे कहना चाहिए अधिकार है कि जो कुछ यह उठाएंगे, उसका जवाब आसन देगा। आप ख्वामखाह में खड़े हो जाते हैं, आप जवाब देने के लिए, आपको क्या आवश्यकता है जवाब देने की? (व्यवधान) नहीं, यह बहुत गलत बात है। गलत परम्परा डाल रहे हैं। सदन की परम्पराओं का, सदन की गरिमा का ध्यान रखने की प्रतिपक्ष से ज्यादा सत्तापक्ष की जिम्मेदारी है और आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का। लेकिन, यह कोई तरीका नहीं। (व्यवधान) यह आपका भी कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह से हाथों से इंगित कर रहे हैं। आपको भी शांत से अपनी बात कहनी चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता ने कोई बात कही है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तय कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार ने भी सुना है। अकाल की और पेयजल की जो कोई समस्या है, उसे ध्यान में रखने की, पूरा करने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष की भी है। मंत्री ने सुना है। मंत्री लोग बैठे हुए हैं यहां पर। सीनियर मंत्री बैठे हैं, वे भी सुन रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? आपने अपनी बात कह दी, प्रतिपक्ष के नेता ने ध्यान दिला दिया। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं कम्प्लीट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, कर दीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष : देखिये, धोद से आने वाले माननीय सदस्य, हर बात पर खडा होना आवश्यक नहीं है कि आप हर बात पर खड़े हो जाएं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी वह शिरोधार्य है। आप कह रहे हैं कि उस पर...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, मैं कम्प्लीट कर दूं?

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रतिपक्ष के नेता का नाम पुकार लिया है। आप स्थान ग्रहण करिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बीच में ट्रैक्टर ट्रोली पर टैक्स लग गया, खल के ऊपर चार प्रतिशत टैक्स लग गया। ऐसे अनेक मुद्दे हैं, जो किसानों से सम्बन्धत हैं, जिनको आज सदन में माननीय सदस्य उठाना चाहते हैं इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप स्थगन... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : खल के टैक्स की तो आपने बात कही ही नहीं, खल के टैक्स के मार्फत तो कोई बात आयी ही नहीं आपकी। न कोई पर्ची आयी है, न कोई आपका स्थगन प्रस्ताव आया है, स्थगन प्रस्ताव भी नहीं आया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं, यह अकाल से सम्बन्धत चीज है। यह अध्यक्ष महोदय, अकाल से सम्बन्धत चीज है जिससे आज किसान त्रस्त हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप दो तीन माननीय सदस्य जिनके क्षेत्रों में इस तरह की समस्याएं हैं, उनको आप स्थगन प्रस्ताव स्थगित करके पांच मिनट बोलने का मौका दे दें ताकि सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित हो सके और राज्य सरकार उन स्थानों पर अकाल राहत कार्य खोल सके। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है, हम इसका एतराज नहीं कर रहे हैं (व्यवधान) आपने स्थगन प्रस्ताव स्वीकार न... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अव्यवस्था नहीं फैलायें। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह लोग गये और अकाल गया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मैंने आपसे निवेदन यह नहीं किया है कि स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। मैं केवल इतना सा ही कहना चाहता हूं कि... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अशोक जी के जाते ही अकाल चला गया।

श्री अमराराम (धोद) : जो आपने रिजक्ट किया है, यहां पर बात रखने की इजाजत नहीं दी है। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि जो राजस्थान में करोड़ों की फसल जो शीतलहर से नष्ट हुई है और जो 80 परसेंट फसल, चना और सरसों की जो फसल नष्ट हुई है, इस पर आप... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : क से कांग्रेस, क से काल, अ से अशोक, अ से अकाल। क से कांग्रेस, क से काल, अ से अशोक, अ से अकाल, इसलिए इनके जाते ही अकाल गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं कुछ नही सुन पा रही हूं। (व्यवधान) इस शोर-शराबे में मैं कुछ नहीं सुन पा रही हूं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप किसान के हित की बात कर रहे हो?

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह बात मैं भी मानता हूं लेकिन जहां तक राजस्थान के जो करोड़ों किसानों की शीतलहर से फसल को जो नुकसान हुआ है, वह सरकार के सामने रखने के लिए मैं तो आपसे इतनी ही इजाजत चाहता हूं कि वह बात जो फसल का खराबा हुआ है, शीतलहर से पूरे राजस्थान की रबी की फसल में, सरसों, चना जिसकी फसल नष्ट हुई, उसके बारे में अगर आप इजाजत दें तो वह बात रखने के लिए, स्वीकार करने के लिए, मैं आग्रह नहीं कर रहा, उसके बारे में बात सरकार के और सदन के सामने रखने का आपसे आग्रह कर रहा हूं। आप इजाजत देंगे तो बोलेंगे और आप इजाजत नहीं देंगे तो, यह आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं, आप उस पर बात रखने के लिए इजाजत दें, यह मेरा आपसे आग्रह है। जो भी आप व्यवस्थाएं देंगी, शिरोधार्य है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री । सरकार (व्यवधान) यह माननीय मंत्री के पास कौन खड़े हैं? यह पी.डब्ल्यू.डी मिनिस्टर के पास कौन खड़े है?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : सी. पी. साहब, मुझे बोलने दें। मेरे खुद की समस्या है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर यह सदन की सम्पत्ति हो जाएगी।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, फिर हमारी तरफ से भी बोलने की इजाजत हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई माननीय सदस्य कोई बात कहेंगे जो (व्यवधान) उनको है तो फिर हमें भी अनुमति प्रदान की जाए। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : हमें भी अनुमति दीजिए फिर। सदन की सम्पत्ति हो जाती है, कोई भी विषय सदन में आ जाता है तो उस पर हमारा बोलने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हम जन प्रतिनिधि, विधायक इस सदन में आम जनता की समस्या को लेकर यहां पर आते हैं और उन समस्याओं को यहां पर रखते हैं। (व्यवधान) आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को पूरा सुन लीजिए आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका मैंने तो नाम पुकारा नहीं है। मैंने तो आपका नाम पुकारा नहीं, आप किसकी आज्ञा से बोल रहे हैं? मैंने तो पुकारा नहीं नाम आपका। स्थान ग्रहण करिये। मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, पहले मुझे कुछ कहने दीजिए। माननीय मंत्री महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव आया है यहां पर अकाल और पेयजल के बारे में, क्या आप उससे वाकिफ हैं कि शीत लहर से नुकसान हुआ ? यदि शीत लहर से नुकसान हुआ है तो उसके बारे में आप पूरी जानकारी करिये और जानकारी करने के बाद में क्या कुछ व्यवस्था कर सकती है सरकार, करने का प्रयत्न कीजिए।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग बिल के अन्दर आप यह डाइरेक्शन दे दें कि जो इश्यू हमने उठाये हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : काहे के बारे में, काहे के बारे में?

डा. सी. पी. जोशी : यह हमने जो पानी की समस्या हमारे इलाके में राजसंमद में, भंयकर पानी की समस्या आ गयी है, केवल हमारा आपसे निवेदन है कि यह...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह दो महीने में ही आ गयी क्या? पांच साल तक राज किया है फिर क्या किया है आपने? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : विनियोग बिल के दौरान आप यह... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : पांच साल तक आप मंत्री रहे और दो महीने में पानी की समस्या आ गयी।

डा. सी. पी. जोशी : आप बैठिये । साहब, आप बैठिये, आपका, (व्यवधान) ऐसा नहीं होगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : और आप कह रहे हैं कि आपको परमिशन दे दी जाए। इस पर कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ कहते हो। बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : आप सब कैसे बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : पांच साल तक राजस्थान को लूट कर खा गये। पांच साल तक राजस्थान को लूटा और दो महीने में सारी समस्याएं आ गयीं। हमारे राज में न अकाल पड़ा। बैठ जाओ। हमें कहते हो बैठ जाओ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री नाथूलाल अहारी (डूंगरपुर) : अकाल है राजस्थान में।

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री मोहन लाल गुप्ता : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं पूछना चाहता हूं कि पानी की समस्या के बारे में आप बोलना चाहते हैं लेकिन आखिर पांच साल तक कांग्रेस के राज में आपने क्या किया ? कांग्रेस सरकार ने पांच साल तक क्या किया? पानी की समस्या के समाधान के लिए आपने क्या किया?

श्री नाथूराम अहारी : अकाल राहत के बारे में चर्चा होनी चाहिए। इस साल भयंकर अकाल है। (व्यवधान) हमारे उदयपुर डिवीजन में भयंकर अकाल है इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत के बारे में सरकार विचार करे। (व्यवधान)

(अध्यक्षपीठ द्वारा अंकित नहीं करने के निर्देश)

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री नाथूराम अहारी : ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता : ×××

श्री रामप्रताप कासनिया : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांत बैठें। पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आपका तो इस सम्बन्ध में, पेयजल के सम्बन्ध में कोई स्थगन प्रस्ताव था ही नहीं, आप किस बात पर बोल रहे हैं? आप किस बात पर बोल रहे हैं?

डा. सी. पी. जोशी : ×××

श्री रामप्रताप कासनिया : ×××

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, बीच में नहीं।

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री रामप्रताप कासनिया : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा, आपको कुछ कहना है तो कहिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : मैं तो तैयार हूं, आपकी सेवा में।

डा. सी.पी. जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : आपको बोलने नहीं देना चाहते हैं। आपकी ही पार्टी के माननीय सदस्य आपको बोलने नहीं देना चाह रहे हैं, यह बात है। (व्यवधान) बात क्या हुई थी आपकी?

डा. सी. पी. जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप चालू तो करिये। आप बोलिये। टोंक से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। संयम लोढ़ा।

डा. सी. पी. जोशी : ×××

श्री रामप्रताप कासनिया : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

डा. सी.पी. जोशी : ×××

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता : ×××

श्री धर्मपाल सिंह चौधरी : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री बंशीलाल खटीक : ×××

श्री सी. डी. देवल : ×××

श्री खुशवीर सिंह : ×××

(12.21 बजे)

(श्री राजेन्द्र राठौड़ सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। आसन पैरों पर। बिराजें आप।

श्री जालम सिंह रावलोत : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, एक बार आसन से व्यवस्था हो गयी। स्थगन प्रस्ताव पर जो व्यवस्था हुई है उसके अनुसार मात्र दो मिनट के लिये सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को विषय वस्तु रखने की अनुमति है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया शांति से बैठें। माननीय संयम लोढ़ा।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री सी. डी. देवल : ×××

श्री कालूलाल गुर्जर : ×××

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राज्य की आबकारी नीति में परिवर्तन किये जाने विषयक

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान) माननीय संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है और चुनाव के जरिये जनता अपना फैसला देती है और जो भी जनादेश दिया जाता है, जनता की यह उम्मीद होती है कि उसे लोक कल्याणकारी शासन प्राप्त होगा। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की वर्तमान सरकार ने अगले वर्ष के लिये आबकारी नीति का जो प्रारूप पेश किया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की सोच कुछ विशेषज्ञ तत्वों को फायदा पहुंचाना और राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाना सामाजिक समरसता को विपरीत रूप से प्रभावित करने का लगता है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में गंगानगर शुगर मिल की स्थापना 1956 में की गयी थी और इस शुगर मिल ने वर्ष 2002-03 में भी 94 करोड़ रुपये का मुनाफा राजस्थान सरकार को दिया है। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, आबकारी नीति का अगले वर्ष का जो प्रारूप सामने आया है उसमें सरकार ने यह फैसला किया है कि 25 फीसदी देशी मदिरा के उत्पादन का काम निजी क्षेत्रों को दिया जायेगा।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, यह समझ में नहीं आता कि सरकार का एक उपक्रम जो लाभ में चल रहा है जिसके उत्पादन की गुणवत्ता बेहतरीन है और जो अकेला उत्पादक है, वह कौनसे कारण हैं जिसमें राजस्थान की सरकार को इस बात के लिये प्रेरित किया है कि उसका उत्पादन निजी क्षेत्र में दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, आपकी जानकारी में है कि हमारी सरकार की केबिनेट ने भी इस तरह का फैसला उस वक्त किया था पिछले साल की 10 फीसदी उत्पादन निजी क्षेत्र में दिया जाये लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्यों ने तब यह मांग की थी कि यह निजी क्षेत्र में नहीं दिया जाना चाहिये और राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने इस फैसले को लागू नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, गंगानगर शुगर मिल के साथ में देशी मदिरा के उत्पादन के साथ चीनी का भी कारखाना चलता है और यह मदिरा के उत्पादन से जो लाभ प्राप्त होता है और चीनी के कारखाने का जब घाटा होता है उसकी सम्पूर्ति उसके जरिये होती है।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार गन्ना उत्पादक किसान को मात्र 69.50 पैसे प्रति क्विंटल का भाव देती है लेकिन गंगानगर शुगर मिल गन्ना उत्पादक किसान को 105 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देती है। सरकार ने जो आबकारी नीति प्रस्तावित की है उसके फैसले से उन आम किसानों का हित भी प्रभावित होगा और माननीय सभापति महोदय, 25 प्रतिशत अगर निजी क्षेत्र में उत्पादन दिया गया तो आज जो लागत 3.50 पैसे प्रति एल. पी. एल. आती है वही लागत बढ़कर 4.67 पैसे हो जायेगी।

इसी तरह से, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जो कांच उत्पादक हैं वह राजस्थान सरकार को इसमें भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और आबकारी नीति में यह प्रस्तावित किया गया है कि पाउच का उत्पादन भी रोक दिया जाये। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान की सरकार वर्ग विशेष, जो निजी डिस्टलरियां हैं, शराब माफिया हैं, उनके दबाव में आकर काम कर रही है।

सरकार ने यह फैसला भी किया है कि हम शुष्क दिवस भी कम करेंगे। जो सात शुष्क दिवस हैं उसको घटाकर तीन कर देंगे। इस सरकार ने जो राम

(श्री संयम लोढ़ा)

के नाम पर चुनाव लड़ती है, इसने फैसला किया है कि जन्माष्टमी पर दारू पीओ, महावीर जयन्ती पर दारू पीओ, शिवरात्रि पर दारू पीओ... (व्यवधान) मेरा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : यह आरोप गलत तरीके से लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : +++

एक माननीय सदस्य : +++

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। मंत्री महोदय...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : +++

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको दो मिनट में विषय वस्तु रखने की अनुमति दी थी। आप बिराजें माननीय सदस्य।...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : बोल रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, बोल रहा हूं। मैंने अपना वक्तव्य पूरा नहीं किया है।...(व्यवधान)

श्री सभापति : आपको विषय वस्तु रखने की दो मिनट की अनुमति दी थी। (व्यवधान) एक मिनट बिराजें। माननीय सदस्य, आपको नियमों और प्रक्रिया की पूरी जानकारी है। स्थगन प्रस्ताव पर आसन ने सहृदयता दिखाते हुए आपको दो मिनट के लिये विषय वस्तु रखने की अनुमति दी थी और आप इतनी देर से क्या कुछ कह रहे हैं। मैं समझता हूं आसन ने जो आपको व्यवस्था दी उसके अनुरूप आप आचरण करें तो दुबारा जब कभी इस तरह के प्रस्ताव आयेंगे तो आसन सहृदय रहेगा और इस आसन की व्यवस्था के माध्यम से आरोप-प्रत्यारोप बिना आधार पर लगाने की प्रक्रिया आप प्रारम्भ कर देंगे, मैं समझता हूं उचित नहीं है। मंत्री महोदय...(व्यवधान) मैंने शिक्षा मंत्रीजी का नाम पुकारा है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : इसे एक्सपंज कराइये। सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जो आरोप सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने लगाये हैं उन्हें आप एक्सपंज कराइये। (व्यवधान)

श्री सभापति : जो आरोप सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने लगाये हैं, उनको मैं एक्सपंज करता हूं।

डा. एन. एस. गुर्जर : आन ए पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया बिराजें।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, यह तो साफ आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : +++

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया बिराजें। (व्यवधान) रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया विराजें। कृपया विराजिये। हां, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं। बाकी आप विराजें।

श्री भवानी सिंह राजावत : राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है। इनका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, आसन ने स्थगन प्रस्ताव पर... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आपकी व्यवस्था के बाद उधर कोई नहीं बैठ रहा... (व्यवधान) यह गलत बात है। यह व्यवस्था दी है।... (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर... (व्यवधान) जो शुष्क दिवस आबकारी विभाग को दे रखे थे, उनमें कम कर दिये। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : सभापति महोदय, 990 करोड़ का रेवेन्यू था 1998-99 में और पांच साल में ठेकेदारों से मिलीभगत करके ये सरकार लगातार पैसा खाती रही। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, आसन ने व्यवस्था दी है, स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, आपने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया, अब सरकार का उत्तर भी सुनने को तैयार रहें। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी। आप विराजिये।

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय,...

श्री सभापति : आपको अनुमति दूंगा मैं, आप विराजें। पहले मंत्री महोदय अपनी बात कहेंगे। माननीय सदस्य, आप विराजिये। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया विराजें। आपने अपनी बात कह दी, आप विराजें, अब अनुमति नहीं दूंगा मैं। (व्यवधान) आपने अपनी पूरी बात कह दी।

श्री संयम लोढ़ा : मेरी बात आप मुझे पूरी कहने दीजिये।... (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, मंत्री महोदय हमारे बोलने के बाद जवाब दे दें...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, पहले इनको कम्प्लीट करने दीजिये। ऐसा नहीं है, पहले इनको कम्प्लीट करने दीजिये। (व्यवधान)...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपका तो रिकार्ड है।... (व्यवधान) आपने तो जो-जो कर्म किये हुए हैं, आपके सारे कर्मों को इस सदन में रखा जाए। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : सभापति महोदय, पहले हमको बोलने दीजिये फिर जवाब दे दें। हमारे बोलने के बाद जवाब दे देंगे।

श्री सभापति : यह विषय स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आया है, इस पर कोई लम्बी-चौड़ी चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य, आपको कुछ कहना है?

श्री धर्मपाल चौधरी : इस पर चर्चा करा दीजिये आधे घंटे की। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : इन्होंने सरकार पर आरोप लगाये हैं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आप विराजें, आसन पैरों पर है।

श्री धर्मपाल चौधरी : पांच साल में राजस्थान में मिलीभगत कर के पूरे रेवेन्यू की...(व्यवधान) शराब माफियाओं से आपकी मिलीभगत थी और आपने राजस्थान की इस जनता का खून-चूसा पांच साल तक, पूरे पांच साल तक। और यह रिकार्ड है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। आसन पैरों पर।

श्री धर्मपाल चौधरी : 990 करोड़ का रेवेन्यू था 1998-99 में और आप गये हो तो 1145 करोड़ का। आपने पांच साल में सिर्फ 150 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ाया। इस पर बहस हो जाए। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : सभापति महोदय, आज तक कांग्रेस दिल्ली से लगाकर और गांवों तक शराब विक्रेताओं और शराब माफियाओं को... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आधे घंटे की चर्चा की चर्चा हो जाए...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : और कांग्रेस का ठेका भी शराबियों ने ही ले रखा था। आज यह हम पर आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान) इस बार कांग्रेस को शराब के विक्रेताओं ने शायद कम धन और चंदा दिया था। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैंने माननीय मंत्री महोदय का नाम पुकार लिया... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : पांच साल की जांच कराओ। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, विराजें। मैंने मंत्री महोदय का नाम पुकार लिया। आपको भी समय दूंगा, आप विराजें। पहले मंत्री महोदय बोलेंगे। आप विराजें। (व्यवधान) मैंने मंत्री महोदय का नाम पुकारा है, कृपया आप विराजिये। आसन पैरों पर है, विराजिये आप। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, कुछ सदन के नियम कायदे पढ़ना प्रारम्भ करिये। विराजिये आप। माननीय सदस्य, विराजिये।

डा. एन. एस. गुर्जर : मंत्रीजी बोलें उससे पहले हम भी एक मिनट के लिए बोलना चाहते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, पहले उनको बोलने दो।

श्री सभापति : आप विराजिये। माननीय सदस्य, आप भी विराजें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ... आपने 500 करोड़ रुपये का घोटाला किया था अपने राज के अन्दर...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपका राज है, जांच करो, फांसी पर चढ़ाओ हमको अगर हमने घोटाले किये हैं तो...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : आज कह रहे हो, 50 करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी के राज में हो गया। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। दौसा से आने वाले माननीय सदस्य विराजें। आप एक मिनट सुनिये। आसन पैरों पर।

श्री कालीचरण सर्राफ : हम भी दो मिनट इस पर बोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, जो व्यवस्था आसन ने दी थी उसमें आपको विषयवस्तु पर दो मिनट की अनुमति दी थी। आपने 12 मिनट तक लगातार अपनी बात को सदन में रखा। (व्यवधान) मेरी बात सुनिये। बात रखते-रखते आप इस विषयवस्तु को आरोप-प्रत्यारोप तक ले गये। चूंकि आपने आरोप सदन में लगाया है इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय, आप कुछ कहना चाहें इस विषय में तो जरूर कहें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद : पाइंट ऑफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पहले मुझे अपनी बात पूरी कहने दीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, वास्तव में जिस आबकारी नीति को आपने प्रारंभ किया था, आपको सुन कर के ताज्जुब होगा, ताज्जुब, आंकड़ों को देखने की कोशिश करिये।

एक माननीय सदस्य : आपसे एक ही निवेदन है कि महावीर जयंती के दिन शराब बंद करवा दें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आकड़े दे रहा हूं, आपने बिलकुल राज्य की आबकारी नीति के तहत, व्यवस्था के तहत एक फूटी कौड़ी तीन सालों में कमाई नहीं और बढ़ाई नहीं। आंकड़े सुनने की कोशिश करिये। (व्यवधान)

श्री रमेश खीची : माननीय कटारियाजी, तो भगवान के नाम पर कमाना चाहते हो क्या आप?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : महावीर जंयती पर शराब बिकवाना चाहते हो ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तीन साल में एक नया पैसा नहीं कमाया, बात करते हो। आंकड़े देखने की कोशिश करो।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप अपने सदस्यों को कंट्रोल कीजिए। (व्यवधान) आपने जो विषय रखा, उसका सरकार की तरफ से उत्तर आ रहा है, उत्तर सुनने की कोशिश कीजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक माननीय सदस्य बोल रहा है उसको आप पूरा करने ही नहीं दे रहे हो, बीच में मंत्रीजी को खड़ा कर दिया। पहले आपको संयम लोढ़ा को बोलने देना चाहिए था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप बात सुनना नहीं चाहते हो, अपनी बात कहना चाहते हो, बात सुनो। सुनो, तब समझ में आयेगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वो अपनी बात कम्प्लीट कर लें फिर मंत्रीजी जवाब देना चाहें, दे दें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सुनो तो समझ में आयेगी, हल्ला करने से समझ में नही आयेगी। तर्क से समझो, तर्क से समझाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति : उन्होंने पूरी बात रख दी। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं, संयम लोढाजी अपनी बात पूरी कह दें। उनकी बात को पूरी करने दीजिये उसके बाद मंत्रीजी का जवाब आये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर समझाना चाहते हो तो तर्क से समझाओ। (व्यवधान) आपके कारनामों के कारण से क्या राजस्थान की आर्थिक हालत खराब की, क्या बात करते हो। यह आंकडे दे रहा हूं मैं, यह बता रहा हूं। आप सुनो। यह मेरे आंकड़े नहीं हैं, यह आपकी सरकार के आंकड़े हैं।

श्री संयम लोढ़ा : कराओ जांच, जांच कराओ, कौन रोक रहा है आपको। (व्यवधान) आप जांच कराइये।

एक माननीय सदस्य : सुनने की क्षमता रखो। (व्यवधान) पूर्व सरकार ने घोटाला किया है, जांच कराइये।

श्री सभापति : विराजिये आप, विराजिये। विराजें, विराजें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, अपने करमों को देखने की कोशिश करनी पडेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये आप। हां, मंत्री महोदय (व्यवधान) कृपया शांत रहें।

श्री धर्मपाल चौधरी : आधे घंटे की चर्चा हो जाए पांच साल की। पांच साल के जो कर्म किये हैं, आधे घंटे की चर्चा हो जाए कि आबकारी पर पांच साल आपने क्या क्या किया...(व्यवधान) पांच साल में कितना पैसा...

श्री सभापति : कृपया आप विराजें।

श्री संयम लोढ़ा : क्या आर. टी. डी. सी. को जो बीयर बेचते थे, वो बंद नहीं किया...(व्यवधान) शिवरात्रि को, महावीर जयंती को, जन्माष्टमी को...

श्री सभापति : आप विराजें। माननीय सदस्य यह आपका शोभाजनक व्यवहार नहीं है, आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं। आसन पैरों पर है। आप इस सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं। माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान) मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, जो बातें मैंने कही हैं, सरकार अगर वक्तव्य देना चाहते...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बिना आधार के जिस बात को आप कह रहे हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्या कर रहे हैं, विराजिये आप। (व्यवधान) आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला : यह लूट है तो पूर्व सरकार, अशोक गहलोतजी की सरकार ने...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : जितना भी गबन घोटाला किया, आबकारी विभाग की इनकी जांच कराइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के नेता महोदय को कहिये कि अपने सदस्यों को संभालें और व्यवस्था रखें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जब से कांग्रेस ने राज संभाला, इस आबकारी विभाग...

श्री रमेश खींची : आप तो शराब के ठेकेदार हो... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। कठूमर से आने वाले माननीय सदस्य, विराजिये आप। दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, विराजिये। आप भी विराजें। विराजें, आप भी विराजें।

आप सदन के अन्दर कृपया इस तरह का व्यवहार नहीं करें। सदन कुछ नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है। मेरा यह निवेदन था कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने विषयवस्तु रखते हुए अपनी बात सदन में कह दी। (व्यवधान) मेरा निवेदन सुनिए। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आसन ने जो व्यवस्था दी उसमें दो मिनट विषयवस्तु पर बोलने की व्यवस्था थी। उस पर आपको अनुमति दे दी और आपने बारह मिनट तक अपनी बात कही। (व्यवधान) विराजे। अब मंत्री महोदय अपनी बात कहेंगे। उसके बाद अगर कोई ऐसी बात होगी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें तो मैं प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बैठें। मंत्री महोदय।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, महावीर जयन्ती, जन्माष्टमी और शिवरात्री पर शुष्क दिवस था। (व्यवधान) महावीर जयन्ती, जन्माष्टमी और शिवरात्री पर दारू पीना खुला कर दिया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, वर्ष 1998–1999 में हमको मात्र 990 करोड रुपये की आमदनी हुई थी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : फिगर नहीं चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और 1999–2000 में आय घटी और आय घटकर 960 करोड़ आय हो गयी। लगातार पांच सालों में... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, ये आबकारी ठेकेदारों से मिले हुए हैं इसलिए सुनना पसन्द नहीं करते। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिए। आप सरकार का उत्तर नहीं सुनना चाहते। यह व्यवस्था नहीं चलेगी। बिराजें, नगर से आने वाले माननीय सदस्य। मंत्री महोदय।

श्री रमेश खींची : सभापति महोदय, माननीय संयमजी की बात पूरी नहीं हुई। बात पूरी सुन लें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, ...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कल्ला साहब, आपको ही बोलने का अधिकार नहीं है। जब मेरे को खड़ा होने के लिए आसन ने कह दिया... (व्यवधान) मैं अकेला निपट सकता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह आसन की व्यवस्था है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, पहले आप मंत्रीजी का जवाब सुन लें। उसके बाद आप शोर शराबा कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या बात हो रही है? मुझे तीन बार आसन से पुकारा गया। मैं बोलने के लिए खड़ा था। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : सच्ची बात माननीय मंत्रीजी की सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आसन ने मुझे बोलने के लिए तीन बार पुकारा। मैं तीन बार आसन की बात को मानकर खड़ा हुआ और आपके माननीय सदस्य बोलने नहीं देते। यह कोई रोड़ा–चूरी का बेईमानी का पैसा नहीं है। यह कोई दलाली का धन्धा नहीं है। मैं अकेला ही निपट सकता हूं।

(नारेबाजी)

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री सभापति : नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप अपने माननीय सदस्यों को बैठाइये। (व्यवधान) पहले अपनी–अपनी सीटों पर बैठें।

श्री कालूलाल गुर्जर : ×××

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं इसके लिए खड़ा था फिर आपको अधिकार कैसे था कि आप मेरी बात सुने बिना चाहे जिस प्रकार से आप बोल रहे थे। आसन ने मुझे पुकारा। मैं खड़ा हुआ था। मैं अपने मन से खड़ा नहीं हुआ था। (व्यवधान) कल्ला जी, आपको सुनने का अधिकार किसने दे दिया? मैं पूछना चाहता हूं। कल्लाजी, यदि आप प्रतिपक्ष के नेता हो... (व्यवधान) सरकारी बात को रखने के लिए मुझे काल किया जाता है तो फिर आप कैसी बात करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं जब खड़ा हुआ उस समय क्यों नही गया आपका ध्यान, कल्लाजी, मुझे तीन बार पुकारा गया फिर मुझे क्यों नहीं बोलने देते आप? आप प्रतिपक्ष के नेता हो, आप अपनी टीम को नहीं सम्भाल सकते। क्या सरकारी पक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय मंत्री महोदय, बिराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह क्या चल रहा है? जब आपने मुझे तीन बार काल किया तब मैं खड़ा हुआ।

श्री महीपाल मदेरणा : ×××

श्री सभापति : भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराजें। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : ×××

श्री सभापति : आप बैठे-बैठे बात नहीं करेंगे। माननीय सदस्य, आसन ने व्यवस्था दे दी। आसन ने मंत्री महोदय का नाम पुकार लिया उसके बाद शोरगुल हुआ।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री सभापति : इसके पश्चात् भी नेता प्रतिपक्ष महोदय, कोई बात आप अगर कहना चाहेंगे तो आपकी बात सदन सुनने के लिए तैयार है, आसन आपको पूरा मौका देगा परंतु आपके सदस्यों को इतना तो कम से कम अनुशासन में रहना चाहिए कि जब सरकार पर आप आरोप लगायें और सरकार की तरफ से कोई उत्तर आये और आप वह सुनना चाहें नहीं तो क्यों सदन का समय जाया करने की बात करते हैं? (व्यवधान) आप बिराजें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिमार्क्स आपको नहीं करने चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री सभापति : आप बिराजें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं अनुमति नहीं दूंगा। माननीय मंत्री महोदय।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं इस बात कहना चाहता हूं। आन ए पाइन्ट आफ आडर।

श्री सभापति : आप बिराजें। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप क्या कहना चाहते हैं? कहिए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, यह नहीं होगा। यह गलत बात है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें। आप क्या कहना चाहते हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला : सदन की यह परम्परा रही है कि सदन के नेता जब बोलते हैं तो सब चुप रहते हैं और उसके बाद सदन में विपक्ष का नेता बोले तो सभी चुप हो जाए। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : ×××

श्री ओम बिरला : ×××

श्री भवानी सिंह राजावत : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय सदस्य बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें, बिराजें... (व्यवधान) आप बिराजिये। मैं पूछ रहा हूं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : ×××

श्री कालीचरण सर्राफ : ×××

श्री सभापति : आप बिराजें (व्यवधान) आरोप मैंने एक्सपंज कर दिए हैं। जो आरोप लगाए हैं उनको मैंने एक्सपंज कर दिया है। आप बिराजिए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : ×××

श्री सभापति : आप बिराजिए। आप बिराजिए। आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य बिराजें। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप जो बात कहने...(व्यवधान) आपने जो भावना व्यक्त की...(व्यवधान) आपने अपनी बात कही।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं, कही। अभी तो हाउस ही आर्डर में नहीं था।

श्री सभापति : आप बिराजें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट मैं कहना चाहता हूं ...

श्री कालीचरण सर्राफ : ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला : मुझे बड़ा अफसोस है सभापति महोदय, इस सदन में इतनी गरिमा नहीं है, प्रतिपक्ष का नेता बोल रहा है तो मंत्रियों को तो वैसे ही अनुशासन रखना चाहिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री सी. डी. देवल : ×××

श्री सभापति : आप बिराजें, आप बिराजें, आप बिराजें।

श्री सी. डी. देवल : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री सभापति : माननीय नेता प्रतिपक्ष, दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराजें। आसन पैरों पर है आप बिराजिए (व्यवधान) मैं अनुमति नहीं दूंगा। आप बिराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं नाम से पुकारूंगा। आप बिराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं नाम से पुकारूंगा, आप बिराजें।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने यह कहा कि सदन में नेता प्रतिपक्ष बोले तो सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य हों, प्रतिपक्ष के सदस्य हों उनको उनकी बात सुननी चाहिए। सिद्धान्ततः यह बात बिलकुल ठीक है परन्तु क्या आप सरकार को नहीं सुनेंगे? (व्यवधान) बिराजें, बिराजें आप (व्यवधान) आप अपने माननीय सदस्यों को कम से कम इतना तो बताए, उनको संयमित तो रखें कि जब उन्होंने अपनी बात कह दी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री सभापति : मैंने मंत्री महोदय का नाम पुकार लिया... (व्यवधान) आप बिराजें, बिराजें।

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री भागीरथ चौधरी : ×××

श्री सभापति : मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य बिराजें, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री सुरेश चौधरी : ×××

श्री सभापति : आप यह बैठे-बैठे बोलने की आदत को बदलिए। आप नये सदस्य हैं। सदन कुछ नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है। मैं काफी समय से देख रहा हूं आप बैठे-बैठे लगातार टिप्पणियां करते रहते हैं। आप बैठे-बैठे बोलते रहते हैं। यह सदन की परम्पराओं के विपरीत है। सदन में किस तरह का आचरण हो (व्यवधान) आप बिराजें, आप चुप रहिए, आप शांत रहिए (व्यवधान) मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय सदस्य ने विषय की विषयवस्तु रखने पर सिर्फ दो मिनट की अनुमति दी थी। उसके पश्चात् भी लगातार बारह मिनट तक आप बोले (व्यवधान) बिराजिए। उसके पश्चात् भी मैंने जब आसन से यह व्यवस्था दी कि माननीय मंत्री महोदय का उत्तर हो जाएगा उसके बाद भी कोई पाइंटेड सवाल आपको पूछना हो तो आपको अनुमति दे दूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने अपनी बात कह दी इसलिए कृपया शांत रहें। माननीय मंत्री महोदय।

श्री जुबेर खान : ×××

श्री महीपाल यादव : ×××

श्री रमेश खींची : ×××

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, इस सरकार ने... (व्यवधान) नब्बे करोड़ की हमको आमदनी हुई 1999-2000 में... (व्यवधान) घाटा दिया इन्होंने जब उसके बाद 2000-2001 में 1118.48 करोड़ रुपया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मात्र...(व्यवधान) उसके बाद अगले साल 2001-2003 में 1110 करोड रूपया कमाया। उसमें से आपने घाटा देकर के...(व्यवधान) 2002-2003 में... (व्यवधान) आपकी व्यवस्था के कारण से यह आपके राज के आंकड़े हैं निरन्तर आमदनी को घटाया है। (व्यवधान) हमने आमदनी को फिर से बढ़ाने के लिए तीन सौ करोड़ रुपये का जम्प देने के लिए व्यवस्था की। (व्यवधान) खजाने को भरने के लिए (व्यवधान) हमने यह व्यवस्था की अतिरिक्त आमदनी के लिए कहा...(व्यवधान) कोई पालिसी चैंज नही की जो पालिसी आपकी थी उसी पालिसी को हमने रखा है। राजस्थान में हमने पाउच बंद किया और उसकी जगह बोतल दी है जिसके कारण से एडलट्रेशन नहीं कर सकें। क्या पालिसी में हमने कर दिया जिसके कारण से आपने कहा किसानों का हमने अहित कर दिया? कोई किसानों का अहित नही है उसमें। किसानों को पहले मिल रहा था उतना ही...(व्यवधान) किसानों को आज भी मिल रहा है। (व्यवधान) हमने यह कहा है कि क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 300 करोड़ रुपये अतिरिक्त (व्यवधान) इस व्यवस्था में थोड़ा सा सुधार किया (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं इन्हें चुनौती देता हूं हमने जो व्यवस्था की फुल प्रूफ व्यवस्था की है, क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है। मैं आंकड़े सदन की पटल पर रख रहा हूं।

श्री सभापति : हां, सदन के पटल पर रख दीजिए। नियम 295, श्री कालूलाल गुर्जर।

श्री रमेश खींची : ×××

श्री अशोक बैरवा : ×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा : ×××

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

(13.00 बजे)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति

श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल) : महोदय, राजस्थान राज्य में गत वर्षों में जनता के साथ विभिन्न प्रकार से की जा रही ठगी की वारदातों में उत्तरोतर बढ़ोतरी हो रही है जिस पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। अपराधियों द्वारा ठगी की वारदातें जैसे बस अथवा ट्रेन में नशीला पदार्थ खिलाकर लोगों की नकदी व आभूषण लूट लेना आदि। महिलाओं के जेवरात आदि को चमकाने के बहाने जेवरात ठगी की वारदातें की जा रही हैं। इसके साथ ही स्कूलों में पढ़ने वाले छोटी उम्र के बच्चो को उनके माता–पिता की मृत्यु का भय दिखाकर भी ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। मैं इस प्रस्ताव में कुछ घटनाओं का उल्लेख कर रहा हूं जिन पर पुलिस द्वारा मुस्तेदी से समय पर कार्यवाही की गयी होती तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती।

दिनांक 6 सितम्बर, 2001 को बालक चेतन, उम्र 14 वर्ष, निवासी रेलवे पोस्ट आफिस के पास, जयपुर, जो कि टैगोर पब्लिक स्कूल, शास्त्री नगर में अध्ययनरत था और अपने स्कूल से घर जा रहा था, तभी रास्तें में पीतल फैक्टरी के पास दो व्यक्तियों द्वारा उसको किसी संस्थान का पता पूछने के बहाने रोककर बातों में लगाकर अपने आपको भगवान का अवतार बताकर उसको उसके माता-पिता की मृत्यु का भय दिखाकर उसकी माता के गहनों को पूजन करने के बहाने मंगवाकर ठगी की गयी। पुलिस थाना बनीपार्क में इस आशय का प्रकरण संख्या 134/2001 दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं की गयी और ठीक उसी स्थान पर अन्य घटना दिनांक 12 सितम्बर, 2001 को घटित हुई और इस सम्बन्ध में बनीपार्क थाना, जयपुर में प्रकरण संख्या 144/2001 दर्ज हुआ। इस प्रकार की वारदातें होने के उपरान्त भी पुलिस विभाग सक्रिय नहीं हुआ और मनीष कुमार, उम्र 16 वर्ष, निवासी बजरंग कालोनी, रामनगर, सोडाला थाने के पास भी इसी प्रकार की वारदात हुई और इस सम्बन्ध में थाना सोडाला, जयपुर में प्रकरण दर्ज हुआ। बच्चों के साथ इस प्रकार हुई घटनाओं के कारण उन बच्चों एवं उनके परिवारजनों में भय तो व्याप्त हुआ ही है साथ ही बालकों की मानसिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

राज्य में ठगी की वारदातें कई गिराहों द्वारा निरीह जनता के साथ की जा रही है। 20 अक्टूबर, 2003 को पुलिस थाना जयपुर में आटोपार्ट्स की दुकान करने वाले मोहम्मद हनीफ ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी जिसमें दो युवकों द्वारा नकली सोने की ईंट देकर 1.50 लाख रुपयों की ठगी की। ठीक इसी प्रकार की वारदात गत दिनों नागौर जिले में हुई। बसों एवं ट्रेन में यात्रियों को पेय पदार्थ अथवा बिस्किट आदि खिलाकर भी कई वारदातें गत वर्षों में हुई और इस प्रकार की वारदातों में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। सोने के आभूषण आदि सस्ते भावों में बेचने सम्बन्धी ठगी की वारदातों के जयपुर शहर के कई थानों में पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज हैं लेकिन विभाग द्वारा पुराने प्रकरणों पर एफ. आर. लगा दी जाती है और मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि ऐसे सभी प्रकरणों की जांच पूर्व में राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज प्रकरणों को साथ में सम्मिलित करते हुए किया जाना आवश्यक है।

बालकों की ठगी सम्बन्धी इसी प्रकार का एक प्रकरण पुलिस थाना माणक चौक, जयपुर में वर्ष 2001 में दर्ज हुआ जिसमें मुलजिम ठगी करते हुए पकड़ा गया। उसी के भतीजे जावेद पुत्र खालिद, निवासी मौहल्ला लुकमानपुरा पी. एस. करतपुरा, जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश का निवासी था। चार साथियों के साथ ठगी की वारदात करते हुए जनता ने पकड़ा और उसे पुलिस थाना रामगंज, जयपुर को सौंप दिया लेकिन अत्यन्त खेदजनक स्थिति यह है कि इन मुलजिमों का सामान्य मारपीट का प्रकरण दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा थाना माणक चौक में दर्ज ठगी के प्रकरण में भी न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी होने के उपरान्त भी उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है जो कि जांच का विषय है।

मेरा माननीय गृह मंत्री महोदय से प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि प्रस्ताव में उल्लेखित ठगी की घटनाओं की पुनः जांच किसी उच्च अधिकारी से करवाएं और अभियुक्तों को चिंहित और गिरफ्तार करने हेतु विशेष जांच दल गठित करने के आदेश करने का श्रम करें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : ×××

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री अशोक बैरवा : ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय सदस्य बिराजें... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : ×××

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री सभापति : बिराजें माननीय सदस्य। मैंने दूसरा विषय ले लिया। 295 पुकार लिया है। 295 में रणवीर सिंहजी गुढा।

श्री सी. डी. देवल : ×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा : ×××

श्री सभापति : नये सदस्य बोल रहे हैं, कृपया कोआपरेट करें। नये सदस्य बोल रहे हैं, कृपया सहयोग करें। नये सदस्य बोल रहे हैं, बोलने दीजिये इनको। (व्यवधान) बिराजें माननीय सदस्य। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे हुए हैं...(व्यवधान)

श्री सुरेश चौधरी : ×××

श्री सभापति : नियमों में चलने की कोशिश कीजिये। बिराजिये आप। मैंने दूसरा विषय पुकार लिया है। बिराजिये आप। हां, रणवीर सिंहजी।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : ×××

श्री रमेश खीचीं : ×××

श्री सभापति : बिराजें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोलने दो भाई। नये सदस्य आए हैं। नये सदस्य बोल रहे हैं आप चिल्लाइये मत... (व्यवधान) इनको हक नहीं है क्या बोलने का? (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं फिर नाम से पुकारूंगा...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह गुढा से आए हैं, नहीं बोल सकते, आप ही बोल सकते हो। ठेका आपने ले रखा है क्या? बोलने दो ना सदस्य को (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं सभापति महोदय, आपके और इस सत्ता पक्ष के व्यवहार को लेकर पूरे सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। माननीय सदस्य, बिराजियें। हां, बोलिये आप...(व्यवधान)

प्रधान, पंचायत समिति, उदयपुरवाटी की कथित अनियमितताएं

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने 295 के तहत उदयपुरवाटी पंचायत समिति का जो पूर्व सरकार, गहलोत सरकार के...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने जो इसमें लिखा है कृपया वही पढ़ें उसके अलावा कुछ नहीं है। आपने जो लिखा है कृपया उसी को पढ़ें। इधर-उधर की बात नहीं करें।

श्री रणवीर सिंह गुढा : महोदय, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र गुढा की तहसील एवं पंचायत समिति उदयपुरवाटी में हुए भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में आपका ध्यान इस प्रस्ताव के माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं। पंचायत समिति उदयपुरवाटी में राजकीय राशि का पूर्व में खुलकर दुरुपयोग हुआ और इस सम्बन्ध में उदयपुरवाटी के जनमानस द्वारा आन्दोलन किया गया जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने वहां के विकास अधिकारी का स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया लेकिन अत्यंत खेद के साथ मुझे इस सदन को यह जानकारी देनी पड़ रही है कि भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं में पूर्णतः लिप्त प्रधान, पंचायत समिति उदयपुरवाटी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई जांच और उसे अपने पद से मुक्त करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अभी तक विभाग द्वारा नही की गयी है।

(श्री रणवीर सिंह गुढा)

मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन है कि पंचायत समिति उदयपुरवाटी के प्रधान को तत्काल पद मुक्त करें और इस भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराकर मेरे क्षेत्र की जनता के साथ न्याय करें। सभापति महोदय...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये आप 295 में... (व्यवधान) आप मेरी बात सुनें। बिराज जाएं आप एक बार...

श्री रणवीर सिंह गुढा : पांच मिनट, दो मिनट, दो मिनट तो दे दें आप।

मैं सरकार से इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि इससे सरकार को अभी भी लाखों रुपयों का घाटा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो प्रधान, पंचायत समिति उदयपुरवाटी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुकदमें अभी भी लम्बित हैं, वांछित हैं, उस प्रधान के खिलाफ और उस बी. डी. ओ. को तुरंत गिरफ्तार किया जावे। उनको तुरंत जेल में भेजा जाये। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप विराजें। आपने अपनी बात कह दी। बिराजें। माननीय नवरतन राजोरिया।

श्री हरिमोहन शर्मा : पाइंट आफ इंफार्मेशन । सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस मंत्रिमण्डल के सदस्य द्वारा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट के धज्जियां उड़ाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बिराजे। बिराजें।

श्री हरिमोहन शर्मा : सभापति महोदय, अजमेर में वहां एक साल से लेकर दस साल के बच्चों के...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें माननीय सदस्य...(व्यवधान) मैं अनुमति नहीं दूंगा। अंकित नहीं हो...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : ×××

श्री सभापति : आप बिराजें माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, आप बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री सभापति : पाइंट आफ इंफार्मेशन कोई आकस्मिक ऐसी घटना हो जाये जिसकी ओर पूरे सदन का ध्यानाकर्षित करना उसी वक्त अत्यावश्यक हो जाये, इस वक्त यह उठाया जाता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री सभापति : आप बिराजें माननीय सदस्य पाइंट आफ इंफार्मेशन के माध्यम से, बिना आपने बिना नोटिस दिये, मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य पर आरोप लगा रहे हैं। नियमों और प्रक्रियाओं में यह निर्धारण किया हुआ है कि किसी पर आप व्यक्तिश: आरोप लगायें तो पहले उन्हें नोटिस दें। इसलिए आपके पाइंट आफ इंफार्मेशन को मैं रिजेक्ट करता हूं। आप बिराजें, माननीय नवरतन राजोरिया।

श्री हरिमोहन शर्मा : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री सभापति : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री हरिमोहन प्रसाद जैन : ×××

श्री हीरालाल (निवाई) : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें। बिराजें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, हालांकि सदन में आप पिछली बार नहीं थे परन्तु फिर भी आप इस सर्वोच्च सदन के कई बार सदस्य रह चुके हैं। आपने राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों को जरूर पढ़ा होगा। आप उसके नियम 273 को देख लें। उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी पर आरोप लगाने से पहले उनको विधिवत नोटिस दिये जाने की आवश्यकता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री हरिमोहन शर्मा : ×××

श्री सभापति : आप विराजें, आप विराजें। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री हरिमोहन शर्मा : ×××

श्री सभापति : आप विराजें माननीय सदस्य। श्री नवरतन राजोरिया।

कालख बांध (फुलेरा) की ऊंचाई

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र में कालख बांध को ऊंचा करने से डूब में आई भूमि के हितधारियों को मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के लिए विशेष उल्लेख प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उक्त बांध को ऊंचा करने के लिए कालख की ढाणी के 66 व्यक्तियों की भूमि 17.12.1986 को सिंचाई विभाग द्वारा अवाप्त की गयी थी तथा दिनांक 5.3.1986 को अवार्ड पारित किया गया था। इस अवार्ड के विरुद्ध सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 14.4.1986 को सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर के न्यायालय में एक रेफरेंस प्रस्तुत किया गया। उक्त न्यायालय द्वारा इस रेफरेंस को दिनांक 23.11.2001 को खारिज करते हुए हितधारियों को मुआवजा राशि मय ब्याज भुगतान किये जाने के आदेश दिये थे। इसके उपरान्त भी सिंचाई विभाग ने मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया है।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि भूमि अवाप्ति अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि 30.4.1982 के बाद जो भी अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित किया जावेगा उसमें मार्केट वेल्यू पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा अन्तर्गत धारा 23(1)ए(30) प्रतिशत सोलेसियम अन्तर्गत धारा 23(2) के तहत देय होगा तथा कब्जा लेने से मार्केट वेल्यू पर एक वर्ष का 9 प्रतिशत ब्याज देय होगा तथा शेष अवधि अर्थात् भुगतान की दिनांक तक 15 प्रतिशत ब्याज देय होगा। उक्त सम्बन्ध में राज्य सरकार ने दिनांक 21.4.1987 को एक परिपत्र भी जारी किया है जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

(श्री नवरतन राजोरिया)

इस भूमि के विस्थापितों में से अधिकांश अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति हैं। उनके मकानों की उजाड़े हुए 20 वर्ष गुजर चुके हैं। सिंचाई विभाग उनको न्यायालयों में उलझाकर और 10-20 वर्ष उनको परेशान करना चाहता है।

अतः मेरी इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री से अनुरोध है कि उक्त बांध के 66 विस्थापितों को मय ब्याज मुआवजा भुगतान किये जाने के निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन, कल अजमेर में दिन दहाड़े घर में घुसकर एक महिला...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, इस सदन में बोलने के लिए कोई न कोई व्यवस्था...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजें, आप विराजें माननीय सदस्य...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : पाइंट आफ इन्फार्मेशन है...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, हर सीट के बिजली का करेंट लगा दो ताकि आपकी अनुमति के बिना बोले तो करेंट लग जाये।

श्री सभापति : आप बिराजें माननीय सदस्य, मैं नाम से पुकारूंगा, विराजें आप। मैं आपको नाम से पुकारूंगा... व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : पाइंट आफ इंफार्मेशन... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजें। मैं अनुमति नही दूंगा, आप विराजें... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन है... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजें। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : सभापति महोदय, कल अजमेर में दिन दहाड़े... (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आपको नाम से पुकारूंगा माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : ×××

श्री सभापति : आप विराजे। मैं अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सदस्य, यह सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है। आपको यह विषय अगर अत्यावश्यक था तो किसी नियम और प्रक्रिया से आप आते आपको अनुमति मिलती। यह कोई तरीका नहीं हुआ कि कुछ भी बात आये तो पाइंट आफ इन्फार्मेशन करके खड़े होकर बातें करनी चालू कर दी। आप विराजे रहें। मैं अनुमति नही दूंगा...(व्यवधान) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : ×××

श्री रामप्रताप कासनिया : ×××

श्री सभापति : आप विराजें माननीय सदस्य। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर शहर की पेयजल समस्या

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि जोधपुर शहर क्षेत्र पारम्परिक रूप से पेयजल की समस्या से जूझता रहा है। पूर्व में माननीय भैरोंसिंहजी की सरकार द्वारा इस समस्या को दूर करने हेतु ठोस प्रयास किये गये और राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना द्वारा जोधपुर शहर में हिमाचल का पानी लाया गया। इससे पेयजल की उपलब्धता की समस्या तो दूर हो गयी परंतु इसके पश्चात् आयी कांग्रेस सरकार ने इस पानी के वितरण व्यवस्था में सुधार हेतु कोई प्रयास नहीं किये। जिससे आज भी शहर के भीतरी क्षेत्रों में समुचित पेयजल उपलब्धता एक समस्या ही रही है।

हाल ही में शहरी क्षेत्रों में सड़क सुधार हेतु ए.डी.बी. परियोजना के अन्तर्गत आर.सी.सी की सड़क बनवायी जा रही है। सड़क सुधार के इस कार्यक्रम में सड़क के नीचे की पुरानी पेयजल पाइप लाइन को भी बदले जाने का प्रावधान है। परंतु जहां सड़क निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है वहीं पुरानी पाइप लाइन बदले जाने के कार्यादेश तक भी जारी नहीं किये गये हैं।

(श्री सूर्यकान्ता व्यास)

विभिन्न विभागों एवं कार्यों के समन्वय के अभाव में आम जनता को वांछित राहत नहीं मिलने की आशंका है वहीं राज्य सरकार द्वारा आम जनता के लिये किए जा रहे अच्छे कार्य का भी वांछित परिणाम नहीं निकलेगा।

मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन है कि ए.डी.बी. परियोजना के अधिकारियों को यह निर्देश प्रदान करें कि शहरी क्षेत्रों में किये जा रहे सड़क सुधार कार्यक्रम को विभिन्न सम्बन्धित विभागों के समन्वय से पूरा करें। साथ ही साथ सड़क निर्माण के पूर्व पेयजल पाइप लाइन एवं क्षीण पाइप लाइन को बदलने का कार्य करें ताकि राज्य सरकार के इस अच्छे कार्य का जनता को दूरगामी लाभ मिल सके।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कई बार आसन से इस बात की व्यवस्था दी गई कि माननीय सदस्य सदन में आएं तो अपने मोबाइल टेलीफोन बंद कर दें। बार-बार, बार-बार आप जैसे जिम्मेदार माननीय सदस्यों को आसन कहे, मैं समझता हूं कि आपके लिए और आसन के लिए, दोनों के लिए पीड़ा की बात है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी काफी देर से मोबाइल टेलीफोन बज रहा था, उन माननीय सदस्य से निवेदन है कि दुबारा इसकी पुनरावृत्ति न हो।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सभापति महोदय, वह तो निर्जीव भी बोल जाता है, यहां तो सजीव बोलते हैं तो निर्जीव भी बोल जाता है।

श्री सभापति : माननीय श्री राव राजेन्द्र सिंह।

राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-8 के चौड़ाकरण से उत्पन्न समस्याएं

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि अभी हाल ही के वर्षों में मेरे विधान सभा क्षेत्र बैराठ के शाहपुरा कस्बे में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 8 को फोरलेन किया जाकर इसके तल को ऊपर उठाया गया था। जिस समय राष्ट्रीय राज मार्ग के तल को ऊपर उठाया जा रहा था, राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण और सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, दोनों द्वारा ही यह ध्यान नहीं रखा गया कि पूर्व से शाहपुरा कस्बे की पानी की निकासी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर सुचारु रूप से

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

चल रही है, राष्ट्रीय राज मार्ग के तल को ऊपर उठा देने से पानी की निकासी अवरुद्ध हो जाएगी। इसके परिणामस्वरूप राज मार्ग के तल को ऊपर उठाने पर ऐसा ही हुआ और कस्बे के पानी की निकासी अवरुद्ध हो गई। आज शाहपुरा कस्बे की स्थिति यह हो गई है कि कस्बे में जगह–जगह पानी रुका हुआ है और जगह-जगह कीचड़ होने से कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि राष्ट्रीय राज मार्ग को फोरलेन करते समय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राज मार्ग के बीच में पड़ने वाले कस्बों, नगरों के हितों का ध्यान रखा जाता है लेकिन शाहपुरा कस्बे की इस मामले में अनदेखी की गई जिसके लिए राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण और सार्वजनिक निर्माण विभाग दोनों ही पूरी तरह से दोषी हैं।

इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन है कि शाहपुरा कस्बे का अधिकांश भाग राष्ट्रीय राज मार्ग के पश्चिम दिशा में ही बसा हुआ है और पूर्व दिशा में कस्बे का कम भाग ही बस हुआ है और कस्बे का ढाल भी पश्चिम से पूर्व की ओर ही है। यही कारण है कि पूर्व में पानी की निकासी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर थी जिससे पानी की निकासी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी।

मैं इसमें सुधार कर लूं, सभापति महोदय, जैसा लिखा है, अध्यक्ष महोदय, तो आपको नहीं कहूं?

श्री सभापति : जैसा आपने लिखा है, कृपया उसको वैसा ही पढें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : 'अध्यक्ष महोदय' कह दूं आपको ?

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके व इस सदन के माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के अंतर्गत माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से यह मांग है कि सबसे पहले शाहपुरा कस्बे का एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा सर्वे करवा कर राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण से कस्बे में हुए नुकसान के लिए नगरपालिका, शाहपुरा को आर्थिक मुआवजा दिलवाया जाए अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कस्बे की पानी की निकासी को सही प्रकार से लाइनें डलवाकर व्यवस्था की जाए ताकि वहां के निवासियों और आने-जाने वालों को राहत पहुंचाई जा सके।

श्री सभापति : श्री दाताराम ।

ब्लाक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति खेतड़ी द्वारा की गयी अनियमितताएं

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ब्लक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति खेतड़ी द्वारा आचार संहिता लगने के पश्चात् नियमों के विरुद्ध राजनीतिक कारणों से क्रमांक ब्लाक प्रा.शि.अ खे/संस्था, 2003 एस.पी. 1 से 4 दिनांक 25.11.03 द्वारा प्रधानाध्यापक का स्थानांतरण किया गया। पंत्राक 3335 द्वारा एवं पत्रांक 3035–37 द्वारा भी अनेक स्थानांतरण किए गए।

उक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारी द्वारा राजनीतिक कारणों से एवं रिश्वत के रूप में मोटी रकम लेकर चुनाव आचार संहिता लगने के कारण नियमों के विरुद्ध स्थानांतरण किए गए हैं।

अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि उक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का श्रम करें।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल।

विद्यालयों को जिला पूल से सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाना

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन हूं कि मैं जिस समस्या की ओर कदम का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं वह न केवल मेरी समस्या है बल्कि पूरे सदन के माननीय सदस्यों की है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक माननीय सदस्य को अपने विधान सभा क्षेत्र में दौरा करने के लिए एक माह में पांच दिन सरकारी वाहन जिला पूल से उपलब्ध कराया जाता है, जो अच्छी बात है लेकिन उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन की हालत ठीक नहीं होती। कई बार तो वाहन को चालू करने के लिए धक्के लगवाए जाते हैं, जो कि माननीय सदस्यों की गरिमा के अनुकूल नहीं होता है। प्रोटोकाल के विपरीत सरकारी अधिकारी अच्छा वाहन लेकर घूमते हैं जो कि माननीय सदस्यों के साथ भेदभाव है।

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

क्या सरकार पांच दिन तक वाहन उपलब्ध करवाने के स्थान पर विधायकों को वाहन भत्ता देने का विचार करेगी? ऐसा होने पर विधायकों को किराये पर वाहन लेकर अपने क्षेत्र में भ्रमण करने में सुविधा रहेगी।

श्री सभापति : डा. करण सिंह यादव।

बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में सड़कों की दयनीय स्थिति

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम माजरी कलां, ग्राम मांढण व ग्राम कायसा के ग्रामीण हिस्से से गुजरने वाली सड़कें बहुत क्षतिग्रस्त हैं, बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हो रहे हैं तथा बहुत ज्यादा कीचड़ भरा रहता है।

आर.यू.पी. फेज फर्स्ट व सैकण्ड में नवीकृत सड़कों के ग्राम से गुजरने वाले रास्तों को छोड़ दिया गया था।

ग्रामों से गुजरने वाले इन टुकडों को सी. सी. रोड अथवा खरंजा निर्माण करवा कर ही इन रास्तों को ठीक किया जा सकेगा।

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से निवेदन है कि शीघ्र इन रास्तों को ठीक करवाने के आदेश फरमाएं।

श्री सभापति : श्री हरलाल सिंह खर्रा।

श्रीमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र में अकाल के दौरान कराये गये कार्यो में अनियमितताएं

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि गत अकाल वर्षों के दौरान जिन ग्राम पंचायतों में कांग्रेसी सरपंच थे उनमें बार-बार एक ही कार्य को कई बार करके बार-बार भुगतान उठाकर राज कोष का दुरुपयोग किया जाकर गम्भीर घोटाले किए गए हैं। मस्टरोल भरकर पूर्व विधायक के राजनीतिक दबाव में पास कराकर भारी घोटाला किया है। जिन ग्राम पंचायतों में प्रमुख रूप से घोटाला हुआ है, उनमें जोरावर नगर, अनन्तपुरा, हासपुर, हथोरा और बागरियावास प्रमुख हैं।

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

इन पंचायतों के निवासियों ने कई बार शिकायतें भी की व पंचायत समिति श्रीमाधोपुर के प्रधान ने भी अधिकारियों को अवगत कराया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें किसी निष्पक्ष अधिकारी से जांच कराकर जिसने भी घोटाले किए हैं उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही कराई जावे। मेरा राज्य सरकार से यह भी अनुरोध है कि दोषी लोगों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाकर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री अतर सिंह भडाना।

बयाना-कलसाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना) : माननीय सभापति महोदय, बयाना विधान सभा क्षेत्र में बयाना से कलसाड़ा के बीच एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना में बयाना कस्बे से कलसाडा की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है और बीच में करीब 120 गांव बसे हुए हैं, लेकिन इतनी लम्बी दूरी के बीच में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है जिससे क्षेत्र की जनता को भारी परेशानियां हो रही हैं।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि क्षेत्र की जनता को छोटी-छोटी बीमारियों के लिए भी अलवर, भरतपुर या जयपुर आना पड़ता है जिससे गरीब जनता का समय और धन नष्ट होता है या उन्हें मजबूर होकर क्षेत्र के गांव-गांव में फैले झोलाछाप डाक्टर या नीमहकीमों के पास जाना पड़ता है और कई बार अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र डांग क्षेत्र होने के कारण यहां अभी तक भी विकास नहीं हुआ है और देश की आजादी के 56 साल बाद भी क्षेत्र की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्षेत्र में जगह-जगह जंगल हैं और आने जाने का रास्ता भी नहीं है। इस क्षेत्र की जनता को डाकूग्रस्त क्षेत्र होने के कारण भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

(श्री अतर सिंह भड़ाना)

अत: मेरा आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की ओर माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि इस क्षेत्र का अविलम्ब सर्वे करवाकर आवश्यकतानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापति कर क्षेत्र की जनता को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। साथ ही झोलाछाप डाक्टरों और नीम हकीमों के खिलाफ भी आवश्यक कार्यवाही कर जनता को राहत प्रदान कर अनुगृहीत करें।

श्री सभापति : माननीय श्री लाल चंद।

गंग-कैनाल क्षेत्र के पास किसानों को भू-आबंटन

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर, जो कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की सीमा पर बसा हुआ है और इसके साथ सिंचाई की दृष्टि से भी गंग-कैनाल की सभी वितरिकाओं का अंतिम छोर है, की ओर दिलाना चाहता हूं।

मेरे क्षेत्र में कृषि भूमि अस्थाई आबंटन (टी.सी.) का रकबा काफी मात्रा में है, जो कि 1990 से 1993 तक की तत्कालीन भाजपा सरकार के माननीय मुख्य मंत्री महोदय के शासनकाल में बहुत सारा रकबा पुख्ता आवंटन किया गया था, जो गंग कैनाल व इंदिरा गांधी कैनाल पर समान रेट यानी नहरी क्षेत्र में प्रति मुरब्बा 2 लाख रुपये की दर से व बारानी क्षेत्र में 50 हजार प्रति मुरब्बा की दर से था। यह रकबा सीमा क्षेत्र पर व दूसरे दर्जे का व कम उपजाऊ है। जबकि पिछली कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे पर किसानों के हितों की रक्षा करने के बजाय किसानों के साथ अन्याय किया।

सभापति महोदय, इनकी सरकार ने इस जमीन को दो भागों में बांट दिया। एक गंग-कैनाल व दूसरा इंदिरा गांधी कैनाल पर। गंग-कैनाल में नहरी क्षेत्र की जमीन की रेट 8 लाख रुपये प्रति मुरब्बा व बारानी क्षेत्र में 1.50 लाख रुपये प्रति मुरब्बा की दर तय कर दी व इंदिरा गांधी कैनाल क्षेत्र में नहर क्षेत्र में चार लाख रुपये प्रति मुरब्बा की दर व बारानी क्षेत्र में एक लाख रुपये के हिसाब से तय कर दी।

(श्री लालचन्द मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, इस रकबे की कुल 600 फाइलें हैं जिसमें 80 प्रतिशत जमीन अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जमीनों की दरें पुनः 1995 की दर के आधार पर उन पात्र किसानों को पुख्ता आवंटन करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरी रायसिंहनगर तहसील में 185 रेवेन्यू प्रकरण भी काश्तकारों के पुख्ता अस्थायी आबंटन से सम्बन्धित हैं। 1990 से 1992 के मध्य तत्कालीन सक्षम आबंटन अधिकारी ने जो पुख्ता आबंटन किया वो आबंटन यह कहकर जिला क्लक्टर, श्रीगंगानगर ने आदेश खारिज कर दिया कि आबंटन में पात्रता नहीं देखी गई, जबकि तत्कालीन आबंटन अधिकारी ने आबंटन सही किया था। इस कारण राज्य सरकार से 185 पत्रावलियों में पुनः निरीक्षण केस किया गया जिसमें राज्य सरकार ने स्थगन आदेश दे दिया। इस कारण ये पत्रावलियां सम्बन्धित आबंटन अधिकारी के पास पिछले 7-8 वर्षों से लम्बित हैं। उक्त प्रकरणों में तत्समय पुरानी आबंटन दरों से किश्तें कायम की गई थीं व कुछ काश्तकारों ने कुछ किश्तें जमा भी करवा दी थीं, क्योंकि उक्त सभी प्रकरण आबंटन अधिकारी द्वारा रिव्यू स्वीकार करने के कारण निरस्त माने जाये। अब इन प्रकरणों में पुनः निर्णय पारित किया गया कि इन काश्तकारों को वर्तमान दरों से किश्त जमा करवानी होगी। जो कि पूर्ववर्ती किश्तों से कई गुणा अधिक है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि इन प्रकरणों में भी पूर्ववर्ती दरों से रकम जमा करवाने के सक्षम अधिकारी को आदेश करने का कष्ट करें ताकि मेरे क्षेत्र के इन भूमिहीन किसानों का भला हो सके।

श्री सभापति : पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। माननीय श्री गोविन्दराम चौहान।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

नोखा विधान सभा क्षेत्र में अध्यापकों के रिक्त पद

श्री गोविन्दराम चौहान (नोखा) : आदरणीय सभापतिजी, मेरा विषय नोखा विधान सभा क्षेत्र से ही नहीं पूरे जिले में शिक्षा के सम्बन्ध में है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे नोखा विधान सभा क्षेत्र में जो स्कूलें हैं जिस तरह से अणखीसर गांव है उसमें 7 मास्टरों के पद स्वीकृत हैं और मौके पर चार हैं। ढींगसरी में 9 मास्टरों की स्वीकृति है, मौके पर दो हैं। दावा में 14 मास्टरों की स्वीकृति हैं, मौके पर तीन है। हंसासर में 8 की जरूरत है वहां पर एक भी नहीं है। हिमटसर में 9 की जरूरत है वहां तीन कार्यरत हैं। चिताणा कहिरा में 11 मास्टरों की स्वीकृति है वहां मास्टर दो हैं। मैं ये उदाहरण देते हुए बताना चाहूंगा कि दूसरी तरफ हमारे शहर की स्थिति हैं उसमें सीनियर सैकण्डरी में शहर के अंदर बीकानेर में गोगा गेट स्कूल है जिसमें 150 छात्र हैं और वहां 25 मास्टर हैं। रेलवे क्रांसिंग 6 से 10 तक सैकण्डरी स्कूल हैं जिसके अंदर 125 छात्र हैं और मास्टर 20 हैं। कोचड़ों का मोहल्ला जिसके अंदर 100 बच्चे हैं और वहां 20–25 मास्टर हैं। न्यू सैकण्डरी स्कूल (ब्वायज) में भी वही हालत है। बालिका विद्यालय, तेलीवाड़ा में भी मात्र 100–125 बच्चियां हैं और वहां 20–25 टीचर्स हैं।

मैं सदन का ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं कि एक तरफ हम बहुत विकास की बात करते हैं और यह कांग्रेस सरकार रही इससे आप देखें हमारा देश गांव और ग्रामीण का देश माना जाता है और इन लोगों ने आजादी के 55–56 साल के बाद भी बहुत षड़यंत्रपूर्ण तरीके से शिक्षा नीति रखी कि गांव के अंदर एक तरफ जहां हमारे 300 बच्चे हैं वहां मात्र दो मास्टर चला रहे हैं और दूसरी तरफ शहर के अन्दर जहां 125 बच्चे हैं वहां 25-25 मास्टर बैठते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं इसके अंदर हालात यह है कि आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां शिक्षा का भयंकर दौर है और इसके पीछे षड़यंत्रपूर्ण नीति रही कि दलित का बेटा, किसान का बेटा, पढ़-लिखकर कहीं अफसर न बन जाए। इसलिए मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि खाली कागजी आंकड़ों से हमारे देश का विकास होने वाला नहीं है। सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आजादी के बाद आज भी ग्रामीण अंचल के अंदर जो छात्र

(श्री गोविन्दराम चौहान)

पढ़ रहे हैं उनके लिए कहीं स्कूल नहीं है, कहीं टाट-पट्टी नहीं है, कहीं मास्टर नहीं है और दूसरी तरफ शहर के अंदर बड़े-बड़े अधिकारियों के बच्चों के लिए, एक-एक बच्चे के पीछे तीन-तीन टीचर मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो शिक्षा नीति है, क्या वर्तमान सरकार यह नीति रखती है। गांव के अंदर जहां आठ मास्टर की जरूरत है वहां कम से कम 5-6 लगाने का काम करे और जो शहर के अंदर भरे पड़े हैं या जो सड़क के ऊपर स्कूल आ रहे हैं वहां मास्टर भरे पड़े हैं विशेषकर पिछली सरकार ने इतना घोटाला किया है, ये लोग नहीं चाहते, इनकी नीति कभी नहीं रही कि दलित का बेटा पढ़े या किसान का बेटा पढ़े या ग्रामीण का बेटा पढ़े, क्योंकि इनको हमेशा खतरा बना रहा कि अगर वोटर शिक्षित हो गया तो कांग्रेस को कोई वोट देने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम हमारे देश को, हमारे ग्रामीण को शिक्षित नहीं करेंगे तो हम किस बात की दवा हैं, किस मर्ज की दवा हैं, हम लोग विकास के बड़े-बड़े दावे करते हैं, लंबे-चौड़े हम यहां विरोध करते हैं कि आपने यह नहीं किया। मैं इसमें सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार इस बात की उच्च स्तरीय जांच कराए कि बीकानेर के अंदर इन्होंने जो हालात किये हैं, हमारे पूरे शहर के अंदर ऐसी स्कूलें चल रही हैं जो स्कूल मात्र थैले में चल रही है और 10-10 मास्टर खाली दस्तखत कर दिन भर नेताओं की हाजिरी भरने में लग रहते हैं और दूसरी तरफ हमारे गांव का बच्चा जो अनपढ़ रह रहा है उससे देश का विकास रुक रहा है, उस मानव का विकास रुक रहा है। इसलिए सभापति महोदय, मेरा आपसे विशेष आग्रह है . .

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री गोविन्दराम चौहान : मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि उच्च स्तरीय जांच करवा कर मेरी वर्तमान सरकार से मांग है कि आप ऐसी समानीकरण शिक्षा नीति अपनाएं जिससे ग्रामीण का बच्चा पढ़ लिख सके और उनको शिक्षा का दर्जा मिले। चूंकि वैसे ही बड़े लोगों के बच्चे, हम लोग नीतियां बना देते हैं, नीति और नेता हमारे बहुत बढ़िया हैं, खोट रहता है तो इनकी नीयत में रहता है। इसलिए पिछली सरकार की नीयत में हमेशा खोट रहा। इसलिए मैं वर्तमान सरकार से भी मांग करता हूं और शिक्षा मंत्रीजी, इसमें सफल हैं, मैं

(श्री गोविन्दराम चौहान)

चाहूंगा कि गांव और शहर के अंदर समानीकरण करें और ज्यादा से ज्यादा मास्टरों को गांवों में लगाया जाएगा ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिखकर आयें तो हम भी बराबर में बात कह सकें। धन्यवाद, आपने समय दिया।

श्री सभापति : माननीय श्री जुबेर खां।

अलवर में विश्वविद्यालय स्थापित करने विषयक

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर जिला राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जिला है और सम्भागीय मुख्यालयों के बाद चाहे हम राजनीति दृष्टि से देख लें, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से देख लें, चाहें शिक्षा की दृष्टि से देख लें,यह जिला सबसे बड़ा है। यहां पर लगभग 7 राजकीय महाविद्यालय हैं, यहां लगभग 20 प्राइवेट महाविद्यालय कार्यरत हैं और ऐसे-ऐसे कालेज हैं कि शायद राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या कहीं नियमित छात्रों की होगी तो बाबू शोभाराम राजकीय महाविद्यालय, अलवर जिसकी सात हजार से ज्यादा जिसमें छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, ऐसा भी कालेज है और यहां की शिक्षा में 1932 में तत्कालीन महाराजा सवाई जयसिंह ने आर. आर. कालेज की स्थापना कराकर ऐसा उदाहरण दिया था कि स्वयं महाराजा ने सर्कट हाउस में शिफ्ट किया था और जो उनका महल था राजर्षि महल उसमें इस महाविद्यालय को शुरू कराया था 1932 में। मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश में सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं और अगर देखा जाए तो आज अलवर जिले की आवश्यकता को देखते हुए वहां एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की नितान्त आवश्यकता है और अलवर जिला मत्स्य प्रदेश जो हुआ करता था, राजस्थान प्रदेश का गठन होने के पहले उसका भी मुख्यालय रह चुका है तो मेरी सदन के माध्यम से राज्य सरकार से मांग है कि 25 लाख के करीब की जनसंख्या वाला यह जिला है जिसमें 11 विधान सभा क्षेत्र अगर किसी एक जिले में हैं, सम्भागीय मुख्यालयों को छोड़कर सबसे बड़ा जिला है, सबसे ज्यादा तहसीलें हैं, सबसे ज्यादा पंचायत समितियां हैं, सबसे ज्यादा छात्र-छात्राओं की संख्या है, स्कूलों की संख्या है, इसको देखते हुए वहां विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय और मेरा यह भी निवेदन है कि केन्द्रीय

(श्री जुबेर खान)

विश्वविद्यालय राजस्थान में खुलना है और यह एन. सी. आर. का रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन और अब तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी में अलवर जिले को सम्मिलित कर लिया गया है। इसलिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि राज्य सरकार यह कोशिश करे कि अलवर जिले में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुले और मैं आपके माध्यम से सरकार से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि कोई अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ने वाला है, फिर आर. आर. कालेज का भवन और क्षेत्रफल इतना बड़ा है, यह शायद अपनी राजस्थान विश्वविद्यालय, माननीय सभापति महोदय, जिसके आप अध्यक्ष रहे हुए हैं जयपुर में, उसके कम्पाउण्ड से छोटा नहीं है, चाहे बड़ा तो मैं नहीं कह सकता लेकिन उससे छोटा नहीं है, पर्याप्त भवन है, पर्याप्त भूमि है और जन सहयोग की भी कोई आवश्यकता पड़ी तो अलवर जिले में राजनीति भेदभाव से उठकर सभी राजनीति दलों के लिए, इसके लिए सरकार का समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। इसलिए मेरी पुरजोर से, अलवर जिले के वासियों की ओर से राज्य सरकार को मांग है कि आवश्यकता को देखते हुए अलवर जिले में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और मैं आशा करता हूं कि हमारे इस मामले में, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के साथ में हमेशा चाहे कोई भी राज्य सरकार रही हो, सोतेला व्यवहार किया गया है। अगर आप देखें कि जिस तरह का रेवेन्यू पूर्वी राजस्थान से आता है उस तरह का विकास कार्य या धन का आबंटन उस हिसाब से पूर्वी राजस्थान के लिए नहीं होता है। मैं सदन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अनेकों बार यह मांग यहां उठी है, आज हमारे बीच में नहीं हैं स्वर्गीय यदुनाथ सिंहजी जो नदबई से विधायक आते थे, वह बार-बार उठाते थे कि पूर्वी राजस्थान के साथ ऐसा सोतेला व्यवहार नहीं किया जाए, क्योंकि पूर्वी राजस्थान इस प्रदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा है, दिल्ली सेलगता हुआ है। अगर यहां विश्वविद्यालय की स्थापना होगी तो दिल्ली के पास यह जिला महत्वपूर्ण जिला बनेगा, यहां नये कार्यालय भी आएंगे।

श्री सभापति : संक्षिप्त करें।

श्री जुबेर खान : आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री डा. करणसिंह यादव। विषय आपका एक ही है, आपसे पूर्व में बोलते हुए माननीय सदस्य ने काफी कुछ कह दिया, पुनरावृत्ति की, फिर भी आप कहें।

अलवर में उच्च शिक्षण संस्थाएं खोले जाने विषयक

डा. करण सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री जुबेर खान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि भेदभाव वर्षों से हो रहा है और सभी सरकारों ने किया है। मैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर जहां से हमारी वर्तमान मुख्य मंत्री पधारती हैं, करौली जो पूर्वी मत्स्य अंचल हुआ करता था, आजादी के बाद में शिक्षण संस्थाओं के विस्तार में इस पूरे क्षेत्र के साथ में भेदभाव बरता गया। सभापति महोदय, इस क्षेत्र में न कोई मेडिकल कालेज है न कोई डैंटल कालेज है, न इस समूचे क्षेत्र में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली क्षेत्र में न कोई सरकारी इंजिनियरिंग कालेज हैं, न कोई वेटिनरी कालेज है, न कोई एग्रीकल्चर कालेज है। अभी रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि यह वो अंचल है जहां कि भरपूर खेती होती है सरसों की, गेहूं की, चने की, बाजरे की, यहां का किसान बहुत प्रोग्रेसिव है लेकिन यहां एक भी इस प्रकार की संस्था नहीं है और हम देखें बीकानेर में दो-दो यूनिवर्सिटीज, हाड़ौती में दो-दो यूनिवर्सिटी, उदयपुर में दो-दो यूनिवर्सिटी, अजमेर में यूनिवर्सिटी है, जोधपुर सम्भाग में काजरी के अन्दर कृषि का बड़ा अनुसंधान केन्द्र है, जोधपुर में ला यूनिवर्सिटी, जोधपुर में जोधपुर यूनिवर्सिटी, जोधपुर में, अभी बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदया को... (व्यवधान) भाई धर्मपालजी...

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : पांच साल की बात नहीं है, यह तो 50 साल की बात है।

डा. करण सिंह यादव : आपकी और मेरी दोनों की बात कर रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : एक मिनट, डा. साहब, हम भी आपकी बात का समर्थन करते हैं। हम पिछली बार भी यहां बैठे थे जहां आप बैठे हो वहां हम बैठे थे और वहां से हमने मांग की थी कि पूर्वी राजस्थान के साथ भेदभाव हो रहा है आप यहां सत्ता पक्ष में बैठे हुए थे। (व्यवधान) मंत्री का दर्जा था, एक

(श्री धर्मपाल चौधरी)

मिनट सुन लो, आप तो, मंत्री का दर्जा था और मंत्री के दर्जे के रूप में आप पूरे राजस्थान के बीस सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, आपने पांच साल में किया क्या? अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय से हम निवेदन करेंगे, मुख्य मंत्रीजी बैठी हैं, दो महीने ही हुए हैं हमारे को, हम वहां पर पूरी व्यवस्था कराएंगे, आप चिन्ता मत करो। (व्यवधान) हां, हम मुख्य मंत्रीजी से कह रहे हैं, आश्वासन नहीं दिया, मुख्य मंत्रीजी से कह रहे हैं कि मुख्य मत्री जी करवाएंगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री अरुण सिंह : मैं भी इस मांग का समर्थन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि पूर्वी राजस्थान और धौलपुर की वाशिंदा मुख्य मंत्रीजी हैं राजस्थान की, वह हमारी सुनवाई करेंगी, नहीं तो हम अलग होंगे राजस्थान से।

श्री जुबेर खान : क्योंकि जितने मुख्य मंत्री बने हैं सब ने अपनी अपनी जगह बनवाई है।

श्री अरुण सिंह : आपसे बहुत उम्मीद है।

श्री जुबेर खान : आदरणीय मुख्य मंत्री से हमारा निवेदन है कि पूर्वी राजस्थान से आप बने हैं, आप कोई न कोई तोहफा पूर्वी राजस्थान को देंगी।

श्री धर्मपाल चौधरी : हां, देगी मुख्य मंत्रीजी। (व्यवधान) अब मुख्य मंत्रीजी भेदभाव नहीं होने देंगी, मुख्य मंत्रीजी तो करेंगी, लेकिन आपने किया क्या पांच साल में ? हम तो यह पूछ रहे हैं जब तक आप रहे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजे।

श्री धर्मपाल चौधरी : पांच साल आप रहे अब दो महीने में ये सब बातें आप जो कहने लग रहा हैं, इस बात को कह रहे हैं हम।

डा. एन. एस. गुर्जर : अरूण सिंह जी हम आपको अलग नहीं जाने देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, यह पूर्वी राजस्थान के लिए तोहफा नहीं है क्या?

श्री अरुण सिंह : तोहफा है, तोहफा है।

डा. करण सिंह यादव : यह पूर्वी राजस्थान की तरफ से सारे राजस्थान को तोहफा है।

श्री रामप्रताप कासनिया : राजस्थान के ऊपर रहम करो, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी में मत बांटो (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : आप दो महीने में नहीं करा सकते। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : नहीं, मैं दो महीने और पांच साल की बात नहीं, सभापति महोदय, माननीय मुण्डावर से आने वाले सदस्य जब शायद यहां से बात उठाते थे तब हम इस बात का समर्थन करते थे और मैं पांच साल का एक सरकार का नहीं, पूरे 50 साल का लेखा-जोखा कह रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदया उस संभाग से आती हैं इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बाकी सम्भागों के अन्दर इतनी शिक्षण संस्थाएं आई हैं।

श्री विष्णु मोदी : उसमें भी 50 साल में कांग्रेस का अधिकतम शासन रहा है, आप 50 साल का लेखा-जोखा तो दे रहे हैं, उसमें 50 साल में कांग्रेस ही अधिकांश समय में शासन में रही है तो आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : उस समय कांग्रेस के नेता आप हुआ करते थे। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय सदस्य, मैं तो आपके खोटे कामों के कारण से आया हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, रामगढ़ से आने वाले आपस में चर्चा नहीं, आसन को संबोधित कीजिए।

डा. करण सिंह यादव : सभापति महोदय, आज बजट में राज्यपाल महोदय के भाषण में टैक्निकल यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई है। आज अखबारों में इस बात की चर्चा है कि टैक्निकल यूनिवर्सिटी अजमेर में खुले या

(डा. करण सिंह यादव)

कोटा में खुले, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय यहां बिराज रही हैं, उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वहां पहले से 2-2 यूनिवर्सिटीज हैं, अजमेर में आलरेडी एक यूनिसर्सिटी है, अगर टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोलने की बात है तो दिल्ली के नजदीक में अलवर या भरतपुर से अच्छा कोई क्षेत्र नहीं हो सकता। जहां राजधानी...(व्यवधान) कोटपूतली भी है...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : ...अजमेर के लिए बहुत सीमित संसाधन इसमें दिये गये हैं वे काफी नहीं हैं इसलिए टैक्नीकल यूनिवर्सिटी अजमेर में ही स्थापित होनी चाहिए। अजमेर राजस्थान का हार्ट है, राजस्थान के बीच में है और कई क्षेत्रो में पिछड़ा हुआ है। उसके गौरवमयी इतिहास को देखते हुए, उसके आगामी विकास को देखते हुए यह यूनिवसिर्टी अजमेर में ही खुलनी चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इसके लिए धन्यवाद दूंगी वे अजमेर में ही इस यूनिवर्सिटी को खोलेंगी तो। थैंक्यू।

एक माननीय सदस्य : हम आपका नहीं मांग रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य को अपनी बात पूरी करने दें। माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें।

डा. करण सिंह यादव : सभापति महोदय, छोटा-सा निवेदन है। एक यूनिवर्सिटी अलवर में खुले...

श्री रामसिंह विश्नोई : या तो मुख्य मंत्री रह जावे या यूनिवर्सिटी ले लो, एक चीज ले लो कोई भी।

डा. करण सिंह यादव : सभापति महोदय, हमारे साथ तो इस बात में भी भेदभाव हुआ। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, सबका झगड़ा खतम हो जाएगा, बोर्डर एरिया गंगानगर है वहां खोला जाए।

श्री सभापति : विराजिये विराजिये।

डा. एन. एस. गुर्जर : रामसिंह जी, यह सुझाव आप अशोक जी गहलोत के समय देते कि या तो वे मुख्य मंत्री रह जावे या एम्स ले जावे तो अच्छा रह जाता। एम्स ले गये न जोधपुर में। एम्स ले लेते या मुख्य मंत्री रह जाते।

श्री सभापति : आप विराजिये।

डा. करण सिंह यादव : साहब, हमारे साथ तो सब जगह पूर्वी राजस्थान के साथ भेदभाव होता है। वर्तमान मुख्य मंत्री महोदया ने सब जिलों से, सब सम्भाग से मंत्री बनाये, भरतपुर, अलवर से तो कोई भी मंत्री नहीं बनाया तो इसलिए मुख्य मंत्रीजी हैं तो उस क्षेत्र को दें। हमारे मुण्डावर से आने वाले बहुत योग्य साथी हैं उनको टैक्नीकल मिनिस्टर बनायें, वे टैक्नीकल यूनिवर्सिटी वहां लेकर आयें, अलवर में यूनिवर्सिटी खोलें। इसी बात का ध्यान आपकी ओर से आकर्षित कराना चाहता था। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय डाक्टर चन्द्रशेखर बैद।

कोला पेय पदार्थ निर्माण में अशुद्ध जल का प्रयोग रोकने विषयक

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह समस्या आम जन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या है। अगर इस समस्या का समय रहते निराकरण नहीं किया गया तो आगे जाने वाली कई जनरेशन इस पवित्र सदन को और निर्वाचित प्रतिनिधियों को कभी माफ नहीं करेगी। कल 4 फरवरी, 2004 की तारीख थी। हमारी माननीया मुख्य मंत्री सदन के अन्दर लेखानुदान मांगें प्रस्तुत कर रही थीं उसी समय पार्लियामेंट के अन्दर जे.पी.सी ने अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी। उस रिपोर्ट के अन्दर सैंट्रल साइंस एण्ड एंवायर्नमेंट कमेटी की जो रिपोर्ट है इसके मार्फत से और जो फोरेंसिक लैब आफ पुणे और फोरेसिंक लैब आफ कलकत्ता की...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह नहीं उठाई जा सकती। सभापति महोदय, उसकी मांग नहीं उठाई जा सकती, चर्चा नहीं की जा सकती।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी बात पहले पूरी सुनें उसके बाद आप कहना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, आप कह नहीं सकते न। आप जे.पी.सी की बात यहां नहीं कह सकते। उस पर चर्चा नहीं हो सकती यहां।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें परन्तु यह जरूर बात को ध्यान में रखें कि जिन विषयों को अपने यहां नहीं कह सकते, जिनकी चर्चा हम यहां नहीं कर सकते उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। आप अपनी विषयवस्तु को दूसरे रूप मे रख दें।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि एक मिनट आप मेरी बात सुन लें। मैं यह कहने जा रहा हूं कि अपने राजस्थान के अन्दर जो कोला पेय पदार्थ यूज किया जाता है उसके अन्दर जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जितनी भी मल्टीनेशनल कम्पनीज हैं वे पानी का कई बार शुद्धिकरण करके पानी का इस्तेमाल करती हैं और उसी पानी के अन्दर पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा पाई गई तो आप यह सोच सकते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है। उस पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में जो पानी हम आम जनता को सप्लाई कर रहे हैं, अगर उसकी मात्रा मल्टीनेशनल कम्पनी के शुद्धिकरण करने के बाद मिलीग्राम में है तो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के अन्दर उसकी मात्रा कई किलोग्राम में होगी। तो क्या हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है, क्या हमने अपने ग्राउंड वाटर के अन्दर पेस्टिसाइड का लेबल जांच किया है? क्या हम यह सोच रहे हैं कि आगे आने वाले समय में बायोडिग्रेडेबल या इकोफ्रेंडली पेस्टिसाइड को इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि ग्राउंट वाटर के अन्दर जो पेस्टिसाइड का लेवल है वो आगे आने वाले समय में कम हो सके?

मैं आपको एक यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के अन्दर ह्यूमन बाडी में सबसे ज्यादा डी. डी. टी. की मात्रा पाई जाती है और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है जो कि चौंकाने वाली है कि मदर्स मिल्क के अन्दर भी पेस्टिसाइड की मात्रा हानिकारक पाई गई है। तो मेरा आपसे विन्नम निवेदन है कि आगे आने वाले समय में इस तरह के पेस्टिसाइड अपने इस प्रदेश के अन्दर इस्तेमाल किये जाएं जिससे कि ग्राउंट वाटर के अन्दर लगातार बढ़ने वाला पेस्टिसाइड का लेवल कम हो सके। यह बात जो सैण्ट्रल साइंटिफिक एण्ड एन्वायर्नमेंट कमेटी है उस कमेटी ने बिलकुल साफ तौर पर बताई है कि पेस्टिसाइड की मात्रा, आर्गेनोफ्लोरराइड की मात्रा और आर्गेनोफास्फोरस की मात्रा जो कि ह्यूमन बाडी के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, वह निर्धारित मात्रा से कई गुणा ज्यादा पाई गई तो इसका अगर समय रहते ध्यान

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

नहीं दिया गया और ग्राउंड वाटर की प्रोपर जांच करवाकर के मेजर्स नहीं लिये गये तो आगे आने वाले समय में इसमें बहुत तकलीफ होने वाली है और इसका लेवल कम होने में काफी लम्बा समय लग जाएगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री घनश्याम तिवाड़ी शिक्षा मंत्री।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002–2003

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, मैं (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) (3) के अंतर्गत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवदेन वर्ष 2002–2003, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2000–01 द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2001–02 एवं तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2002–2003, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष एवं लेखे वर्ष 2000-2001,

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए की उप धारा 3 (बी) के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2000–01, द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2001–2002 एवं तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2002–2003 एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2001-02 एवं तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2002-03 एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2001-2002 एवं

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए की उप धारा 3 (बी) के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2001-2002 एवं तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2002-2003 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : श्री प्रभूलाल सैनी, कृषि राज्य मंत्री।

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-03

श्री प्रभूलाल सैनी (कृषि राज्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं (1) भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (11) के अंतर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003, एवं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 एवं महाराणा प्रताप कृषि एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 एवं

(2) महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा 42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 सदन की मेज पर रखता हूं।

(14.00 बजे)

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान वर्ष 2003-2004 की मांगों का पारण

श्री सभापति : मैं अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2002-2004 को मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं।

मांग संख्या—2

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-2 मंत्री परिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये, 1,07,00,000 (एक करोड़ सात लाख)

(श्री सभापति)

तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-3 सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,66,23,000 (उन्नीस करोड़ छियासठ लाख तेईस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या - 4 जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,59,95,000 (चार करोड़ उनसठ लाख पिचानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान मांग की संख्या–5 प्रशासनिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,92,70,000 (तीन करोड़ बानवे लाख सत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या–6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,16,74,000 (बत्तीस करोड़ सोलह लाख चोहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(14.05 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

मांग संख्या–7

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-7 निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 45,95,38,000 (पैंतालीस करोड़ पिचानवे लाख अड़तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-9 वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 50,08,000 (पचास लाख आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या–12

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-12 अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,78,51,50,000 (एक अरब अठहत्तर करोड़ इक्यावन लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–13

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-13 आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 86,54,000 (छियासी लाख चौवन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-14 बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,98,01,000 (तीन करोड़ अठानवे लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

(श्री सभापति)

निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,95,01,000 (सत्ताइस करोड़ पिचानवे लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

मांग संख्या–17

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-17 कारागाह के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,84,94,000 (दो करोड़ चौरासी लाख चौरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-18 जन संपर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,51,64,000 (दो करोड़ इक्यावन लाख चौसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,44,10,000 (सत्रह करोड़ चवालीस लाख दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या – 20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,10,61,000 (तीन करोड़ दस लाख इकसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–21

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 68,18,88,000 (अड़सठ करोड़ अठारह लाख अट्ठासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000 (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार

(श्री सभापति)

के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,34,11,000 (पांच करोड़ चौंतीस लाख ग्यारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,000 (सौलह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–25

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-25 कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000 (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,07,78,000 (छः करोड़ सात लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,62,04,000 (बत्तीस करोड़ बासठ लाख चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–28

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,00,01,000 (इकतीस करोड़ एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-29 नगर आयोजन एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,98,40,07,000 (दो अरब अठानवे करोड़ चालीस लाख सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या–30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,000 (दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–32

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-32 नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,07,85,000 (एक करोड़ सात लाख पिचासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000 (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष

(श्री सभापति)

में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,48,94,88,000 (चौदह अरब अड़तालीस करोड़ चौरानवे लाख अट्ठासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या—35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-35 विधि सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,28,12,000 (बारह करोड़ अट्ठाइस लाख बारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या—36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,65,00,000/- (दो करोड़ पैंसठ लाख) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या—37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000 (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या—39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,83,08,000 (एक करोड़ तिरासी लाख आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या—40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-40 राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,91,99,000 (एक करोड़ इक्यानवे लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या—41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,30,00,000 (चौदह करोड़ तीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या–42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,57,70,000 (छह करोड़ सतावन लाख सत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–43

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,79,65,000 (नौ करोड़ उन्नासी लाख पैंसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–44

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-44 लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 95,03,000 (पिचानवे लाख तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-46 सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,40,32,70,000 (तीन अरब

(श्री सभापति)

चालीस करोड़ बत्तीस लाख सत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–47

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-47 पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,26,25,000 (चार करोड़ छब्बीस लाख पच्चीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–48

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,69,11,22,000 (चार अरब उनहत्तर करोड़ ग्यारह लाख बाइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–49

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समानुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,61,64,000 (पांच करोड़ इकसठ लाख चौंसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या–50

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000 (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–51

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ठ संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,000 (आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य

पुर:स्थापित किया गया विधेयक

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2004

श्री अध्यक्ष : श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय। अब विचारार्थ के लिए प्रस्ताव करें आप।

डा. एन. एस. गुर्जर : अब मतदान के लिए तो रखें आप।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ के लिए प्रस्ताव करें।

डॉ . एन. एस. गुर्जर : नहीं-नहीं, आप मतदान के लिए प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ के लिए प्रस्ताव करें।

विधेयक पर विचार

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री पारित करने के लिए प्रस्ताव करें।

विधेयक का पारण

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2004 को पारित किया जाय।

श्री रामसिंह विश्नोई : मुखबंद थोड़े ही है?

श्री अध्यक्ष : मुखबंद तो पहले हो गया था ना आपका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : करो-करो आप, करो-करो साहब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पारित करायें साहब।

श्री रामनारायण चौधरी : इस पर बोलने का अधिकार है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले कार्य सलाहकार समिति में तय हो गया था, आप तो पारण करें साहब।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हां, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, आप क्या कहना चाह रहे हैं? (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2004 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2004 को पारित किया गया।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.20 बजे अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुई)

राष्ट्र—गान

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंगा
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांग
गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे जय हे जय हे
जय जय जय जय हे।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विद्याधर नगर (जयपुर) स्थित स्टेडियम का विकास

89. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के विद्याधर नगर में खेल विभाग द्वारा कोई स्टेडियम संचालित किया जा रहा है? यदि हां, तो वहां कौन-कौनसे खेलों के मैदान तैयार हैं तथा वर्तमान में कौन-कौनसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है?

(2) क्या यह स्टेडियम पूर्णत: विकसित हो चुका है? यदि नहीं, तो लम्बित विकास कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जावेंगे।

(3) क्या यहां खेलों हेतु शारीरिक शिक्षकों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पदस्थापित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार जयपुर शहर के चौगान स्टेडियम की भांति क्षेत्रीय खेल प्रतिभाओं के विकास हेतु ग्रीष्मकालीन अवकाश में यहां भी शिविर रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में क्रिकेट, बास्केटबाल, वालीबाल, कबड्डी, खो-खो, टेनिस, हैण्डबाल, के खेल मैदान / कोर्ट तैयार हैं।

वर्तमान में हैण्डबाल, बांक्सिंग, टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबाल, एथलेटिक्स, खेलों की खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। पर्याप्त राशि उपलब्ध होने पर ही लम्बित विकास कार्य पूर्ण हो सकेंगे।

(3) जी नहीं। शारीरिक शिक्षकों को पदस्थापित नहीं किया जाता है। आवश्यकतानुसार खेल प्रशिक्षकों का पदस्थापन किया जाता है।

(4) जी हां।

जिला बाड़मेर के विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद

90. **श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों से जिला बाड़मेर उच्च प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के अधिकतर पद रिक्त रहे हैं? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां? सरकार इन पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत गत पांच वर्षों से बाडमेर जिले के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 09 प्रधानाचार्य एवं 37 प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25 प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त हैं। रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

उक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

परिशिष्ट—क

<u>प्रधानाचार्य</u>

1. रा.उ.मा.वि., चवा
2. रा.उ.मा.वि., आडेल
3. रा.उ.मा.वि., धणाऊ
4. रा.उ.मा.वि., हीरा की ढाणी
5. रा.उ.मा.वि., भाटाला
6. रा.उ.मा.वि., अरणीयाली
7. रा.उ.मा.वि., बामरला

<u>प्रधानाध्यापक</u>

1. रा.मा.वि., माडरया
2. रा.मा.वि., पूनियों का तला
3. रा.मा.वि., छोटू
4. रा.मा.वि., साईयों का तला
5. रा.मा.वि., निम्बाणियों की ढाणी
6. रा.मा.वि., सेतराऊ
7. रा.मा.वि., गोदावास

8. रा.उ.मा.वि., क्षिराड
9. रा.बा.उ.मा.वि., बाड़मेर

8. रा.मा.वि., मिठडाव
9. रा.मा.वि., बिसारणिया
10. रा.मा.वि., पारलू
11. रा.मा.वि., बावडीकलां
12. रा.मा.वि., जैसिन्धर
13 रा.मा.वि., नगर
14. रा.मा.वि., भैडाणा
15. रा.मा.वि., उण्डू
16. रा.मा.वि., धारासर
17. रा.मा.वि., कोजा
18. रा.मा.वि., रतेउ
19. रा.मा.वि., पायलाकलां
20. रा.मा.वि., गिराब
21. रा.मा.वि., छीतर का पार
22. रामावि, धनवा
23. रा.मा.वि., सारलर
24. रा.मा.वि., दैताणी
25. रा.मा.वि., जैसार
26. रा.मा.वि., मोखड कल्ला
27. रा.मा.वि., गिडालियों का तला
28. रा.मा.वि., हुडों की ढाणी
29. रा.मा.वि., रामजी का गोल
30. रा.मा.वि., मूलजी की ढाणी
31. रा.मा.वि., सरली
32. रा.मा.वि., गाडलियास
33. रा.बा.मा.वि., गडरा रोड
34. रा.बा.मा.वि., धोरी मन्ना
35. रा.बा.मा.वि., मोकलसर
36. रा.बा.मा.वि., पादर
37. रा.बा.मा.वि., जसोल

प्रारम्भिक शिक्षा

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	विद्यालय का नाम
1.	बाड़मेर	रा.बा.उ.प्रा.वि., रामसर
2.	- ” -	रा.उ.प्रा.वि.,बीण्डेकापार
3.	- ” -	रा.मा.वि., जैसार (पूल)
4.	- ” -	रा.मा.वि., रामदेरिया (पूल)
5.	- ” -	रा.मा.वि., नांव (पूल)
6.	सिवाना	रा.उ.प्रा.वि., सांवरला
7.	- ” -	रा.उ.प्रा.वि., कांडी
8.	- ” -	रा.उ.प्रा.वि., भागवा
9.	- ” -	रा.बा.उ.प्रा.वि., उण्डल
10.	- ” -	रा.बा.उ.प्रा.वि., करमावास
11.	चौहटन	रा.उ.प्रा.वि., बबरवाला
12.	- ” -	रा.उ.प्रा.वि., हरपालिका
13.	- ” -	रा.मा.वि., कोनरा (पूल)
14.	शिव	रा.उ.प्रा.वि., बन्टडा
15.	- ” -	रा.उ.प्रा.वि., बजावर
16.	- ” -	रा.उ.प्रा.वि., चेतरोडी
17.	- ” -	रा.उ.प्रा.वि., श्रवकली
18.	- ” -	रा.उ.प्रा.वि., खानियानी
19.	- ” -	रा.उ.प्रा.वि., मूगेरिया
20.	- ” -	रा.उ.प्रा.वि., सुन्दरा
21.	बालोतरा	रा.मा.वि., कोरना (पूल)
22.	- ” -	रा.मा.वि., कालूडी (पूल)
23.	सिन्दरी	रा.मा.वि., पांडा (पूल)
24.	- ” -	रा.मा.वि., हण्डाली (पूल)
25.	- ” -	रा.मा.वि., सरनू (पूल)

जिला जोधपुर के विद्यालयों को आबंटित बजट

91. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत पांच वर्षों में जोधपुर शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों व मिडल स्कूलों के रख-रखाव एवं निर्माण कार्यों पर किन-किन स्कूलों में कितने कार्य हुए तथा क्या बजट का पूर्ण उपयोग हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

गत पांच वर्षों में जोधपुर शहर के निम्न विद्यालयों के रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत व व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि
1	2	3	4
	रा.उ.प्रा.वि., कोटवाली	14,000	14,000
	रा.उ.प्रा.वि., नाइयों की बगीची	14,000	14,000
3	रा. महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर	1,00,000	1,00,000
4	रा. बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजमहल, जोधपुर	1,00,000	1,00,000

किसी उच्च प्राथमिक विद्यालय में निर्माण कार्य हेतु राशि स्वीकृत नहीं की गई है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में आबंटित बजट राशि का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है।

विधान सभा क्षेत्र चौमूं के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

92. **श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के सभी विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

(श्री रामलाल शर्मा)

अनिवार्य है? यदि हां, तो कब से? क्या सभी विद्यालयों द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर ली जा रही फीस एक समान है? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार की इस सम्बन्ध में क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनमें कम्प्यूटर नहीं है लेकिन विद्यार्थियों से इस आशय की फीस ली जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र चौमूं के विद्यालयों में किन-किन विषयों के कितने-कितने पद कितने समय से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र चौमूं के कितने सरकारी विद्यालयों में खेल के मैदान हैं और कितनों में नहीं? क्या सरकार सभी विद्यालयों के लिए खेल मैदान हेतु भूमि उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 2000-01 से जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय संचालित थे, ऐसे 624 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित है। राज्य के शेष माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहां 50 या इससे अधिक छात्र हैं एवं बिजली की सुविधा है, में कम्प्यूटर शिक्षा स्व-वित्त पोषित योजना वर्ष 2003-04 से प्रारम्भ की गई। कम्प्यूटर शिक्षा जिन विद्यालयों में संचालित है, में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए 50 रुपये प्रतिमाह । इस प्रकार वार्षिक 600 रुपये फीस एक समान ली जाती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं है, जहां कम्प्यूटर नहीं होने पर भी कम्प्यूटर फीस ली जा रही हो।

(3) चौमूं विधान सभा क्षेत्र के प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट–''क'' एवं माध्यमिक शिक्षान्तर्गत संचालित माध्यमिक/उच्च

(शिक्षा मंत्री)

माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के विषयवार रिक्त पद की सूचना परिशिष्ट-''ख'' सदन की पटल पर रख दी गई है।

(4) विधान सभा क्षेत्र चौमूं में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 26 विद्यालयों में खेल के मैदान उपलब्ध हैं एवं 7 विद्यालयों में खेल के मैदान नहीं है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में खेल मैदानों का विवरण परिशिष्ट-''क'' पर सदन के पटल पर रख दी गई है। जिन विद्यालयों के लिये खेल मैदान नहीं है। जिन विद्यालयों के लिये खेल मैदान नहीं है, ऐसे विद्यालयों हेतु भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(रिक्त पदों की सूचना की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इटावा (कोटा) में कार्यरत कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान

93. **श्री प्रभुलाल वर्मा** (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सीनियर सैकेण्ड्री विद्यालय इटावा (कोटा) में कार्यरत स्टाफ का 4 माह 10/2002 का वेतन दिनांक 1.11.2002 को स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पीपल्दा (कोटा) से आहरित कर पीपल्दा से इटावा लाने के दौरान रास्ते में कैशियर श्री गोविन्द लाल की हत्या कर राजकीय राशि लुटेरों द्वारा लूट ली गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त लूट के पश्चात् स्टाफ को माह 10/2002 का वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया?

(3) यदि हां तो सरकार कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कब तक करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(शिक्षा मंत्री)

(3) कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में संचालित राजीव गांधी पाठशालाएं

94. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में किन-किन स्थानों पर राजीव गांधी पाठशालायें संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पाठशालाओं में कितने-कितने छात्र-छात्राओं का नामांकन किया गया? पाठशालावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पाठशालाओं में कितने-कितने तथा किन-किन शिक्षकों का पदस्थापन किया गया है? उनकी शैक्षणिक योग्यताओं सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इन पाठशालाओं को राजकीय पाठशालाओं में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में संचालित राजीव गांधी पाठशालाओं का विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) उक्त पाठशालाओं में नामांकित छात्र-छात्राओं का विवरण परिशिष्ट 'क' में सम्मिलित है।

(3) उक्त पाठशालाओं के पदस्थापित शिक्षा सहयोगियों की शैक्षिक योग्यता सहित विवरण परिशिष्ट 'क' में सम्मिलित है।

(4) सर्वशिक्षा अभियान के तहत राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालयों में चरणबद्ध ढंग से परिवर्तित किया जाना है।

परिशिष्ट—क

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में संचालित राजीव गांधी पाठशालाएं उनमें अध्ययनरत छात्र/छात्राएं तथा कार्यरत शिक्षा सहयोगियों का विवरण

क्र.सं.	पाठशाला का नाम	अध्ययनरत विद्यार्थी			कार्यरत शिक्षा सहयोगी का नाम	शैक्षणिक योग्यता
		छात्र	छात्रा	योग		
1.	रा.मा.पा. खेतड़ी हाउस	42	30	72	श्री विक्रम सिंह	हायर सैकण्डरी
2.	रा.मा.पा. रानीजी की बावड़ी	31	29	60	श्रीमती हेमलता राघव	बी.ए. बी.एड.
3.	रा.मा.पा. उदगांव	30	29	59	श्रीमती हेमलता चौहान	बी.ए. बी.एड.
4.	रा.मा.पा. फोजी बस्ती	35	39	74	श्रीमती सीमा शर्मा	बी.ए. बी.एड.

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के विद्यालयों में रिक्त पद

95. **श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सभी विद्यालयों में कौन-कौन से तथा कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनकी संख्या के विपरीत कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं?

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पद कब से रिक्त हैं, की सूचना विवरण परिशिष्ट 'क' में सम्मिलित है।

(3) जी हां। व्याख्याताओं के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर तथा वरिष्ठ अध्यापकों के पद विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर तथा तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर माननीय न्यायालय के स्थान पर निर्णयानुसार ही रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

परिशिष्ट—क

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृत पद			रिक्त पद			कब से रिक्त
		I	II	III	I	II	III	
1.	रा.उ.मा.वि.दरबार	10	4	-	-	2	-	7/03, 8/03
2.	" बाजोरिया	9	11	-	-	-	-	-
3.	" विद्याधरनगर	5	6	7	-	-	-	-
4.	" मुरलीपुरा बीड	3	5	7	1	-	-	1/02
5.	" रा. बा. उ. मा. महाराजा	48	38	--	7	2	-	2/01 3 पद 7/02- 4 पद 8/02- 2 पद II ग्रेड

6.	" " बनीपार्क	54	24	-	4	1	-	8/02-4 पद I ग्रेड 9/01-1 पद II ग्रेड
7.	रा.उ.मा.वि.दरबार	--	6	4	-	-	-	-
8.	" " द्वारकापुरी	-	7	7	-	3	-	7/01-2 पद 9/02-1 पद II ग्रेड
9.	" " वाटरवर्क्स	-	4	3	-	-	-	-
10.	रा.बा.मा.वि रेलवे स्टेशन	6	1	-	-	-	-	-
11.	" " नाहरी का नाका	4	3	-	-	-	-	-

किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं स्वीकृत रिक्त पद

क्रं.सं	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद		रिक्त पद		कब से
		II	III	II	III	
1	रा.प्रा.वि. वाटरवर्क्स, जयपुर	-	11	-	-	-
2	रा.प्रा.वि. व्यापारियान	-	6	-	-	
3	रा.प्रा.वि. हसनपुरा बंजारा	-	5	-	-	
4	रा.प्रा.वि. विनोबा बस्ती	-	2	-	-	
5	रा.प्रा.वि. भोपजी का डेरा	-	2	-	-	
6	रा.प्रा.वि. द्वारिकापुरी	1	20	1	-	10/2000
7	रा.प्रा.वि. विद्याधर नगर	-	7	-	-	

8	रा.प्रा.वि.तोपखाना देश	1	9	1	-	10/2000
9	रा.प्रा.वि. कायमखानियान	-	4	-	-	
10	रा.प्रा.वि. सिंधी चावलाना	-	2	1	-	
11	रा.प्रा.वि.लंकापुरी	-	2	-	-	
12	रा.प्रा.वि.जालूपुरा	1	11	1	-	10/2000
13	रा.प्रा.वि.नुमाइश कैम्प	-	3	-	-	
14	रा.प्रा.वि.जगदम्बा कॉलोनी	-	4	-	-	
15	रा.प्रा.वि.रा.बा.प्रा.वि. माली कालोनी	-	3	-	-	
16	रा.प्रा.वि. पेंटर कालोनी	-	5	-	-	
17	रा.प्रा.वि. भट्टा बस्ती	-	5	-	-	
18	रा.प्रा.वि. शास्त्रीनगर	-	2	-	-	
19	रा.प्रा.वि. शिवाजी नगर	-	5	-	-	
20	रा.प्रा.वि. नाहरी का नाका	-	3	-	-	
21	रा.उ.प्रा.वि. चांदपोल गेट	1	9	-	-	
22	रा.उ.प्रा.वि. बेसिक मॉडल	1	26	-	-	
23	रा.उ.प्रा.वि. हाथी बाबू का बाग	1	0	-	-	
24	रा.उ.प्रा.वि. पुलिस अकादमी	1	9	-	-	
25	रा.उ.प्रा.वि.चौकडी तोपखाना	1	8	-	-	
26	रा.उ.प्रा.वि. शीतल निवास	1	13	-	-	
27	रा.उ.प्रा.वि. नाहरी का नाका	1	14	-	-	
28	रा.बा.उ.प्रा.वि. तोपखाना	1	15	-	-	
29	रा.बा.उ.प्रा.वि चांदपोल द्वितीय	1	9	-	-	
30	रा.बा.उ.प्रा.वि हरिजन बस्ती	1	10	-	-	
31	रा.उ.प्रा.विचरण नदी प्रथम	1	6	-	-	
32	रा.उ.प्रा.वि. मुरलीपुरा स्कीम	1	8	-	-	

33	रा.बा.उ.प्रा.वि. विश्वकर्मा	1	7	-	-	
34	रा.प्रा.वि. मुरलीपुरा बीड	1	6	-	-	
35	रा.बा.प्रा.वि.ढेहर का बालाजी	-	2	-	-	
36	रा.बा.प्रा.वि. नवी विद्याधर नगर	-	4	-	-	
37	रा.प्रा.वि. खेड़ा महापुरा	-	2	-	-	
38	रा.प्रा. विचरणनदी (द्वितीय)	-	3	-	-	
39	रा.बा.प्रा.वि.मुरलीपुरा स्कीम	-	3	-	-	

विधान सभा क्षेत्र बैराठ के विद्यालय

96. **श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) विधान सभा क्षेत्र बैराठ में किन-किन स्थानों पर किस-किस श्रेणी के विद्यालय कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में विद्यालय खोलने के सरकार के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मानदण्डों के अनुसार क्षेत्र के कितने गांवों में अभी तक भी विद्यालय स्थापित नहीं किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त वंचित गांवों में कब तक सरकार की शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालय खोल दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बैराठ में संचालित विद्यालयों की सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) एक किलोमीटर की परिधि में जहां प्राथमिक स्तर की शिक्षण सुविधा नहीं है वहां से मांग प्राप्त होने पर प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्र बैराठ में समस्त गांवों में प्राथमिक स्तर की शिक्षण सुविधा उपलब्ध है।

(4) प्रश्नोत्तर के भाग संख्या-03 के अनुसार।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विद्यालय

97. **श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में नए विद्यालय खोले जाने/क्रमोन्नत करने के क्या मानदण्ड हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं तथा उनमें कितने-कितने छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं?

(3) उक्त विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

(5) उक्त क्षेत्र में नये विद्यालय खोलने व क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव क्रमशः कहां-कहां व किस-किस विद्यालय के विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में नये विद्यालय खोलने तथा क्रमोन्नत करने के मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या का विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ख" में सम्मिलित है।

(4) व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से एवं विभागीय चयन समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाए जाने पर भरे जा सकेंगे। वरिष्ट अध्यापकों के रिक्त पदों को विभागीय चयन समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाए जाने पर भरे जा सकेंगे। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को माननीय न्यायालय द्वारा लगाए गए स्थगन आदेश हटने पर भरे जा सकेंगे।

(5) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में निम्नांकित विद्यालयों के क्रमोन्नति प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

1. रा.उ.प्रा.वि. माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति हेतु लूणियावास, साम्भरलेक
2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, करणसर
3. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मण्डाभीम सिंह
4. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कालक
5. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भादवा
6. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, इटावा भादला

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या-98

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र बैराठ में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार

99. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र बैराठ में वर्तमान में कितने परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? सूची ग्रामानुसार सदन की मेज पर रखें।

(2) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के चयन के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार इन मानदण्डों में परिवर्तन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बैराठ में पिछले पांच वर्षों में गरीबी के नीचे रहने वाले परिवारों के चयन में बरती गई अनियमितताओं की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) बीपीएल सेन्सस-97 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बैराठ में पंचायत समिति, बैराठ के 3298 एवं पंचायत समिति, शाहपुरा के 6451 कुल 9749 परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं।

(2) (i) वर्ष 1997 में बीपीएल सैन्सस में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के चयन का कार्य एलीमीनेशन काइटेरिया से सम्पादित किया गया था।

(ii) प्रथम चरण में उन परिवारों को अलग किया गया था, जिनके लिए सर्वे की अनुसूचि के भाग 'अ' में किसी भी आइटम के लिए सकारात्मक सूचना प्राप्त होती थी तथा दूसरे चरण में उन परिवारों को पृथक् कर दिया गया था, जिनकी अनुसूची–ब में तैयार किये गये विवरण के अनुसार वार्षिक व्यय गरीबी रेखा के लिए निर्धारित नार्म्स से अधिक थी। इस प्रकार बीपीएल सैन्सस-97 में आय आकलन की प्रक्रिया के स्थान पर परिवार द्वारा किये जा रहे व्यय एवं परिवार के पास उपलब्ध कतिपय संसाधन तथा साज-सज्जा की

(समाज कल्याण मंत्री)

वस्तुओं को आधार मानने की प्रक्रिया अपनाते हुए सर्वेक्षण चयन कार्य किया गया था।

(iii) दोनों चरणों में जिन परिवारों को पृथक् कर दिया गया था, उसके बाद शेष रहे परिवारों की प्रोविजनल सूची तैयार की गयी, जिसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड, पंचायत समिति कार्यालय में जनसाधारण के अवलोकन हेतु चस्पा कर प्रदर्शित किया गया।

(iv) इस अस्थाई सूची को ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत किया गया था।

(v) मापदण्डों में परिवर्तन भारत सरकार का अधिकार क्षेत्र है एवं बीपीएल सैन्सस-2002 के लिए मापदण्डों में परिवर्तन भारत सरकार द्वारा कर दिया गया है।

(3) विराटनगर पंचायत समिति के क्षेत्र से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पंचायत समिति, शाहपुरा क्षेत्र से प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही कर 31 नाम हटा दिये गये हैं तथा 62 नाम जोड़ दिये गये हैं।

परिशिष्ट-1
(तारांकित प्रश्न संख्या 49 के आदेशों की प्रति)

राजस्थान सरकार
(क-2) विभाग

क्रमांक प.17(7) कार्मिक/फ-2/99 जयपुर, दिनांक 27 मई, 1999

आदेश

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, राजकीय उपक्रमों/प्रतिष्ठानों में अनेक अधिकारी/कर्मचारी अपनी नियमित सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनः नियुक्ति, संविदा/अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदनामों से नियुक्ति पर चल रहे हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने भी व्यक्ति सेवानिवृत्ति आयु के पश्चात् किसी भी स्तर पर राज्य के किसी भी कार्यालय, उपक्रम/प्रतिष्ठान में नियोजित है उसकी सेवायें तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावे।

अतः सभी सम्बद्ध प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उनके विभाग/कार्यालय/उपक्रम/प्रतिष्ठान में यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अपनी नियमित सेवानिवृति के उपरान्त पुनर्नियुक्ति अथवा संविदा/अनुबंध पर कार्यरत हो तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावें और अनुपालना प्रतिवेदन कार्मिक विभाग को दिनांक 31 मई, 99 के अपरान्ह तक निश्चित रूप से प्रेषित कर दिया जावे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

आज्ञा से,
सूरजमल केड़वाल
उप शासन सचिव

परिशिष्ट—क

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांकः- प.17(7)कार्मिक/क-2/99 जयपुर, दिनांक : 7.7.1999

स्पष्टीकरण आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.5.1999 के द्वारा सभी सम्बद्ध प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया गया था कि उनके विभाग/कार्यालय/उपक्रम/प्रतिष्ठान में यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अपनी नियमित सेवानिवृत्ति के उपरान्त पुनर्नियुक्ति अथवा संविदा/अनुबंध पर कार्यरत हो तो उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावें और अनुपालना प्रतिवेदन कार्मिक विभाग की दिनांक 31 मई, 1999 के अपरान्ह तक निश्चित रूप से प्रेषित कर दिया जावे।

इस प्रक्रिया में विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों से इस आशय के सन्दर्भ प्राप्त हो रहे हैं कि उपयुक्त आदेश क्या उन नियुक्तियों पर भी लागू होंगे जिनके लिए कोई सेवा नियम नहीं हैं अथवा अवधि विशेष के लिए पद सृजित हैं, इत्यादि।

प्रकरण का परीक्षण किया जाकर सभी सम्बद्ध पक्षों की जानकारी हेतु एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.5.1999 की क्रियान्विति निम्नानुसार होगी :

1. आदेश दिनांक 27.5.1999 उन सभी पुनर्नियुक्तियों/संविदा नियुक्तियों पर लागू होगा जो ऐसे पदों के प्रति की गई हैं जो किन्हीं सेवा नियमों/भर्ती नियमों से शासित होते हैं। ऐसी रिक्तियां जो नियमित सेवा/भर्ती नियमों के प्रावधानान्तर्गत भरने योग्य हैं, उन पर यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्ति उपरान्त पुनर्नियुक्ति/संविदा आधार पर नियोजित है तो उसे हटाया जावेगा।

2. आदेश दिनांक 27.5.1999 निम्नांकित पर लागू नहीं होगा :

(क) ऐसे पद/रिक्त जो किन्हीं निश्चित सेवा/भर्ती नियमों से शासित नहीं होते हैं, अपितु जिस पद/रिक्ति के सृजन में ही यह व्यवस्था है कि इस पर सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो कि विषय विशेषज्ञ हों, ही पदस्थापित होगा।

(ख) किसी समयबद्ध योजना/परियोजना जिसके लिए कोई निश्चित सेवा/भर्ती नियम नहीं हैं।

(ग) ऐसे पद/रिक्ति जिसका सृजन ही पूर्णतः सेवानिवृत्त कर्मचारियों से भर्ती के लिए अथवा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के उद्देश्य से किया गया है।

(घ) संवैधानिक प्राधिकारियों से सम्बद्ध कर्मचारी वर्ग के पद/रिक्तियां।

उपरोक्त स्पष्टीकरण उदाहरणा स्वरूप हैं न कि सम्पूर्ण। सक्षम प्राधिकारियों से आग्रह है कि कृपया इन उदाहरणों के आधार पर अपने प्रकरणों को गुणावगुण पर निपटाये जाने की व्यवस्था करें। अत्यन्त आवश्यक होने पर ही कार्मिक विभाग की निर्वचन (interpretation) हेतु सन्दर्भ किये जायें।

आज्ञा से,

सूरजमल केड़वाल

उप शासन सचिव

सदस्य-सूची

दिनांक 5 फरवरी, 2004

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बयाना कलसाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	85
श्री अध्यक्ष	
स्थगन प्रस्ताव	
-नैनवां विधान सभा क्षेत्र में श्री केशोराय मंदिर की मूर्ति को अभी तक बरामद नहीं करने के संबंध में	42
-पेयजल की समस्या के समाधान, अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करवाने एवं चारे की व्यवस्था करने के संबंध में	42
-यू. आई. टी. अलवर द्वारा राव तुलाराव नगर, बहरोड की जमीन अधिग्रहण करने के संबंध में	42
-राज्य में शीतलहर से किसानों की फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिये जाने के संबंध में	42
श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खेल	
-पृथ्वीराज चौहान खेल नगर (अजमेर) पर व्यय	24
श्री अमराराम (धोद)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-सेवानिवृत्त कर्मियों की अनियमित पुनर्नियुक्ति	36
शून्यकाल	
-पानी व अकाल के संबंध में	44

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा	16
-सेवानिवृत्त कर्मियों की अनियमित पुनर्नियुक्ति	33
श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में सड़कों की दयनीय स्थिति	84
डा. करण सिंह यादव (बहरोड़)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-अलवर में उच्च शिक्षण संस्थाएं खोले जाने विषयक	92
श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति	72
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य की आबकारी नीति में परिवर्तन किये जाने विषयक	61
श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-नोखा विधान सभा क्षेत्र में अध्यापकों के रिक्त पद	88
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति परीक्षा परिणाम	26
-जिला परिषद् बांसवाड़ा द्वारा संविदा शिक्षकों की नियुक्ति	41
-बनीपार्क के सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय	30
-राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा	12
-सेवानिवृत्त कर्मियों की अनियमित पुनर्नियुक्ति	32

नाम	पृष्ठ संख्या
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे	98
-राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003	98
-राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे	98
डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-कोला पेय पदार्थ निर्माण में अशुद्ध जल का प्रयोग रोकने विषयक	96
श्री जुबेर खान (रामगढ़)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-अलवर में विश्वविद्यालय स्थापित करने विषयक	90
श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-बाड़मेर जिला के विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद	117
श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-ब्लाक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति खेतड़ी द्वारा की गयी अनियमितताएं	83
श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-अलवर में उच्च शिक्षण संस्थाएं खोले जाने विषयक	92
श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के विद्यालय	129

नाम	पृष्ठ संख्या
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-कालख बांध (फुलेरा) की ऊंचाई	78
श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा (कोटा) में कार्यरत कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान	122
श्री प्रभुलाल सैनी (उनियारा), मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम लिमिटेड का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-03	99
श्री बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-बनीपार्क के सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय	29
डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर), नेता, प्रतिपक्ष	
शून्यकाल	
-पानी व अकाल के संबंध में	47
श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-जिला परिषद् बांसवाड़ा द्वारा संविदा शिक्षकों की नियुक्ति	40
श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-सेवानिवृत्त कर्मियों की अनियमित पुनर्नियुक्ति	38

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खेल	
-विद्याधर नगर (जयपुर) स्थित स्टेडियम का विकास	116
शिक्षा	
-किशनपोल के विद्यालयों में रिक्त पद	124
-किशनपोल में संचालित राजीव गांधी पाठशालाएं	123
श्री यूनुस खान (डीडवाना), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खेल	
-पृथ्वीराज चौहान खेल नगर (अजमेर) पर व्यय	24
-शाहपुरा (बैराठ) में खेलकूद अकादमी की स्थापना	1
श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-उदयपुरवाटी पंचायत समिति के प्रधान की कथित अनियमितताएं	75
श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा	11
श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-सेवानिवृत्त कर्मियों की अनियमित पुनर्नियुक्ति	36
श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-सेवानिवृत्त कर्मियों की अनियमित पुनर्नियुक्ति	36

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-चौमूं के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा	120
श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-बैराठ विधान सभा क्षेत्र के विद्यालय	128
समाज कल्याण	
-बैराठ विधान सभा क्षेत्र में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार	131
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खेल	
-शाहपुरा (बैराठ) में खेलकूद अकादमी की स्थापना	1
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-8 के चौड़ाकरण से उत्पन्न समस्याएं	81
श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति परीक्षा परिणाम	27
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-विद्यालयों को जिला पूल से सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाना	83
श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-गंग कैनाल क्षेत्र के पास किसानों को भू-आबंटन	86
श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन), मुख्य मंत्री	
विधेयक का पारण	
-राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2004	114
विधेयक का पुर:स्थापन	
-राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2004	112

नाम	पृष्ठ संख्या
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2004	113
डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खेल	
-पृथ्वीराज चौहान खेल नगर (अजमेर) पर व्यय	26
श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)	
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य की आबकारी नीति में परिवर्तन किये जाने विषयक	55
श्री सभापति	
मुखबंद	
अनुपूरक अनुदान की मांग	
-अनुपूरक अनुदान वर्ष 2003-2004 की मांगों का पारण	99
-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघठन योजना मांग संख्या-51	112
-अन्य कर मांग संख्या-12	102
-आबकारी मांग संख्या-13	102
-आवास मांग संख्या-20	104
-उद्योग मांग संख्या-42	110
-कारागार मांग संख्या-17	103
-कृषि मांग संख्या-37	108
-कोषागार व लेखा प्रशासन मांग संख्या-25	105
-क्षेत्र का विकास मांग संख्या-22	104
-खनिज मांग संख्या-43	110
-ग्रामीण रोजगार मांग संख्या-50	112
-ग्रामीण विकास मांग संख्या-28	106
-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई मांग संख्या-26	105
-जनजाति क्षेत्रीय विकास मांग संख्या-30	107
-जन सम्पर्क मांग संख्या-18	103
-जिला प्रशासन मांग संख्या-4	100
-नागरिक आपूर्ति मांग संख्या-32	107
-निर्वाचन मांग संख्या-7	101

नाम	पृष्ठ संख्या
-न्याय प्रशासन मांग संख्या-6	101
-पर्यटन मांग संख्या-47	111
-पशुपालन एवं चिकित्सा मांग संख्या-39	109
-पुलिस मांग संख्या-16	102
-पेयजल योजना मांग संख्या-27	106
-प्रशासनिक सेवाओं मांग संख्या-5	100
-प्राकृतिक आपदाओं से राहत मांग संख्या-34	107
-बिक्री कर मांग संख्या-14	102
-मंत्री परिषद मांग संख्या-2	99
-मुद्रण एवं लेखन सामग्री मांग संख्या-44	110
-राजकीय उपक्रम मांग संख्या-40	109
-लोक निर्माण कार्य मांग संख्या-19	103
-वन मांग संख्या-9	101
-विद्युत मांग संख्या-48	111
-विधि सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं मांग संख्या-35	108
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति मांग संख्या-24	105
-सचिवालय मांग संख्या-3	100
-सड़कें एवं पुल मांग संख्या-21	104
-सहकारिता मांग संख्या-36	108
-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण मांग संख्या-33	107
-सामुदायिक विकास मांग संख्या-41	109
-सिंचाई मांग संख्या-46	110
-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन मांग संख्या-49	111
-नगर आयोजन एवं प्रादेशिक विकास मांग संख्या-29	106
-श्रम और रोजगार मांग संख्या-23	104

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री सी. डी. देवल (रायपुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-सेवानिवृत्त कर्मियों की अनियमित पुनर्नियुक्ति	31
डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)	
शून्यकाल	
-पानी व अकाल के संबंध में	44
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-सेवानिवृत्त कर्मियों की अनियमित पुनर्नियुक्ति	38
श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-जोधपुर जिला के विद्यालयों को आबंटित बजट	120
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-जोधपुर शहर की पेयजल समस्या	80
श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-श्रीमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र में अकाल के दौरान कराये गये कार्यों में अनियमितताएं	84